[2021] 14 एस. सी. आर. 611

अजीत मोहन और ओआरएस।

बनाम

विधायी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओआरएस।

(2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 1088)

08 जुलाई, 2021

[संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 194,105 और 19 (1) (ए), (2) -

ऑनलाइन घृणापूर्ण भाषण सामग्री-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-संसदीय विशेषाधिकार/विधानमंडल के विशेषाधिकार की जवाबदेही-दिल्ली दंगों के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा ने शांति और सद्भाव पर एक समिति का गठन किया-फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक को उनके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया। यह-चुनौती-विवादित समन वापस लिए गए, नए समन जारी किए गए-आयोजित: विशेषाधिकार हनन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए विधानसभा या समिति के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है-विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करके उपस्थिति के लिए मजबूर करने की शक्ति

एक आवश्यक शक्ति है-सदस्यों और गैर-सदस्यों (याचिकाकर्ताओं की तरह) को समान रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने और शपथ पर गवाही देने का निर्देश दिया जा सकता है-याचिकाकर्ता, विशेष रूप से एक मध्यस्थ के रूप में अपनी विस्तारित भूमिका के साथ, शायद ही यह तर्क दे सकते हैं कि उनके पास कुछ अधिकार हैं।

विधानसभा द्वारा विधिवत गठित समिति के समक्ष उपस्थित होने से दूर रहने का असाधारण विशेषाधिकार-हालांकि, तथ्यों पर, केवल एक समन

का

मुद्दा

समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी किया गया है-विशेषाधिकार अपरिपक्व हैं-किसी भी विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग का सवाल अभी दूर है-विशेषाधिकार के प्रयोग पर याचिका उठाई गई है

यह एक पूर्व-खाली हड़ताल है-याचिकाकर्ताओं की पूरी याचिका अपरिपक्व है क्योंकि वास्तव में उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहने के अलावा कुछ नहीं हुआ है, फेसबुक माफ नहीं कर सकता है।

जारी किए गए नए समन-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-के अनुसार उपस्थित होने से स्वयं s.69A-सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-ऑनलाइन घृणापूर्ण भाषण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री-ऐसे प्लेटफॉर्म की भूमिका, जवाबदेही-फेसबुक की याचिका कि यह केवल एक प्लेटफॉर्म पोस्टिंग है

611 [2021]

14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तृतीय पक्ष की जानकारी और उस जानकारी को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने या संशोधित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है-आयोजित: स्वीकार नहीं किया गया-ये मंच किसी भी तरह से परोपकारी नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यावसायिक मॉडल का उपयोग करते हैं जो अत्यधिक गोपनीयता घुसपैठ कर सकते हैं और सार्वजनिक बहसों का ध्रुवीकरण करने की क्षमता रखते हैं-इसके अलावा, बिचौलियों का व्यावसायिक मॉडल।

जैसे याचिकाकर्ता देशों में एक है, उन्हें विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टियाँ 1,2 और 18-दिल्ली द्वारा गठित शांति और सद्भाव समिति

प्रदत्त नहीं किए गए हैं (अर्थात, प्रविष्टियाँ 1,2 और 18)-विधानसभा के पास कानून और व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। और सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टियों 1 और 2 को अन्य बातों के साथ-साथ बाहर किए जाने के मद्देनजर पुलिस-सभा न केवल प्रदर्शन करती है

विधान बनाने का कार्य; शासन के कई अन्य पहलू हैं जो विधान सभा के आवश्यक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप समिति-समिति सूची II और सूची III में कई प्रविष्टियों के बिना अपनी वैधता का पता लगा सकती है।

सार्वजनिक व्यवस्था या पुलिस के बहिष्कृत क्षेत्रों का अतिक्रमण करके एक ठोस प्रयास करना, हालांकि उस हद तक नहीं जितना प्रचार किया गया है-बड़े संदर्भ में, शांति और सद्भाव की अवधारणा कानून और व्यवस्था और पुलिस से बहुत आगे जाती है, विशेष रूप से दिल्ली सरकार के हाथों में जमीनी शासन को देखते हुए।

भारत का संविधान अनुच्छेद 194,105-कार्य

एक निर्वाचित संसद या विधानसभा द्वारा निष्पादित जो इन तक सीमित नहीं है

केवल कानून बनाना-आयोजित सदनों के कामकाज और कामकाज में विधायी निकायों द्वारा गठित समितियों की भूमिका: जब तक समिति विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यात्मक जनादेश से पूरी तरह से रहित मार्ग पर नहीं जाती है, या विधानसभा के पास स्वयं विषय वस्तु से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब तक इन समितियों के कामकाज को व्यापक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए -

सदन के कामकाज में समिति की जिज्ञासु भूमिका का बहुत महत्व है, और जैसा कि मान्यता प्राप्त है, कानून बनाने से पहले एक जटिल सामाजिक समस्या की जांच अक्सर ऐसी विधायी समितियों पर निर्भर करती है-बुद्धिमान विधायी कार्रवाई और

उन पर विचार-विमर्श ए. जे. आई. टी. मोहन बनाम के प्रश्नों की जांच करने की शक्ति पर आधारित है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

सार्वजनिक महत्व और इस प्रकार, समन जारी करना इस जांच प्रक्रिया की कुंजी है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 194,105; सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टि 1 और 2-संदर्भ शर्तों का पैरा 4 (vii)

समिति को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले सबूत पाए जाते हैं-आयोजित: विधायी क्षमता और समिति की छूट को उचित ठहराने के लिए, प्रत्यर्थियों ने व्यावहारिक रूप से इस पैरा को छोड़ दिया है-यह समिति की किसी भी राय के लिए जीवित नहीं रहता है-इसके अलावा, समिति के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 1 और 2 के क्षेत्र के भीतर किसी भी पहलू पर सख्ती से अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी-इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के किसी भी प्रतिनिधि को इन दोनों क्षेत्रों में सीधे शामिल प्रश्नों का उत्तर नहीं देने का अधिकार होगा।

भारत का संविधान-भाग III-बोलने की स्वतंत्रता, मौन और गोपनीयता के अधिकार के संबंध में विशेषाधिकारों का मुद्दा-आयोजित किया गया: बड़ी समस्या संविधान के भाग III के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौनता और निजता के अधिकार के संबंध में विशेषाधिकार अभी भी बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं।

एन. रवि बनाम में वृहद न्यायपीठ के संदर्भ का। विधान सभा ने (2005) 1 एस. सी. सी. 603 के रूप में रिपोर्ट किया।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

बोर्ड में सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता और इन मध्यस्थों द्वारा अधिक जवाबदेही की आवश्यकता जो

सीमाएँ और लाखों लोग। फेसबुक का आज इस ग्रह की एक तिहाई से अधिक आबादी पर प्रभाव है! भारत में 27 करोड़ पंजीकृत लोगों के साथ फेसबुक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया होने का दावा करता है उपयोगकर्ता। इस तरह की पहुंच जिम्मेदारी के बिना नहीं हो सकती क्योंकि ये मंच स्वयं शक्ति केंद्र बन गए हैं।

विचारों के विशाल वर्गों को प्रभावित करने की क्षमता होना। आवाज देने में फेसबुक द्वारा निभाई गई भूमिका को कम किए बिना

दुनिया भर में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि उनके मंच ने गलत सूचनाओं से भरी विघटनकारी आवाज़ों को भी होस्ट किया है। इनका व्यापक क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। विषय वस्तु जो अंततः राज्यों के शासन को प्रभावित करती है। यही वह भूमिका है जो स्वतंत्र लोकतंत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए राजी कर रही है कि ये माध्यम शक्ति संरचनाओं में हेरफेर करने के उपकरण न बनें। ये मंच किसी भी तरह से परोपकारी नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यावसायिक मॉडल का उपयोग करते हैं जो अत्यधिक गोपनीयता घुसपैठ कर सकते हैं और सार्वजनिक बहसों का ध्रुवीकरण करने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए यह कहना कि वे इस आलोचना को दरकिनार कर सकते हैं, एक भ्रम है क्योंकि वे इन बहसों के केंद्र में सही हैं। एक मंच के रूप में फेसबुक एक जन प्रसार माध्यम के रूप में है जो अपने माध्यम से प्रसारित सामग्री पर संपादकीय जिम्मेदारी की चिंताओं को उठाता है। प्रकाशित सामग्री की पहुंच की चौड़ाई को कम या न्यूनतम नहीं किया जा सकता है। फेसबुक ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उन्होंने 2020 की दूसरी तिमाही में ही 22.5 लाख घृणापूर्ण भाषण सामग्री को हटा दिया है, जो दर्शाता है कि वे उस सामग्री पर काफी हद तक नियंत्रण रखते हैं जिसे इसके मंच पर प्रसारित करने की अनुमति है। इस हद तक,

उनके मंच पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर अपने नियंत्रण के प्रथम संशोधन के दायरे के तहत संरक्षण। इस पहचान ने इसे मॉडरेशन और सामग्री को हटाने को सही ठहराने की अनुमति दी है। हालाँकि, भारत में स्पष्ट रूप से, इसने अपने समान कार्यों के बावजूद खुद को विशुद्ध रूप से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में पहचानने का विकल्प चुना है और दोनों देशों में सेवाएं। इस प्रकार, विवाद की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, फेसबुक की पहुंच लगभग समान है

विभिन्न देशों की आबादी इसकी उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर अपने रुख को संशोधित करना चाहती है। [पैरा 149151] [707-बी-एच; 708-ए-सी]

2.1 विशेषाधिकार का मुद्दा:

विशेषाधिकार का मुद्दा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न होता है कि दोनों, प्रथम विवादित समन दिनांकित हैं।

10.09.2020 और दूसरा विवादित समन दिनांक 18.09.2020, अजीत मोहन बनाम।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

याचिकाकर्ता संख्या 1 या याचिकाकर्ता संख्या 2 के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को "विशेषाधिकार" की धमकी के साथ बुलाना था। इस तर्क को इस दलील के साथ जोड़ा गया था कि विशेषाधिकार की ऐसी शक्ति किसी व्यक्ति को मजबूर करने के लिए विस्तारित नहीं हो सकती है, जो है

सदन का कोई सदस्य नहीं, साक्षय/राय देने के लिए कि वे कहने के लिए इच्छुक नहीं हैं। [पैरा 159] [710-जी-एच; 711-ए]

2.2 अनुच्छेद 194 (3) के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, और इस प्रकार उन्हें किसी मोड़ या व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये

ये किसी कानून के शब्द नहीं हैं, बल्कि प्राथमिक दस्तावेज-संविधान के शब्द हैं। संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 26 के लागू होने से पहले राज्य विधानमंडल के सदन के साथ-साथ इसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति को सदन और उसके सभी सदस्यों और समितियों के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। शक्तियों, विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों के संहिताकरण के लिए कोई समयसीमा नहीं दी गई थी।

इस राय से कि ऐसा करने की आवश्यकता है, वे ऐसा करेंगे। क्या यह इस संवैधानिक अदालत का काम है कि वह उन्हें इस दिशा में प्रेरित करे? द. इसका जवाब नकारात्मक होगा। [पैरा 162] [711-ई-जी]

2.3 यह विवादित नहीं है कि समिति की कार्यवाही को अदालत की कार्यवाही के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन शक्तियों को प्रत्येक सदन के कामकाज के संदर्भ में काम करना होगा।

और कोई भी सदन उन मुद्दों को ठीक करने के लिए चमकते कवच में शूरवीर नहीं हो सकता है जिनके संबंध में उसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना एक बड़ी त्रासदी होगी कि विधायिका कानून बनाने के कार्य तक ही सीमित है। इस तरह के तर्क से विधायिका की भूमिका को कम करने की कोशिश की जाती है। एक बार व्यापक

निर्वाचित संसद या विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों की श्रृंखला, जो केवल कानूनों को लागू करने तक ही सीमित नहीं है, को मान्यता दी जाती है, इस व्यापक भूमिका को आगे बढ़ाने वाला कोई भी कार्य और

उसमें कोई भी बाधा निश्चित रूप से संसदीय विशेषाधिकार के मुद्दे को जन्म देगी। यह तर्क कि किसी भी गैर-सदस्य को तलब नहीं किया जा सकता था यदि उन्होंने विधानसभा के कामकाज में घुसपैठ नहीं की थी; या यह कि याचिकाकर्ता की गैर-भागीदारी के प्रतिकूल परिणाम नहीं होंगे क्योंकि यह [2021] 14 एस. सी. आर. के कामकाज को बाधित नहीं करता था।

समिति की सराहना नहीं की जाती है। याचिकाकर्ता, विशेष रूप से एक मध्यस्थ के रूप में अपनी विस्तारित भूमिका के साथ, शायद ही यह तर्क दे सकते हैं कि उन्हें विधानसभा द्वारा विधिवत गठित समिति के समक्ष उपस्थित होने से बचने का कुछ असाधारण विशेषाधिकार है। [पैरा 165 167] [712-ई-जी; 713-ए-डी]

अमरिंदर सिंह बनाम। विशेष समिति, पंजाब विधान सभा और ओआरएस। (2010) 6 एससीसी 113: [2010] 4 एससीआर 1105

- प्रतिष्ठित।

री. 1964 2 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 का विशेष संदर्भ: [1965] एस. सी. आर. 413; न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कण्डेय काटजू बनाम। लोकसभा और अन्र. (2017) 2 एससीसी 384: [2016] 11

एस. सी. आर 621 का उल्लेख किया गया है।

2.4 तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए केवल समन जारी किया गया है। सवाल किसी का भी

विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग अभी बहुत दूर है। भले ही समिति द्वारा दर्ज विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन हुआ हो, समिति को बदले में विधानसभा को एक सिफारिश करनी होगी। तब सभा को विचार करने का अधिकार होगा क्या यह विशेषाधिकार हनन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है। कई मामलों में, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि विधानसभा यह मानती है कि

ऐसा करना सार्थक नहीं है, भले ही समिति प्रथम दृष्टया ऐसा मानती हो। विधानसभा द्वारा अभ्यास आगे विशेषाधिकार समिति की राय पर निर्भर करता है। इस प्रकार, विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग की पराकाष्ठा से पहले जांच के विभिन्न स्तर हैं। इनमें से कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

वर्तमान मामले में। यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा केवल विधायी शक्ति के अभाव के आधार पर, पूर्व-सीमा चरण में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करके प्रतिवादियों को विशेषाधिकार के पहलू पर विचार

करने से रोकने का एक निवारक प्रयास है। [पैरा 169] [713-एफ-जी; 714-ए-डी] 2.5 राज्यों की विधानसभाओं और संघ की संसद जैसे विधायी निकायों द्वारा गठित समितियाँ,

सदनों के कामकाज और कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये समितियाँ विचार-विमर्श करती हैं और विधायी गतिविधियों के अग्रदूत के रूप में सिफारिशें प्रदान करती हैं, और समितियों का प्रभावी कामकाज विधानसभाओं के मुख्य कार्य की शुरुआत है। ये समितियाँ अजीत मोहन बनाम का विस्तार हैं।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

स्वयं विधानमंडल बनाते हैं और सूचित कार्य करते हैं। याचिकाकर्ताओं के तर्क को एक कृत्रिम विभाजन बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है सभा के मुख्य/आवश्यक और गैर-आवश्यक कार्यों के बीच, समितियों के विचार-विमर्श पर किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड को रखा जा रहा है। इस तरह के जल-तंग विभाजन की सलाह नहीं दी जाती है। जब तक समिति विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यात्मक अधिदेश से पूरी तरह से रहित मार्ग पर नहीं जाती है, या

स्वयं विधानसभा के पास इस विषय से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है

इस मामले में, इन समितियों के कामकाज को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए। यह संसदीय समिति प्रणाली है जिसे अपने बुनियादी कार्यों को करने के लिए संसदों के एक रचनात्मक तरीके के रूप में मान्यता दी गई है। यही सिद्धांत लागू होगा, भले ही यह कुछ हद तक उनके विधायी क्षेत्र से बाहर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कोई वैध विधान नहीं बना पाएंगे।

विषय वस्तु पर योग्यता के अभाव में सिफारिशें। हालाँकि, वे उन पहलुओं पर बहस कर सकते हैं जो एक हो सकते हैं

उनकी भावना और परिणामस्वरूप सदन की भावना का प्रतिबिंब, यदि सदन द्वारा ऐसा अपनाया जाता है। [पैरा 171,172] [714-ई-एच; 715-ए-ई]

(2018) 7 एससीसी 1: [2018] 4 एस. सी. आर. 1-निर्भर। अमेरिकी प्रतिनिधि जेम्स शैनन की टिप्पणी

1995 में समितियों की भूमिका पर सम्मेलन

मलावी का विधानमंडल जैसा कि कल्पना मेहता में नोट में उल्लेख किया गया है

20 – संदर्भित किया गया।

2.6 सदन के कामकाज में समिति की पूछताछ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मान्यता प्राप्त है,

कानून बनाने से पहले एक जटिल सामाजिक समस्या की जांच अक्सर ऐसी विधायी समितियों पर निर्भर करती है। इस कार्य में गवाहों की जांच शामिल है और यह विशेष और तकनीकी प्रकृति के मामलों से निपटने में सहायक है, जो विभिन्न पहलुओं के कामकाज और विचारों के मामलों में अंतर्दृष्टि से बुद्धिमान है। विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त किया गया। यह शायद ही कहा जा सकता है कि जिस पर बहस हुई है, उसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है या वे "बाहरी" हैं। बुद्धिमान विधायी कार्रवाई और उस पर विचार-विमर्श जांच करने की शक्ति पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और इस प्रकार, समन जारी करना इस जांच प्रक्रिया की कुंजी है। [पैरा 174] [716-सी-ई] [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बागहोट: अंग्रेजी संविधान, (पी. स्मिथ, 2001); जे. आर. मैलोरी, विधायी समितियों के उपयोग, 6 कनाडाई लोक प्रशासन 1,6 (1963); प्रोमिला सूरी, केंद्रीय विधानमंडल में समिति प्रणाली का विकास

भारत का 1920-1947, (1979)-संदर्भित।

2.7 याचिकाकर्ताओं का एक कथित धारणा पर समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति को दरकिनार करने का प्रयास

अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन, इसके बावजूद कि इसमें कोई भी प्रावधान हो सकता है जो संविधान में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। अधिकार और विशेषाधिकार किसी भी अन्य सदन के समान हैं और इस प्रकार, एक उप-समिति की कार्यवाही पर सवाल उठाना विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाने के बराबर है। दोहराव की कीमत पर, यह कहा जाता है कि विशेषाधिकार शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को समय से पहले आगे बढ़ाने के आग्रह के कारण अदालत से इस मुद्दे पर कुछ हद तक अनावश्यक रूप से विचार करने के लिए कहा गया है। यह ज्ञात नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भागीदारी से विशेषाधिकार का कोई सवाल उठेगा, क्या समिति विधानसभा को कोई संदर्भ देगी, क्या विधानसभा इसे विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने पर विचार करेगी, विशेषाधिकार समिति की क्या राय होगी और अंत में क्या विधानसभा स्वयं अजीत मोहन बनाम।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेषाधिकार हनन के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। यह पूरी तरह से एक अटकलबाजी है। विधानसभा किसी भी अन्य राज्य विधानसभा से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि सातवीं अनुसूची की सूची II में कुछ शक्तियों को लागू नहीं किया गया है।

प्रदान किया गया (अर्थात प्रविष्टियाँ 1,2 और 18)। कानून के सिद्धांत के रूप में, सभी प्रविष्टियों को व्यापक रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है। न तो प्रविष्टियाँ शामिल हैं और न ही

बाहर की गई प्रविष्टियों को सीमित रूप से पढ़ना होगा। वर्तमान मामले में किसी भी संभावित न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पैदा नहीं हुई है। [पारस 175-179] [716-F-G; 717-A-G]

सी. सुब्रमण्यम बनाम अध्यक्ष, मद्रास विधानमंडल

विधानसभा ए. आई. आर. 1969 मैड 10-अनुमोदित।

2.8 इससे बाहर के मामलों पर चर्चा करने की समिति की क्षमता के बारे में वास्तव में कोई गंभीर विवाद नहीं है।

विधानसभा का विधायी क्षेत्र लेकिन यह एक चेतावनी के साथ था कि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन की शक्ति के प्रयोग और किसी गैर-सदस्य को बुलाने के अधिकार को जन्म नहीं दे सकता था। यह स्थिति होने के कारण, विशेषाधिकार के प्रयोग पर उठाई गई कोई भी याचिका अंतर्निहित तथ्यों के अभाव में एक पूर्व-खाली हड़ताल है। जहां दी गई तथ्यात्मक संदर्भ में वह स्थिति उत्पन्न होती है, याचिकाकर्ता उस पर हमला करने के हकदार हो सकते हैं और होंगे, लेकिन यह न्यायालय इस पहलू पर अग्रिम निर्णय में शामिल नहीं होगा। [पैरा 183] [719-ए-सी]

3.1 विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार:

मूल नोटिस को वापस लिए जाने के मद्देनजर, फेसबुक की याचिका है कि उसके पास यह चुनने का विकल्प नहीं है कि किसे स्टैंड भेजना है दूर चला गया। इसके अलावा, विशेषाधिकार के पहलू और इससे प्राप्त अधिकारों पर कुछ समय तक चर्चा की गई है। हालाँकि इस तरह की कार्यवाही न्यायालय में नहीं हो रही है, जहाँ बयान भी दिए जाते हैं, विधान सभा के एक निर्वाचित निकाय और परिणामस्वरूप इसकी समितियों के विशेषाधिकारों को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। [पारस 185,187] [719-एफ; 720-बी]

3.2 इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता, और कोई भी इरादा नहीं था यदि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि ने केवल एक गवाह के रूप में कार्यवाही में भाग लिया। इन कार्यवाहियों के सीधा प्रसारण को देखते हुए उनकी पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कानूनी रूप से जारी किए गए समन (विषय, निश्चित रूप से विधायी क्षमता के लिए) इसके बाद चर्चा की गई), उसी का उत्तर दिया जाना चाहिए। कार्यवाही आपराधिक या न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है क्योंकि समिति के समक्ष कोई आरोपी नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से, जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 33 के तहत सदन द्वारा बनाए गए नियमों (जो बदले में संविधान के अनुच्छेद 239 ए. ए. (7) से मजबूत होते हैं) का पालन किया जाएगा। विधानसभा के समक्ष कार्यवाही का संरक्षण या

अनुच्छेद 194 के तहत समिति में सदस्यों या गैर-सदस्यों का बयान शामिल होगा। समिति के समक्ष किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने के विकल्प को कुछ पहलुओं के लिए गंभीरता से विवादित नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा अच्छे कारणों से अनुरोध किया जाता है, एक ऐसा पहलू जिसकी समिति द्वारा नियमों के अनुसार जांच की जाएगी। की पूरी याचिका याचिकाकर्ता अपरिपक्व हैं क्योंकि उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहने के अलावा वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। [पारस 189,190] [720-डी-जी]

एमएसएम शर्मा बनाम। डॉ. श्री श्रीकृष्ण सिन्हा ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186: [1961] एससीआर 96; एन. रवि बनाम। विधायी

विधानसभा (2005) 1 एस. सी. सी. 603-निर्दिष्ट।

4.1 विधायी क्षमता:

यह निर्विवाद है कि विधानसभा अन्य राज्य विधानसभाओं से इस हद तक अलग है कि सूची II के कुछ विषयों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है और केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह किसी का मामला नहीं है कि पहलू

सूची II में प्रविष्टियाँ 1,2 और 18 द्वारा कवर किए जाने पर विधानसभा और इसके परिणामस्वरूप समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। हालांकि प्रविष्टियों को यथासंभव व्यापक रूप से पढ़ने के सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं है, यह प्रस्ताव विधायी क्षमता की कमी के कारण एक कानून को चुनौती देने के संदर्भ में है। यहाँ न्यायालय प्रविष्टियों की परस्पर क्रिया से संबंधित है। मुद्दा यह होगा कि क्या केंद्र सरकार के पास विधायी क्षमता है या

सभा। व्यापक विस्तार उन तीन प्रविष्टियों को भी दिया जाना चाहिए जिनमें से विधायी क्षमता को विधानसभा से अस्वीकार कर दिया गया है और संसद को प्रदान किया गया है। फेसबुक एक मध्यस्थ है

जिसे आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (डब्ल्यू) से स्पष्ट होने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में मध्यस्थों की भूमिका शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार भी शामिल है

ए. जे. आई. टी. मोहन बनाम के तहत किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करना।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

आई. टी. अधिनियम की धारा 69ए। [पैरा 193,194 और 196] [721-डी-एफ; 722-ए-बी]

श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1:

[2015] 5 एस. सी. आर. 963-पर निर्भर।

4.2 समिति (और उस मामले के लिए विधानसभा) का इरादा काफी स्पष्ट होने का तर्क दिया गया था, यानी, उसी क्षेत्र का अतिक्रमण करना जो निषिद्ध था। यह संदर्भ की शर्तों से स्पष्ट बताया गया था। पैराग्राफ 4 (i) में निहित संदर्भ की शर्तों (किसी विशेष क्षेत्र/क्षेत्रों में प्रचलित स्थिति पर जनता, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों आदि की शिकायतों पर विचार करने के लिए जो सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं या जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं) को पैरा 4 (vii) के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो समिति को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का कार्य देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय पाए जाते हैं। द.

उत्तरदाता केवल यह कहकर बच नहीं सकते थे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति जिनके खिलाफ

विधायी क्षमता की कमी के कारण अपराध साबित करने वाले साक्षय को लागू करने में सक्षम नहीं पाया जाता है। ये वे पहलू हैं जिन्हें संदर्भ की शर्तों के अंतिम पैराग्राफ में विशेषाधिकार की धमकी देकर मजबूत करने की कोशिश की गई थी। [पैरा 197] [722-सी-ई]

4.3 यह दलील कि एक विधानसभा को खुद को कानून के मूल कार्य तक सीमित रखना चाहिए, स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह होगा

एक निर्वाचित निकाय की भूमिका को अनुचित रूप से सीमित करना। [पैरा 200] [723-ए-बी]

4.4 इस बात पर जोर दिया गया कि जो कुछ भी हुआ वह एक छलावा था क्योंकि समिति का वास्तविक उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए उन मुद्दों पर गौर करना था जो उनके दायरे से बाहर थे।

समिति के समक्ष अभिलिखित और समिति के अध्यक्ष द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दिए गए बयान। इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य विधानसभाओं के बीच परस्पर सम्मान होना चाहिए। प्रविष्टियों के व्यापक अध्ययन की अवधारणा [2021] 14 एस. सी. आर. नहीं हो सकती है।

किसी विषय वस्तु पर अतिक्रमण करने की अनुमति है जहां एक विशिष्ट प्रविष्टि है जो दूसरे निकाय को शक्ति प्रदान करती है। [पारस 202,203] [723-सी-जी]

4.5 यह नहीं कहा जा सकता है कि सूची III की प्रविष्टियों 1 और 2 में वे शामिल हैं जिन्हें सूची II की शक्तियों से बाहर रखा गया है। अर्थात, प्रविष्टियाँ 1,2 और 18. इसी तरह, पूछताछ से संबंधित सूची III की प्रविष्टि 45 फिर से विधानसभा या समिति को सार्वजनिक व्यवस्था या पुलिस कार्यों के पहलुओं की जांच करने की अनुमति नहीं देगी। कि कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, किसी के द्वारा विवादित नहीं है,

और यह कि सांप्रदायिक दंगों से संबंधित इस कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर भी गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि विधानसभा कानून-व्यवस्था और पुलिस के मुद्दे से नहीं निपट सकती है। इस प्रकार, मुख्य बिंदु यह होगा कि (क) समिति की जांच का दायरा क्या है; (ख) क्या यह कहा जा सकता है कि जांच का कोई पहलू है जो समिति के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है।

सभा; और (ग) क्या याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति को वैध रूप से मजबूर किया जा सकता है। [पैरा 204] [723-जी-एच; 724-ए-सी]

4.6 अमेरिका में न्यायिक उदाहरणों से सैद्धांतिक रूप से यह बल मिलता है कि जाँच करने की शक्ति है

विधायी निकाय द्वारा कानून बनाने की शक्ति में निहित, इससे असहमत नहीं है। लेकिन इसे स्वीकार करते हुए, वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या विधानसभा इस मामले पर कानून बना सकती है। समितियों का अन्वेषणात्मक कार्य इसके साथ होता है - शोधकर्ताओं के कुछ "अंधी गलियों" में समाप्त होने की संभावना। यह मान लेना होगा कि एक गली है। इस प्रकार, जबकि समिति के अधिकार का इस हद तक सम्मान किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं पर समन का जवाब देने का दायित्व मौजूद है, कार्यवाही को इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो निषिद्ध प्रविष्टियों का अतिक्रमण करती है। [पैरा 206] [724-ई-जी; 725-ए]

4.7 पुलिस शांति और सद्भाव की एकमात्र संरक्षक नहीं हो सकती है और यह कि अभिव्यक्ति के अपने आप में विभिन्न अर्थ हैं।

राज्य सरकार को कुछ शक्तियों से वंचित किए जाने के बावजूद, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शासन की कई अभिव्यक्तियाँ हैं, और सरकार के कार्यों को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। यह वर्तमान मामले में विशेष रूप से सच है जहां स्थिति एक आंतरिक रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दे के माध्यम से बनाई गई थी। मुद्दा यह है कि क्या अभिव्यक्ति "शांति और अजीत मोहन बनाम।

दिल्ली का विधायी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

शांति और सद्भाव, चाहे राष्ट्रीय राजधानी में हो या राज्य के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तर्क की अनुमति देना बहुत अधिक होगा कि शांति और सद्भाव व्यावहारिक रूप से प्रभावित करेंगे। सब कुछ और इस प्रकार, तीन सूचियों में अलग-अलग प्रविष्टियों के तहत शक्ति देता है। हालाँकि, यह माना जाता है कि जांच और सिफारिश करने वाली शक्तियों का उपयोग बेहतर शासन के सिद्धांत के तहत किया जा सकता है। [पारस 207,208] [725-बी-डी]

न्यायिक समीक्षा की हमेशा सराहना की गई है और इसे समझा गया है। समिति सार्वजनिक व्यवस्था या पुलिस के बहिष्कृत क्षेत्रों का अतिक्रमण किए बिना सूची II और सूची III में कई प्रविष्टियों के लिए अपनी वैधता का पता लगा सकती है ताकि एक ठोस प्रयास किया जा सके, हालांकि उस हद तक नहीं जितना प्रचार किया गया था। फेसबुक 03.02.2021 पर उन्हें जारी किए गए नए समन के अनुसार उपस्थित होने के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता है। हालाँकि, वे क्षेत्र जो विधायिका के लिए अपने विधायी अभ्यास के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं हैं, वे हो सकते हैं - किसी समिति को उसके विचार-विमर्श के लिए वैध रूप से उपलब्ध। सरकारी कार्यों के एक व्यापक क्षेत्र के संदर्भ में ऐसा है। अंततः, यह राज्य सरकार और राज्य विधानसभा है जिसे दिल्ली में दोहरी शक्ति संरचना में भी जमीनी वास्तविकता से निपटना पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य बातों के साथ-साथ उन सर्वोत्तम उपायों पर सूचित विचार-विमर्श, जिनके माध्यम से उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में ऑनलाइन सामूहिक घृणा और हिंसा को संबोधित किया जा सकता है, समिति की क्षमता के क्षेत्र में नहीं होगा क्योंकि यह

व्यक्तियों ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया, स्कूलों, परिवहन, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा और अन्य में व्यवधान पैदा किया। नागरिक सुविधाएं। सांप्रदायिक तनाव की जटिलता और उनके व्यापक प्रभाव दिल्ली के नागरिकों को प्रभावित करने वाले मामले हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित उपचारात्मक उपायों को तैयार करने के लिए कारणात्मक कारकों पर ध्यान दें। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई उचित सिफारिशें शासन के मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक प्रयास में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने

यह माना जाता है कि कुछ स्थानीय हितों को संबंधित राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सबसे अच्छी तरह से संबोधित किया जाता है। दंगों के व्यापक प्रभाव के कारण, समिति सार्वजनिक जीवन के विभिन्न तत्वों को शामिल करते हुए ऐसी शिकायतों पर वैध रूप से विचार कर सकती थी। इस प्रकार, यह जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा और

सातवीं अनुसूची में केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण किए बिना शांति और सद्भाव पर उनके प्रभाव की जांच करने के लिए उसी पर विचार करना। [अनुच्छेद 211,212] [726-सी-ई, जी; 727-ए]

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर डी. एम. सी. तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट भेजी

को।

4.10 अब संदर्भ की शर्तों की ओर मुड़ें। समिति को क्या करना चाहिए, इसके व्यापक संदर्भ में, निर्भरता थी

पैराग्राफ 4 (i) पर रखा गया है, यानी कारकों और स्थितियों पर विचार करने के लिए

जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है और ऐसे कारकों को खत्म करने और विभिन्न धार्मिक या भाषाई लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपाय सुझाते हैं।

समुदाय या सामाजिक समूह। यह विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था या पुलिस का पहलू नहीं है और इसके कई अर्थ हैं। उस स्तर पर संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं था।

यह किन पहलुओं पर कानून बनाएगा (विधायी होने के कारण)

योग्यता) और यह किन पहलुओं पर सिफारिशें करने पर विचार करना चाहेगा। यह इस मुद्दे की सुनवाई से पहले की बात होती। संदर्भ शर्तों के पैरा 4 (i) का उद्देश्य उस मामले पर जनता, सामाजिक संगठनों और पत्रकारों की याचिकाओं, शिकायतों या रिपोर्टों पर विचार करना था, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। एक बार फिर यह आंतरिक रूप से बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली परेशान करने वाला पहलू पैरा 4 (vii) है। स्पष्ट रूप से यह प्रेषित अजीत मोहन बनाम के भीतर नहीं है।

दिल्ली का विधायी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

विधानसभा ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय पाए जाते हैं या हिंसा भड़काने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है। यह विशुद्ध रूप से शासित एक पहलू है। पुलिस द्वारा। यह पुलिस का कार्य है कि वह जाँच द्वारा गलत करने वाले का पता लगाए और उन्हें एक सक्षम अदालत के समक्ष आरोपित करे और इसने वास्तव में याचिकाकर्ताओं को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया है। विधायी क्षमता और समिति की छूट को उचित ठहराने के लिए, उत्तरदाताओं ने व्यावहारिक रूप से इस पैरा 4 (vii) को छोड़ दिया है और इसे दर्ज किया जाता है और इसे बनाया जाता है।

स्पष्ट करें कि यह समिति के प्रेषण का हिस्सा नहीं हो सकता है। [पारस 213-216] [727-B-D; 727-F-H; 728-A]

यह पूरी तरह से समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे नहीं बनाया जाना चाहिए था। यह भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि यह याचिकाकर्ताओं के मन में आशंका पैदा कर सकता है। यह बताने की कोशिश की गई कि "आपत्तिजनक सामग्री" को देखते हुए, फेसबुक के प्रतिनिधियों को संतुष्ट करने के लिए कहा जाएगा दोषसिद्धि से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्रथम दृष्टया व्यक्त विचार यह है कि फेसबुक एक सह-अभियुक्त है और इसलिए, दिल्ली दंगों के दौरान उनकी भूमिका के बारे में जांच की जानी चाहिए और ऐसी जांच के बाद, एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए। मानो समिति आश्वस्त थी कि फेसबुक पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और मानो समिति स्वयं अभियोजक थी जिसे पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश देने का अधिकार था। यह एक औपचारिकता [2021] 14 एस. सी. आर. के रूप में मिल रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा करने से पहले सुनवाई का अधिकार देना, अर्थात "कोई भी कार्रवाई करने से पहले"। इस तरह के बयान समिति के समक्ष निष्पक्ष कार्यवाही के लिए शायद ही अनुकूल हैं और इनसे बचना चाहिए था। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह विधायी जनादेश भी नहीं था, और विधानसभा या समिति के पास इनमें से कोई भी काम करने की शक्ति नहीं थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार, एक विधायी समिति द्वारा जांच के संबंध में व्यापक आयाम देते हुए, निश्चित रूप से दी गई तथ्यात्मक स्थिति में बंधन लगाए जाते हैं अन्यथा कल की कार्यवाही को ही दूषित होने का दावा किया जा सकता है। [पैरा 217 219,221-224] [728-B-F; 729-B-F]

वास्तव में संदर्भ की शर्तों के अनुसार परिकल्पित। बल्कि, ऐसा लगता है कि समिति कुछ निजी खिलाड़ियों को पकड़ना चाहती है कानून और व्यवस्था परिदृश्य के लिए जिम्मेदार, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, समितियों पर लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत दिए गए परिदृश्य में थोड़े अंतर के साथ लागू होंगे। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 32

के तहत इस न्यायालय की व्यापक अधिकारिता का प्रयोग आम तौर पर इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए।

संसदीय समितियों द्वारा "क्षेत्र में" किए गए भारी काम से अनजान। एक विधानसभा, विशेष रूप से दिल्ली विधानसभा की प्रकृति में, जिसकी अपनी विशिष्टताएँ (यानी कुछ शक्तियों का बहिष्कार) हों, भले ही उसे व्यापक आयाम और शक्तियाँ दी जाएं जो एक समिति को होनी चाहिए। समिति सूची I के कारण विशेष अधिकार क्षेत्र वाली संस्था के पैर की उंगलियों या जूते पर कदम नहीं रख सकती है। समिति को यह गलत धारणा नहीं हो सकती है कि यह किसी प्रकार की अभियोजन एजेंसी है जो लोगों को दोषी ठहराने और उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देने के रास्ते पर चल सकती है। इस पहलू को अजीत मोहन बनाम द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

समिति ताकि भविष्य की कार्यवाहियों को दूषित न किया जा सके और एक और चुनौती को जन्म न दिया जा सके। किसी भी स्थिति में, जो भी अटकलबाजी हो, यदि समिति बहिष्कृत प्रविष्टियों, यानी कानून और व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मार्ग को पार करना चाहती है, तो फेसबुक का प्रतिनिधि जो उसके सामने उपस्थित होगा

और न्यायालय याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि को प्रश्नों का उत्तर न देने और याचिकाकर्ताओं के लिए समिति के समक्ष कार्यवाही को विफल करने का बहाना नहीं देता है। हालाँकि, साथ ही, यह बहुत सीमित सुरक्षा दी जाती है जब समिति इन पर काम शुरू करती है। निषिद्ध क्षेत्र। [पारस 225-227] [729-G; 730-A-H; 731-A-C]

5. अनुपात/दिशाएँ:

से। II. विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करके उपस्थिति को मजबूर करने की शक्ति एक आवश्यक शक्ति है।

III. सदस्य और गैर-सदस्य (याचिकाकर्ताओं की तरह) कर सकते हैं

समान रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने और शपथ पर गवाही देने का निर्देश दिया जाए। IV. मामले के दिए गए तथ्यों में, विशेषाधिकारों का मुद्दा अपरिपक्व है। यह कहते हुए कि, के पैरा 4 (vii) का सम्मिलन

समिति के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लिए गए संदर्भ की शर्तें वैध रूप से याचिकाकर्ताओं के मन में आशंकाओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके कारण एक चेतावनी दी गई है।

V. विशेषाधिकार शक्तियों और कुछ मौलिक अधिकारों के बीच टकराव का प्रचार करना भी वर्तमान मामले में पूर्वनियोजित है। VI. किसी भी मामले में, भाग के संदर्भ में बोलने की स्वतंत्रता, मौनता और गोपनीयता के अधिकार की तुलना में विशेषाधिकारों का बड़ा मुद्दा

एन. रवि में वृहद पीठ के संदर्भ को देखते हुए संविधान का तीसरा भाग अभी भी अप्रासंगिक है।

VII. विधानसभा के पास प्रविष्टियों को देखते हुए कानून और व्यवस्था और पुलिस के पहलुओं पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है

1 और सातवीं अनुसूची में सूची II के 2 को अन्य बातों के साथ बाहर रखा गया है। इसके अलावा, मध्यस्थों का विनियमन भी विषय है।

आई. टी. अधिनियम के अंतर्गत आता है।

VIII. विधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है, बल्कि शासन के कई अन्य पहलू भी हैं जो विधान सभा और परिणामस्वरूप समिति के आवश्यक कार्यों का हिस्सा बन सकता है। व्यापक संदर्भ में, शांति और सद्भाव की अवधारणा कानून और व्यवस्था और पुलिस से बहुत परे है, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर शासन को देखते हुए।

दिल्ली सरकार के हाथों में।

IX. समिति की किसी भी राय के लिए संदर्भ शर्तों का पैरा 4 (vii) नहीं है। इसकी अनुमति नहीं होगी

समिति सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 1 और 2 के क्षेत्र के भीतर किसी भी पहलू का सख्ती से अतिक्रमण करेगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के किसी भी प्रतिनिधि को इन दोनों क्षेत्रों द्वारा सीधे कवर किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देने का अधिकार होगा।

[पैरा 228] [731-डी-एच; 732-ए-ई]

कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ (1977) 4 एससीसी

608 : [1978] 2 एस. सी. आर. 1-निर्भर।

श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्र।

(1975) 2 एससीसी 159: [1978] 2 एस. सी. आर. 405; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. भारत संघ और एएनआर। (2018) 8 एससीसी 501: [2018] 7 एस. सी. आर. 1; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जैसवाल (1986) 4 एस. सी. सी. 566: [1987] 1 एस. सी. आर. 1; के. नागराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985) 1 एससीसी 523: [1985] 2 एससीआर 579; एस. एम. डी किरण पाशा बनाम ए. पी. और अन्य की सरकार। , (1990) 1 एससीसी 328: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 105; बंगाल इम्युनिटी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और

ओआरएस। (1955) 2 एस. सी. आर. 603; सेल्वी और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य (2010) 7 एससीसी 263: [2010] 5 एससीआर 381; के. एस. पुट्टास्वामी और अनर। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569; एक्सेल वियर वी. संघ

भारत और ओआरएस। (1978) 4 एससीसी 224: [1979] 1 एस. सी. आर. 1009; मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 आई. टी. मोहन बनाम।

दिल्ली का विधायी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

लक्ष्मीनारायण बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) 14 एससीसी 664: [2018] 14 एस. सी. आर. 689; सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. बनाम भारत संघ 2020 12 एस. सी. सी. 259: [2019] 3 एस. सी. आर. 28; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (1976) 1 एस. सी. सी. 466: [1976] 1 एस. सी. आर. 552; सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 109: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 623; जिलुभाई नानभाई बनाम। गुजरात राज्य (1995) सप. 1 एससीसी 596: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 807; उजागर प्रिंट्स (II) v. भारत संघ (1989) 3 एससीसी 488: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; श्रीराम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति तेंदुलकर [1959] एस. सी. आर. 279; राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 225; ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 297 [1957] एस. सी. आर. 399; कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569: [1994] 2 एस. सी. आर. 375; जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2010) 5 एससीसी 246: [2010] 4 एससीआर 1042; आईटीसी लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य 1985 पूरक एस. सी. सी. 47: [1985] पूरक। एस. सी. आर. 145; होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य (1983) 4 एससीसी 45: [1983] 3 एससीआर 130; अपतटीय होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण (2011) 3 एससीसी 139: [2011] 1 एस. सी. आर. 453 संदर्भित है।

" प्रस्तावना "; ए. एम. सिंघवी आदि देखें। अल। , का कानून

आपातकालीन शक्तियाँ-तुलनात्मक सामान्य कानून

परिप्रेक्षय (स्प्रिंगर, 2020); फेसबुक, प्रेस

जारी, फेसबुक ने पहली तिमाही 2021 के परिणामों की सूचना दी,

(2021) ; यूनेस्को, अवधारणा टिप्पणी, मीडिया के लिए

लोकतंत्र, पत्रकारिता और चुनाव के समय में

गलत जानकारी, (2019); ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द

वर्ष 2016; के. गेसन, परिचय, 26, इन ऑल आर्ट इज प्रोपेगैंडा: आलोचनात्मक निबंध (जी. ऑरवेल और अन्य। अल।

, 2008) ;

[2021] 14 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल समिति, यू. के हाउस ऑफ कॉमन्स, दुष्प्रचार और नकली समाचार ':

म्यांमार में 'ऑफ़लाइन हिंसा भड़काने' के लिए इस्तेमाल किया गया था, बीबीसी (06/11/2018) ; जोशुआ ब्रुस्टीन, फेसबुक ने माफी मांगी

श्रीलंका की हिंसा में भूमिका के लिए, ब्लूमबर्ग (13/05 /

2020) ; समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य ऑस्ट्रेलिया द्वारा तैयार किया गया सौदेबाजी संहिता विधेयक, 2020;

एलेक्स बार्कर, जेमी स्मिथ और अन्य। , फेसबुक ने लगाया प्रतिबंध

मीडिया कानून के प्रभाव के रूप में ऑस्ट्रेलियाई समाचार विश्व स्तर पर महसूस किए जाते हैं,

फाइनेंशियल टाइम्स (18/02/2021); यूरोपीय संसद,

सोशल मीडिया और लोकतंत्र: हमें कानून चाहिए, नहीं।

प्लेटफॉर्म दिशानिर्देश (10/02/2021); एर्स्किन मे का

कानून, विशेषाधिकारों, कार्यवाहियों और

संसद का उपयोग, (सर डेविड नैट्ज़लर, 25 वां संस्करण,

2019) - संदर्भित किया गया।

वॉटकिंस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 354 यू. एस. 178 (1957); बैरनब्लैट वी. संयुक्त राज्य अमेरिका 360 यूएस 109 (1959); ईस्टलैंड बनाम। संयुक्त राज्य सैनिकों का कोष 421 यू. एस. 491 (1975); हावर्ड जार्विस टैक्सपेयर्स एसोसिएशन बनाम। पडीला 62 काली 486 (2016) ; विल्किंसन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 365 यूएस 399 (1961); ब्रैडेन वी. संयुक्त राज्य 365 यू. एस. 431 (1961)-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 1

पैरा 28

(i)

उस पर भरोसा करें

[1978] 2 एससीआर 405

पैरा 28

(i)

संदर्भित किया गया है

[2010] 4 एससीआर 1105

प्रतिष्ठित

पैरा 28

(ii)

[1965] एससीआर 413

पैरा 28

(i.

संदर्भित किया गया है

[2016] 11 एससीआर 621

पैरा 28

(i.

संदर्भित किया गया है

[1961] एससीआर 96

पैरा 28

(i.

संदर्भित किया गया है

[2018] 4 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[2018] 7 एससीआर 1

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[1985] 2 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 53 अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका

[1989] 2 पूरक। एससीआर 105

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

[1955] 2 एससीआर 603

पैरा 66

संदर्भित किया गया है

[2010] 5 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 69

[2017] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा 69

[1979] 1 एससीआर 1009

9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9 को संदर्भित 9

पैरा 69

[1978] 2 एससीआर 621

पैरा 70

[1971] 1 एससीआर 512

पैरा 70

(2005) 1 एस. सी. सी. 603

पैरा 71

[1973] 2 एससीआर 757

पैरा 76

[1981] 3 एससीआर 662

पैरा 76

[1950] एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

(2009) 158 डीएलटी 759

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पैरा 89

[2018] 14 एससीआर 689

संदर्भित किया गया है

पैरा 93

[2019] 3 एससीआर 28

2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 9 पैरा 106 को संदर्भित

[1976] 1 एससीआर 552

पैरा 1 12

[1989] 1 पूरक। एससीआर 623

पैरा 1 22

[1994] 1 पूरक। एससीआर 807

पैरा 124

[1988] 3 पूरक। एससीआर 770

संदर्भित किया गया है

पैरा 125

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 126

[1955] 2 एससीआर 225

पैरा 127

संदर्भित किया गया है

[1957] एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 135

[1994] 2 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा 135

[2010] 4 एससीआर 1042

पैरा 135

संदर्भित किया गया है

[1985] पूरक। एससीआर 145

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

[1983] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

[2011] 1 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: की लिखित याचिका सं. 1088

2020 .

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

तुषार मेहता, एस. जी., हरीश एन. साल्वे, अरविंद दातार, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांतो सेन, डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विवेक

रेड्डी, राघव सेठ, श्रव्या रेड्डी, सुश्री चेतना राय, मयंक पांडे, आदित्य जालान, मनोज रेड्डी, सुश्री दुर्गा प्रिया मंडा, सुश्री वन्या छाबड़ा, भरत मक्कर, विजयेंद्र प्रताप सिंह, अभिज्ञान झा, सुश्री प्रीति कोल्लुरी, राहुल उन्नीकृष्णन, मयंक पांडे, शादन फरासत, अमित भंडारी, तल्हा अब्दुल रहमान, प्रशांत मनचंदा, शौर्य दासगुप्ता, भरत गुप्ता, सुश्री आर. राधा, सुश्री अदिति शर्मा, सुश्री रवलीन छाबड़ा, एम.

शाज खान, उदित अतुल कोकनथांकर, सुश्री ऐश्वर्या देवी, कानू अग्रवाल, रजत नायर, सौरभ मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, बी. वी. बलराम दास, गुरमीत सिंह मक्कर, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, सुश्री फिल्जा मूनिस, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री अभिलाषा भारती, सुशांत डोगरा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

प्रोलेगोमेनन 1:

1. तकनीकी युग ने डिजिटल प्लेटफार्मों का निर्माण किया है-रेलवे प्लेटफार्मों की तरह नहीं जहां ट्रेनों को आगमन पर विनियमित किया जाता था और

प्रस्थान। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कई बार अनियंत्रित हो सकते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप मध्यस्थ हैं जो अपने स्वयं के किसी भी योगदान के बिना विचारों

के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने का दावा करते हैं। यह उनका कहना है कि वे अपने मंच पर होने वाली सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं; हालाँकि शिकायतें होने पर, वे अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर आपत्तिजनक सामग्री को हटा देते हैं। इन मध्यस्थों की शक्ति और क्षमता विशाल है, जो सीमाओं के पार है। ये बहुराष्ट्रीय निगम हैं जिनकी कमान में बड़ी संपत्ति और प्रभाव है। उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मंच के कारण, उनका प्रभाव सीमाओं के पार की आबादी पर फैला हुआ है। फेसबुक ऐसी ही एक कंपनी है।

2. फेसबुक की व्यापक सेवाओं का एक प्रमाण

प्रस्ताव यह तथ्य है कि इसके लगभग 2.85 करोड़ मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

1 " प्रस्तावना "; ए. एम. सिंघवी आदि देखें। अल। , आपातकालीन शक्तियों का कानून-तुलनात्मक सामान्य कानून परिप्रेक्षय (स्प्रिंगर, 2020)।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

मार्च, 2021 का। 2 यह इस ग्रह की कुल जनसंख्या का एक तिहाई से अधिक है।

राष्ट्रीय संदर्भ में, फेसबुक लगभग 27 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऐसी विशाल शक्तियों को

अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी के साथ आते हैं। फेसबुक जैसी संस्थाओं को उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहना होगा जो उन्हें इस तरह की शक्ति सौंपते हैं। जबकि फेसबुक ने बेजुबानों को आवाज देकर और राज्य की सेंसरशिप से बचने का एक साधन प्रदान करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि यह एक साथ विघटनकारी संदेशों, आवाज़ों और विचारधाराओं का एक मंच बन गया है। उदार लोकतंत्र का सफल संचालन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब नागरिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम हों। इस तरह के निर्णय बहुआयामी दृष्टिकोण और विचारों को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए। डिजिटल युग में सूचना विस्फोट नई चुनौतियों को पैदा करने में सक्षम है जो कपटी रूप से परिवर्तन कर रहे हैं

उन मुद्दों पर बहस करें जहाँ राय व्यापक रूप से विभाजित हो सकती है। इस प्रकार, जहां एक ओर सोशल मीडिया नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच समान और खुली बातचीत को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर यह विभिन्न हित समूहों के हाथों में एक उपकरण बन गया है, जिन्होंने इसके विघटनकारी होने को पहचाना है

संभावित। इसके परिणामस्वरूप एक विरोधाभासी परिणाम सामने आता है जहां चरमपंथी विचारों को मुख्यधारा में लाया जाता है, जिससे गलत सूचना फैलती है। स्थापित स्वतंत्र लोकतंत्र दुनिया भर में इस

तरह की लहरों के प्रभाव को देख रहे हैं और चिंतित हैं। चुनाव और मतदान प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक सरकार की नींव, सोशल मीडिया हेरफेर से खतरे में है। इसने फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों में शक्ति की बढ़ती एकाग्रता के बारे में महत्वपूर्ण बहसों को जन्म दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि वे ऐसे व्यावसायिक मॉडल को नियोजित करते हैं जो गोपनीयता-घुसपैठ और ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। 3 एक स्थिर समाज पर प्रभाव विनाशकारी हो सकता है जिसमें नागरिकों को इस तरह की "बहसों" द्वारा 'ध्रुवीकृत और संकीर्ण' किया जा रहा है, जो समाज को लंबवत रूप से विभाजित कर रहा है। कम जानकार व्यक्तियों में दोस्तों से प्राप्त जानकारी को सत्यापित नहीं करने की प्रवृत्ति हो सकती है, या लोकलुभावन नेताओं से प्राप्त जानकारी को सुसमाचार सत्य के रूप में माना जा सकता है।

3. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 2016 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने "पोस्ट-ट्रुथ" को वर्ष का शब्द चुना। विशेषण को "उन परिस्थितियों से संबंधित या इंगित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं।

2 फेसबुक, प्रेस विज्ञप्ति, फेसबुक ने पहली तिमाही 2021 के परिणाम (2021) की सूचना दी है, जो यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यूस्वायर। कॉम/समाचार-विमोचन/फेसबुक-रिपोर्ट-पहली तिमाही-2021 परिणाम-301279518. एचटीएमएल। 3 यूनेस्को, अवधारणा टिप्पणी, लोकतंत्र के लिए मीडिया, पत्रकारिता और गलत सूचना के समय में चुनाव, (2019) यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: //एन। यूनेस्को। ओ. आर. जी./साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल /

डब्ल्यू. पी. एफ. डी. 2019 _ अवधारणा _ नोट _ एन. पीडीएफ।

भावनाओं की अपील की तुलना में जनमत को आकार देने में कम प्रभावशाली और व्यक्तिगत विश्वास "। 4 इस अभिव्यक्ति की एक अवधि की प्रासंगिकता है जब इसे 2016 के बारे में विभाजित बहसों के साथ प्रासंगिक रूप से मान्यता दी गई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्सिट-दो महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके प्रभाव उनकी क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं। तथ्यों की अस्पष्टता, तर्क में साक्षय मानकों का परित्याग और सार्वजनिक क्षेत्र में सीधे झूठ बोलने ने कई लोगों को चौंका दिया। सोशल मीडिया के दरवाजे पर बहुत सारे दोष लगाने की कोशिश की गई थी, यह इस विकसित समकालीन घटना का एक स्रोत है

जहाँ वस्तुनिष्ठ सत्य घटते मूल्य के साथ एक वस्तु बन रहा है। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने 1943 के निबंध "लुकिंग बैक ऑन द स्पैनिश वॉर" में व्यक्त किया था ". वस्तुनिष्ठ सत्य की अवधारणा ही दुनिया से लुप्त

हो रही है। आखिरकार, संभावना है कि वे झूठ, या किसी भी तरह से इसी तरह के झूठ इतिहास में चले जाएंगे "5-शब्द भविष्यसूचक साबित हुए हैं।

4. उपरोक्त के संदर्भ में, फेसबुक द्वारा अपनाए गए सरल दृष्टिकोण को स्वीकार करना मुश्किल है-कि यह केवल एक मंच है।

तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करना और उस जानकारी को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने या संशोधित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इस तरह के सरल मॉडलों के पीछे छिपने का प्रयास ब्रिटेन की संसद द्वारा अस्वीकार्य पाया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल चयन समिति ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में कहा था कि यह उनकी साइट पर सामग्री विनियमन के संबंध में उनकी जिम्मेदारियों से बचने के बराबर होगा। 6

5. इस बारे में गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि क्या इस तरह के मध्यस्थ प्लेटफार्मों की संरचना दोषपूर्ण है और क्या इस तरह के हैं। स्वतंत्र, उदार बहस, जिसे वे प्रोत्साहित करना चाहते थे, अपने आप में एक दुर्घटना बन गई है, जिसने उस मंच को प्रदान करने के उद्देश्य को पराजित कर दिया है। फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए इस बात से इनकार करने में बहुत देर हो चुकी है कि वे उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए सामग्री और समाचारों को व्यक्तिगत बनाने के लिए कुछ मानवीय हस्तक्षेप के साथ एल्गोरिदम (जो निर्देशों के अनुक्रम हैं) का उपयोग करते हैं। एल्गोरिदम सामाजिक सहित कई कारकों के आधार पर सामग्री का चयन करते हैं।

4 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2016, यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: //भाषाएँ। oup. कॉम/वर्ड-ऑफ-द-ईयर/2016/।

5 के. गेसन, परिचय, 26, इन ऑल आर्ट इज प्रोपेगैंडा देखें। आलोचनात्मक निबंध (जी. ऑरवेल और अन्य। अल। , 2008) . ' डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल समिति, यू. के. हाउस ऑफ कॉमन्स, दुष्प्रचार और 'नकली समाचार': अंतिम रिपोर्ट, 20-44 (18/02/2019), यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: / /प्रकाशन। संसद। यू. के./पी. ए./सी. एम. 201719/सी. एम. सेलेक्ट/सी. एम. क्यूमड्स/1791/1791। पीडीएफ।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

उपयोगकर्ता के संपर्क, स्थान और पिछली ऑनलाइन गतिविधि। ये एल्गोरिदम अक्सर दोहराए जाने में सक्षम पूर्वाग्रहों के साथ उद्देश्य से बहुत दूर होते हैं।

और प्रबलित किया। इस प्रकार, फेसबुक द्वारा निभाई गई भूमिका अधिक सक्रिय है और उतनी हानिरहित नहीं है जितनी अक्सर तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार करते समय प्रस्तुत की जाती है। सामग्री।

जहाँ फेसबुक कर्मचारियों द्वारा किसी तरह याद किए गए गलत सूचनाओं और पोस्टों ने हिंसा को बढ़ावा देने में मदद की। मंच ने इसी तरह श्रीलंका में मंच के दुरुपयोग के स्पष्ट संकेतों के लिए अपनी गंभीर प्रतिक्रिया की कमी के लिए माफी मांगी, जिसके बारे में फिर से कहा जाता है कि इसने देश में 2018 में व्यापक हिंसा को उकसाया था और इसे विनियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा, हालांकि सटीक तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है और कानून बनाने वाले प्राधिकरण का एक विशेषाधिकार है। 7. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा फेसबुक जैसे मंचों को कुशल तरीके से विनियमित करने के तरीकों के लिए उपरोक्त प्रयासों के आलोक में प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनके प्रयास अभी भी एक प्रारंभिक चरण में हैं क्योंकि इसे समझने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

मंच की गतिशीलता और इसकी विघटनकारी क्षमता। एक हालिया उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा कानून बनाने का प्रयास रहा है जिसकी आवश्यकता होगी।

फेसबुक प्रकाशकों को उनकी समाचार कहानियों का उपयोग करने के लिए भुगतान करेगा। इस कानून को राजनीतिक विमर्श, समाज और लोकतंत्र पर मंच के अनियंत्रित प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया था। जवाब में, फेसबुक ने देश भर में अपने प्लेटफॉर्म पर सभी खबरों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ छूट मिली, लेकिन अंततः मीडिया के माध्यम से। अमेरिका ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों से रूस द्वारा कथित रूप से फेसबुक जैसे मंचों द्वारा सुगम बनाए जाने के कथित हस्तक्षेप के आरोपों के साथ गरमागरम बहस भी देखी है। पिछले साल, यूरोपीय संघ ने तैयार किया था

7 1 फेसबुक स्वीकार करता है कि इसका उपयोग म्यांमार में ऑफ़लाइन हिंसा भड़काने के लिए किया गया था, बीबीसी (06/11/2018), यहाँ उपलब्धः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. सी. com/समाचार/विश्व-एशिया-46105934। जोशुआ ब्रुस्टीन, फेसबुक ने श्रीलंकाई हिंसा में भूमिका के लिए माफी मांगी, ब्लूमबर्ग (13/05/2020), यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ब्लूमबर्ग। com/समाचार/लेख/2020-05-12 फेसबुक श्रीलंका में हिंसा में भूमिका के लिए माफी मांगता है।

डिजिटल सेवा अधिनियम और डिजिटल बाजार अधिनियम नामक विधायी प्रस्ताव, मंचों के पालन के लिए नियम निर्धारित करते हैं।

8

हाथ बंद करने का दृष्टिकोण, जिन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें संसद द्वारा गठित उप समितियों की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है या विधान सभाएँ। फेसबुक जैसे मंचों की अपार शक्ति ने न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी है

संसार को। प्रयास एक ओर घृणापूर्ण भाषण और फर्जी खबरों से निपटने और दूसरी ओर वैध भाषण को दबाने के बीच एक रेखा खींचने का रहा है जो सत्ता में बैठे लोगों को असहज कर सकता है। इस नाजुक संतुलन को अब तक केवल मध्यस्थों द्वारा मूल्य-तटस्थ होकर बनाए रखा गया है। इसका महत्व एक ऐसे लोकतंत्र में अधिक है जो स्वयं कुछ मूल मूल्यों पर आधारित है। यह अभूतपूर्व डिग्री प्रभाव के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता होती है। मंचों और मध्यस्थों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक भलाई के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में मुख्य उद्देश्य को पूरा करना चाहिए।

9. हमारे देश की सरासर आबादी इसे महत्वपूर्ण बनाती है।

फेसबुक के लिए गंतव्य। हम स्थानीय संस्कृति, भोजन, कपड़े, भाषा, धर्म, परंपराओं में संभवतः पूरे यूरोप की तुलना में अधिक विविध हैं और फिर भी अब आमतौर पर 'विविधता में एकता' कहा जाता है। इसे किसी भी कीमत पर या किसी भी घोषित स्वतंत्रता के तहत फेसबुक जैसे दिग्गज द्वारा अज्ञानता या किसी महत्वपूर्ण भूमिका की कमी का दावा करके बाधित नहीं किया जा सकता है।

तथ्यात्मक संदर्भः

10. हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 24 से 29 फरवरी, 2020 के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा हुई। इससे जान-माल का नुकसान हुआ और दिल्ली में नागरिक सेवाओं का कामकाज बाधित हुआ। इसकी जरूरत नहीं है।

यूरोपीय संसद, सोशल मीडिया और लोकतंत्रः हमें कानूनों की आवश्यकता है, न कि प्लेटफॉर्म दिशानिर्देशों (10/02/2021) पर सुलभः HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूरोप। यूरोप। ईयू/समाचार/एन/सुर्खियाँ/समाज / 20210204 एस. टी. ओ. 97129/सोशल-मीडिया-और-लोकतंत्र-हमें-कानूनों की आवश्यकता है-मंच दिशानिर्देशों की नहीं।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

यह कहा जा सकता है कि इस तरह की किसी भी अन्य घटना की तरह, इसने भी राजनीतिक रंग ले लिया। इसने समाज में विभाजन पैदा कर दिया और राजनीतिक संबद्धताओं के लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे।

11. इन दंगों के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ("विधानसभा") की विधान सभा ने संकल्प लिया कि

श्री राघव चड्ढा, सदस्य, विधान सभा की अध्यक्षता में शांति और सद्भाव पर एक समिति ("समिति") का गठन करना ताकि अन्य बातों के साथ-साथ "उन कारकों और स्थितियों पर विचार किया जा सके जो

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं और इन उपायों का सुझाव दिया जा सके -

ऐसे कारकों को समाप्त करें और ऐसी स्थितियों से निपटें ताकि विभिन्न धार्मिक या भाषाई समुदायों या सामाजिक समूहों के बीच सद्भाव स्थापित किया जा सके। यह विधानसभा और समिति का कहना है कि यह उनका है

उद्देश्य यह पता लगाना कि क्या हुआ और इसके लिए सिफारिशें तैयार करना

सुनिश्चित करें कि ऐसा फिर से न हो। विधानसभा द्वारा जारी दिनांक 12.03.2020 समिति के संदर्भ की शर्तों को निकालना उचित है।

सचिवालय निम्नानुसार है:

" विधायी असम्बली सचिवालय

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

बुलेटीन भाग-II

(विधायी और अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

गुरुवार 12 मार्च, 2020/22, फाल्गुन, 1941 (शक)

नहीं। : 11

विषय: शांति समिति के संदर्भ की शर्तें

और सद्भाव। माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है -

02.03.2020 पर गठित शांति और सद्भाव समिति:

ऐसी स्थितियों के साथ ताकि विभिन्न धार्मिक या भाषाई समुदायों या सामाजिक समूहों के बीच सद्भाव स्थापित किया जा सके। 2. समिति में नौ सदस्य होंगे जो होंगे -

अध्यक्ष द्वारा नामित।

3. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। 4. समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:

(i) किसी विशेष क्षेत्र/क्षेत्रों में प्रचलित स्थितियों पर जनता, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों आदि की याचिकाओं, शिकायतों या रिपोर्टों पर विचार करना।

सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बाधित करना या जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और विस्तार से जांच करना और इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना।

((ii) स्थिति को शांत करने और धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव बहाल करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

समुदाय या सामाजिक समूह।

((ग) उन व्यक्तियों को पहचानना, पुरस्कृत करना और सम्मानित करना जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के कृत्यों के दौरान साथी नागरिकों की सुरक्षा में भूमिका निभाई, या ऐसी कोई गतिविधि की जिससे राज्य में शांति बहाल हुई।

((iv) उन व्यक्तियों को पहचानना, पुरस्कृत करना और सम्मानित करना जिनके लिए

सूचना के परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगों के दौरान किए गए अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर. एस.) का पंजीकरण हुआ।

(vi) राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना। (vii) ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय पाए जाते हैं या हिंसा के लिए उकसाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है।

((viii) समिति के उद्देश्यों के अनुरूप मोटे तौर पर ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति को उचित लगे या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो।

((ix) समिति अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो समिति अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप सकती है जो इसे सरकार को भेज सकते हैं।

आवश्यक के लिए अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

उस पर कार्रवाई करें। सचिव मेज पर रिपोर्ट रखेगा -

(x) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद समिति द्वारा सदन, सरकार। उचित कार्रवाई करेंगे।

रिपोर्ट और एक पूर्ण बयान में निपटाए गए मामले में

उस पर सभी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में निर्धारित किया जाएगा सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के दो सप्ताह के भीतर सदन।

(xi) शिकायतों/रिपोर्टों आदि पर विचार करने/जांच करने में,

समिति विशेषज्ञों की सेवाओं को नियुक्त कर सकती है। (xii) अध्यक्ष समाप्ति पर समिति का पुनर्गठन करेगा।

अपनी अवधि के लिए।

(xiii) इन नियमों में दिए गए मामलों को छोड़कर, अन्य

समिति के संबंध में मामलों को निम्नानुसार निपटाया जाएगा - समितियों से संबंधित सामान्य नियम।

(xiv) अध्यक्ष ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन पर वह विचार करे।

सभी के संबंध में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए आवश्यक

किसी भी प्रश्न पर विचार करने वाले मामले जो हो सकते हैं

समिति के सामने लाया गया। (xv) समिति के पास सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

विधायिका की समितियों के लिए उपलब्ध उन्मुक्ति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा।

सी. वेलमुरुगन

सचिव

"

(जोर दिया गया)

12. ऐसा प्रतीत होता है कि पहली सार्वजनिक सभा 05.03.2020 पर आयोजित की गई थी,

जिसमें धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न लोगों ने भाग लिया

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी। समिति का कहना है कि हजारों शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें सुझाव दिया गया था कि फेसबुक का उपयोग नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। "फेसबुक की नफरत-भाषण नियम भारतीय राजनीति के साथ टकराते हैं" ("लेख") शीर्षक से वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेख ने इसे और बढ़ावा दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सत्तारूढ़ दल और हिंदू कट्टरपंथियों के प्रति पक्षपात का एक व्यापक पैटर्न था। लेख को भी गंभीर बना दिया गया।

घृणापूर्ण भाषण सामग्री को संबोधित करने में फेसबुक इंडिया की ओर से चूक के आरोप।

13. उपरोक्त के परिणामस्वरूप दो महत्वपूर्ण विकास हुए। द.

पहला यह था कि 20.08.2020 पर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ("संसदीय समिति") ने एक नोटिस जारी कर श्री अजीत मोहन, याचिकाकर्ता संख्या 1, याचिकाकर्ता संख्या 2 फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से 02.09.2020 पर संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया। नोटिस में कहा गया है कि समिति "नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और डिजिटल क्षेत्र में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के विषय पर फेसबुक इंडिया के विचार मांग रही है।

पत्र इस प्रकार है:

" सबसे अधिक तत्काल

लोक सभा सचिव

(सूचना पर स्थायी समिति

प्रौद्योगिकी शाखा)

फैक्स: 23010756

संसद भवन

एनेक्स

नई दिल्ली-110001

20 अगस्त, 2020

No.18/1 (iv)/IT/2020

से

वाई. एम. कांडपाल

निर्देशक

को।

श्री अजीत मोहन

उपाध्यक्ष और एम. डी.

7 प्रथम तल, पार्श्वनाथ कैपिटल टावर्स, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट,

नई दिल्ली-110001।

विषय: 'नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सामाजिक/ऑनलाइन समाचार मीडिया मंचों के दुरुपयोग की रोकथाम' विषय की जांच

XXXX TMOHAN v. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

साहब,

मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि स्थायी समिति

बुधवार को होने वाली उनकी बैठक में उपरोक्त विषय, 2 सितंबर, 2020 को 1600 बजे से। मुख्य समिति में आगे

कमरा, संसद भवन अनुलग्नक, नई दिल्ली।

3. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि

फेसबुक इंडिया के समक्ष उपस्थित होना सुविधाजनक बना सकता है

उक्त तिथि, समय और स्थान पर समिति। नाम /

फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों के पदनाम जो

समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए इस सचिवालय को सूचित किया जा सकता है

27 अगस्त, 2020 तक या उससे पहले सकारात्मक रूप से। कोविड को देखते हुए

19 महामारी, आपसे संख्या को सीमित करने का अनुरोध किया जाता है

प्रतिनिधि जो 2 तारीख को निर्धारित बैठक में भाग लेंगे

सितंबर, 2020 अधिकतम 5 व्यक्तियों के लिए।

4. आप अपने विचारों पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

बैठक से पहले समिति को इस विषय पर टिप्पणी दें। इसे comit@sansad पर ई-मेल किया जा सकता है। ठीक है। में।

5. बैठक स्थल पर प्रवेश पास यहाँ से एकत्र किए जा सकते हैं

आई. टी. समिति शाखा को पहले से।

6. पालन किए जाने वाले आचरण और शिष्टाचार की एक प्रति

समिति के समक्ष उपस्थित गैर-आधिकारिक गवाहों द्वारा

आपके मार्गदर्शन के लिए अनुलग्नक-I में संलग्न है।

आपकी वफादारी से,

एसड

ी /

निर्देशक

दूरभाष No.23034388/5235

comit@sansad । ठीक है। में "

14. उपरोक्त पत्र के साथ अनुलग्नक-I संलग्न किया गया था।

संसदीय समितियों या उनकी उप-समितियों के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों के मार्गदर्शन के लिए आचरण के बिंदु और शिष्टाचार, जो अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 8 में यह निर्धारित करते हैं कि संसदीय समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना क्या होगी। ने कहा कि

अनुलग्नक इस प्रकार है:

" अनुलग्नक-I

के लिए आचरण और शिष्टाचार के बिंदु

संसदीय समितियाँ या उनकी उप-समिति समितियाँ।

गवाहों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए।

संसदीय समिति के समक्ष पेश होना:

अध्यक्ष और समिति/उप-समिति के प्रति उचित सम्मान

1 .

समिति को गवाह द्वारा झुकते हुए दिखाया जाना चाहिए।

अपनी सीट ले रहा है। गवाह को विपरीत दिशा में उसके लिए निर्धारित सीट लेनी चाहिए।

2 .

सभापति के आसन तक।

3 .

यदि ऐसा है तो गवाह को शपथ लेनी चाहिए या पुष्टि करनी चाहिए।

सचिव द्वारा प्रशासित। गवाह ले जाएगा अपनी सीट पर खड़े होकर शपथ लें या प्रतिज्ञा करें और उन्हें नमन करें

शपथ लेने या लेने से ठीक पहले कुर्सी

पुष्टि और तुरंत बाद में। गवाह को उससे पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

4 .

या तो अध्यक्ष द्वारा या समिति के किसी सदस्य द्वारा या सभापति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। द.

गवाह को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है

अन्य बिंदु जिन्हें शामिल नहीं किया गया है और जो एक गवाह है

विचार समिति के समक्ष रखे जाने के लिए आवश्यक हैं।

5 .

अध्यक्ष और समिति को सभी प्रस्तुतियाँ होनी चाहिए विनम्र और विनम्र भाषा में।

6 .

जब साक्षय पूरा हो जाता है, और गवाह से पूछा जाता है

पीछे हटने के लिए, उसे जाते समय कुर्सी के सामने झुकना चाहिए।

7 .

जब गवाह बैठा हो तो उसे धूम्रपान या चबाना नहीं चाहिए। समिति के समक्ष।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

के नियमों के नियम 270 के प्रावधानों के अधीन

8 .

लोकसभा में कार्य की प्रक्रिया और संचालन, गवाह को ध्यान देना चाहिए कि निम्नलिखित अधिनियमों का गठन होगा

विशेषाधिकार हनन और समिति की अवमानना:

प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना।

(अ)

(ख)

पूर्वनिर्धारण या जानबूझकर गलत साक्षय देना या

सच्चाई को दबाना या समिति को गुमराह करना।

((ग)

समिति के साथ खिलवाड़; अपमानजनक रूप से लौटना

जवाब देते हैं।

किसी संबंधित सामग्री दस्तावेज़ को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना

((घ)

पूछताछ के लिए।

गवाह को सेलुलर फोन अंदर नहीं लाना चाहिए।

9 .

संसद भवन परिसर।

XXXX "

15. श्री अजीत मोहन, याचिकाकर्ता संख्या 1, विधिवत संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने विचार प्रस्तुत किए। 16. दूसरा विकास 31.08.2020 पर हुआ जब समिति के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ("प्रेस")।

सम्मेलन ") जिसमें उन्होंने 25.08.2020 और 31.08.2020 के बीच आयोजित सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का सारांश दिया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने कहा कि यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि फरवरी, 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान फेसबुक ने निहित स्वार्थों के साथ सांठगांठ की थी। अध्यक्ष द्वारा इस आशय की टिप्पणी भी की गई थी कि फेसबुक को एक सह-अभियुक्त के रूप में माना जाना चाहिए और एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

दंगों में अपनी भूमिका निभाई। यह कहा गया था कि यदि जांच में फेसबुक के खिलाफ मजबूत सबूत सामने आए, तो एक पूरक

इस संबंध में आरोप-पत्र दायर किया जाना चाहिए (हम यहां स्वयं ध्यान दे सकते हैं कि बहस के दौरान लिया गया रुख यह था कि ये अध्यक्ष के अपने विचार नहीं थे, बल्कि केवल समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचार थे)। चूंकि फेसबुक की बात नहीं सुनी गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि लिखित में कोई भी कार्रवाई करने से पहले फेसबुक

समिति के समक्ष उपस्थित होने का मौका दिया जाना चाहिए। नतीजतन, उपस्थिति के लिए नोटिस 10.09.2020 ("पहले आक्षेपित") पर जारी किया गया था।

फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री अजीत मोहन को विधानसभा द्वारा सम्मन ")। प्रथम आक्षेपित समन ने [2021] 14 एस. सी. आर. पर आरोप लगाने वाली कई शिकायतों के तथ्य पर प्रकाश डाला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऑनलाइन घृणापूर्ण भाषण से निपटने में फेसबुक की ओर से जानबूझकर चूक और जानबूझकर निष्क्रियता। लेख को भी संदर्भित किया गया था और श्री अजीत मोहन को फेसबुक इंडिया के आंतरिक कामकाज और नीतियों के प्रवर्तन के संबंध में समिति को अंतर्दृष्टि देने के लिए कहा गया था, जो उनके पास विशेष ज्ञान था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें 15.09.2020 पर समिति के समक्ष शपथ पर गवाही देने के लिए गवाह के रूप में बुलाया जा रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री अजीत के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में कोई परिणाम नहीं बताया गया था

मोहन ने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। वही नीचे पढ़ा गया है:

" विधिसम्मत रूप से

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

पुराना सचिव, दिल्ली 110054।

उपस्थिति के लिए सूचना/समन

No.24/3/P & H/2020/LAS-VII/लेग। / 33

तारीख:

10.09.2020

को,

भारत-फेसबुक,

पता: -1

पता: -2

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड वन बी. के. सी.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

स्तर-17, डी. एल. एफ. होराइजन बिल्डिंग,

टू होराइजन सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, बांद्रा (ई)

मुंबई, भारत-400051

गुरुग्राम, हरियाणा 122022

विषय: दिल्ली विधानमंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना

शांति और सद्भाव पर विधानसभा की समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली। दिल्ली विधान सभा की 'शांति और विकास' समिति

माननीय विधान सभा सदस्य की अध्यक्षता में 'सद्भाव'

विभिन्न देशों के बीच सामंजस्य, शांति और शांति का वातावरण दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले समुदाय।

टी. मोहन वी. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

उल्लेखनीय है कि समिति को कई शिकायतें मिली हैं

अन्य बातों के साथ-साथ जानबूझकर चूक और जानबूझकर निष्क्रियता का आरोप लगाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा-फेसबुक घृणापूर्ण भाषण लागू करेगा नियम और नीतियाँ जिनके कारण कथित रूप से गंभीर परिणाम हुए हैं

और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बाधित करना। ए. कुछ शिकायतकर्ताओं ने भी काफी ताकत हासिल की है

द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट

14.08.2020 , शीर्षक 'फेसबुक की नफरत-भाषण नियम टकराते हैं'

भारतीय राजनीति '। समिति ने तुरंत संज्ञान लिया था जाँच की गई शिकायतों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और

इस संबंध में कार्यवाही शुरू की, जिसके अनुसार कई गवाहों से पूछताछ की गई है।

महत्वपूर्ण रूप से, उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर फेसबुक इंडिया इकाई जिसका आप 2019 से नेतृत्व कर रहे हैं,

आप, प्राप्तकर्ता, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में

फेसबुक इंडिया और उसी के प्रतिनिधि के रूप में, सबसे अच्छे हैं

फेसबुक के संबंध में समिति को अंतर्दृष्टि देने के लिए उपयुक्त

भारत की आंतरिक कार्यप्रणाली और नीतियों का प्रवर्तन, और इस प्रकार,

इस संबंध में आपका विशेष ज्ञान अनिवार्य होगा

समिति वर्तमान मुद्दे की जांच कर रही है।

इसे ध्यान में रखते हुए, माननीय की अध्यक्षता में समिति

(एस. आई. सी.) विधायक श्री राघव चड्ढा, आपको पता देने वाले के रूप में बुलाते हैं। शपथ पर गवाही देने और अपनी सहायता देने के लिए गवाह

प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करके

आरोपों की सच्चाई के निर्धारण में सुचारू रूप से तेजी लाना।

शिकायतों और बयानों में फेसबुक के खिलाफ मामला दर्ज समिति के समक्ष। इसके अनुसरण में, हम एतद्द्वारा बुलाते हैं

आप, प्राप्तकर्ता, 15 तारीख को समिति के समक्ष उपस्थित होंगे

सितंबर, 2020 दोपहर 12 बजे विधायक लाउंज-1, दिल्ली विधान में सभा, शपथ पर आपके बयान को दर्ज करने के उद्देश्य से और

समिति द्वारा की गई कार्यवाही में भाग लेना।

(उप सचिव)

शांति और सद्भाव समिति

एन. सी. टी. दिल्ली

पीएच-011-23890384

ईमेल आईडी dvscommittee@delhi। गव.

"[2021] 14

एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. श्री विक्रम लंगेह, न्यास और सुरक्षा निदेशक,

फेसबुक ने 13.09.2020 दिनांकित एक जवाब भेजा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि फेसबुक की आंतरिक नीतियां उपयोगकर्ता की सुरक्षा की रक्षा करना चाहती हैं और अभद्र भाषा की सामग्री से निपटने के लिए विभिन्न तंत्रों पर भी जोर दिया गया है। फेसबुक द्वारा संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने का तथ्य भी सामने आया। एक याचिका दायर की गई थी कि फेसबुक जैसे मध्यस्थों के विनियमन की भूमिका पूरी तरह से भारत संघ के अनन्य अधिकार के भीतर आती है, जिसके तहत संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") लागू किया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का विषय भारत संघ के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। इन दलीलों पर प्रथम विवादित समन पर आपत्ति जताई गई और उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया गया। जवाब इस प्रकार है:

" फेसबुक

13 सितंबर, 2020

को,

माननीय सभापति जी,

शांति और सद्भाव समिति,

दिल्ली विधान सभा, एन. सी. टी. दिल्ली।

विषय: दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस का जवाब

शांति और सद्भाव पर विधानसभा की समिति, एन. सी. टी.

दिल्ली का दिनांक 10 सितंबर, 2020

माननीय सभापति जी,

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसकी प्राप्ति हो गई है।

दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति (" समिति ")।

फेसबुक, इंक. ("फेसबुक") फेसबुक का संचालन और प्रबंधन करता है।

मंच, और भारत में उपयोगकर्ताओं को फेसबुक सेवा प्रदान करता है।

फेसबुक ने समिति की चिंताओं को साझा किया ऑनलाइन घृणापूर्ण भाषण का प्रसार और इसे मजबूत तरीके से लागू किया गया है

फेसबुक के प्लेटफार्मों पर इसके प्रसार को रोकने के उपाय। फेसबुक उन व्यक्तियों और समूहों को प्रतिबंधित करता है जो घृणित और हिंसक होने की घोषणा करते हैं

इसके प्लेटफार्मों पर उपस्थिति होने से मिशन। फेसबुक की मांग

अपने व्यापक मानकों को समान रूप से लागू करने के लिए और पहचान की है

दुनिया भर में ऐसे व्यक्तियों और समूहों की एक श्रृंखला।

आईटी मोहन वी. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए दुनिया की कुछ सबसे उन्नत प्रणालियों का भी निर्माण किया है, प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर का निवेश किया है और सुरक्षा पर काम करने के लिए हजारों लोगों को काम पर रखा है। इन प्रयासों के आधार पर, हमने 2020 की दूसरी तिमाही में घृणापूर्ण भाषण सामग्री के 22.5 लाख टुकड़ों को हटा दिया (2017 की अंतिम तिमाही में केवल 16 लाख घृणापूर्ण भाषण के टुकड़ों को हटा दिया गया था), जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत को हमने इसकी सूचना देने से पहले ही हटा दिया था। फेसबुक घृणापूर्ण भाषण का मुकाबला करने के तरीके के बारे में अधिक पारदर्शी होने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से एक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो इसके बारे में विवरण प्रदान करता है।

उल्लंघन करने वाली सामग्री को रोकने और कार्रवाई करने के लिए फेसबुक द्वारा उठाए गए कदम

उनकी नीतियाँ। इस विषय के महत्व को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ("संसदीय स्थायी समिति")

समिति) "नागरिकों के अधिकारों की रक्षा" में अपनी जांच के एक हिस्से के रूप में आपके नोटिस में उठाए गए मुद्दों की जांच कर रही है। हमने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष गवाही दी। हम संसदीय स्थायी से प्राप्त नोटिस को संलग्न कर रहे हैं।

जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मध्यस्थों का विनियमन जैसे फेसबुक भारत संघ के अनन्य अधिकार के अंतर्गत आता है और "संचार" को विनियमित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "कानून और व्यवस्था" का विषय भी विशेष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

भारत संघ।

यह देखते हुए कि सूचना द्वारा उठाए गए मुद्दों में भारत संघ के अनन्य क्षेत्र के भीतर विषय शामिल हैं, और यह कि

संसद द्वारा मामलों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है, हम

नोटिस पर सम्मानपूर्वक आपत्ति करें और अनुरोध करें कि आप इसे याद रखें। फेसबुक बिना किसी पूर्वाग्रह के नोटिस का जवाब देता है, और

अपने किसी भी और सभी अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखता है।

ईमानदारी से,

फेसबुक के लिए विक्रम लंगेह

निदेशक,

ट्रस्ट एंड सेफ्टी, फेसबुक। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. उपरोक्त समिति को स्वीकार्य नहीं था, जिसने इस बार 18.09.2020 पर फेसबुक की प्रतिक्रिया का जवाब तैयार किया। श्री अजीत मोहन और श्री विक्रम लंगेह दोनों को संबोधित करते हुए। जवाब के साथ संलग्न तीन अनुलग्नक थे: (क) समिति के संदर्भ की शर्तें ("संदर्भ की शर्तें"); (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 ("जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम") की धारा 18 और 37; और (ग) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा ("नियम") में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 172 के तहत श्री अजीत मोहन ("दूसरा विवादित समन") को नए समन जारी किए गए।

20. यह उपरोक्त दूसरा विवादित समन है जिसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही को दाखिल करने की शुरुआत की। श्री अजीत मोहन द्वारा फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पहली याचिकाकर्ता के रूप में, जो दूसरा याचिकाकर्ता है। तीसरा याचिकाकर्ता मूल कंपनी, फेसबुक इंक, यूएस है। उत्तरदाताओं की श्रृंखला में पहले उत्तरदाता के रूप में विधानसभा शामिल है जबकि उत्तरदाता संख्या। 2 इनमें से 4 भारत संघ हैं, जिनका प्रतिनिधित्व विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल हैं। उत्तरदाता सं। 5 & 6 क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा हैं। दिल्ली पुलिस को 7 वें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। हम ध्यान दे सकते हैं कि कार्यवाही के दौरान समिति को एक पक्ष के रूप में शामिल करने

की मांग की गई थी और 20.01.2021 दिनांकित सहमति आदेश के संदर्भ में उक्त संस्था को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी। रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

" ए। 10 सितंबर के विवादित समन को दरकिनार करते हुए मंडमस की प्रकृति में एक रिट/आदेश या निर्देश जारी करें,

2020 और 18 सितंबर, 2020;

बी। प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए निषेध की प्रकृति में एक रिट/आदेश या निर्देश जारी करें।

समन;

सी। कोई भी रिट, निर्देश या आदेश जारी करें या पारित करें, जो इस माननीय

न्यायालय तथ्यों के तहत उपयुक्त और उचित समझ सकता है और मामले की परिस्थितियाँ।

21. 23.09.2020 पर, पक्षों के वकील की उपस्थिति में, नोटिस जारी किया गया था। डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने निर्देश पर कहा कि उक्त तिथि के लिए निर्धारित बैठक पहले ही स्थगित कर दी गई है और सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के लिए आगे कोई बैठक तय नहीं की जाएगी। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या की भूमिका के बारे में न्यायालय के प्रश्न पर। 5 और 6 (क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा), श्री हरीश साल्वे, याचिकाकर्ता संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। 1 और 2 ने प्रस्तुत किया कि उनकी सेवा करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हालांकि कोई राहत का दावा नहीं किया गया था,

ऐसी धारणा थी कि दिल्ली सचिवालय और केंद्र सरकार के सचिवालय के बीच शक्तियों की कुछ परस्पर क्रिया हो सकती है।

21.01.2021 पर जारी किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे सामने चर्चा हुई थी इसके बाद कई तिथियां हुईं और सुनवाई 24.02.2021 पर समाप्त हुई। हमने दर्ज किया कि वकीलों ने 26 घंटे की अवधि में बहस की थी, निर्णय लिखने का काम हमारे ऊपर छोड़ दिया था-जिसे हम अभी करना चाहते हैं।

23. इस स्तर पर, हमें एक महत्वपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए जो कार्यवाही के दौरान उत्पन्न हुआ, संभवतः

न्यायालय द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न, याचिकाकर्ता संख्या 1 को जारी किए गए समन, और याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए कुछ प्रस्तुतियों के कारण। हमारे सामने एक हलफनामा रखा गया था (जैसा कि 04.02.2021 की कार्यवाही में दर्ज किया गया था) जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता संख्या 1 को दिनांक 10.09.2020 को जारी किए गए दो विवादित समन थे। और 18.09.2020 वापस ले लिया गया। 03.02.2021 ("द न्यू समन") पर याचिकाकर्ता संख्या 2, यानी अकेले फेसबुक इंडिया को एक नया नोटिस जारी किया गया था। 03.02.2021 दिनांकित नया समन इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" विधिसम्मत रूप से

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

पुराना सचिव, दिल्ली 1100 54

शांति और सद्भाव समिति

No.24/3/P & H/2020/LAS-VII/लेग।/ 1305

तारीख: 03.02.2021

उपस्थिति के लिए सूचना/समन

को,

स्तर-17, डी. एल. एफ. होराइजन बिल्डिंग, टू होराइजन सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड,

डी. एल. एफ. चरण 5, सेक्टर 43,

गुरुग्राम, हरियाणा 122022 विषय: विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 172 के तहत उपस्थिति के लिए सूचना

दिल्ली के एन. सी. टी.

1. पहले के नोटिस (ओं)/दिनांक 10.09.2020 और 18.09.2020 के समन के स्थान पर, उपस्थिति के लिए वर्तमान नोटिस जारी किया जा रहा है।

2. मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने फरवरी 2020 में अभूतपूर्व सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा देखी थी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने शांति पर एक समिति का गठन किया है। श्री की अध्यक्षता में सद्भाव। राघव चड्ढा विधानसभा के अन्य माननीय सदस्यों के साथ

स्थिति को शांत करने और धार्मिक समुदायों, भाषाई समुदायों के बीच सद्भाव बहाल करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना या

सामाजिक समूह। समिति का उद्देश्य शासन, सामाजिक मुद्दों से संबंधित निवारक और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना है।

एकता, एकता, भाईचारा और शांति। समिति का उद्देश्य आगे समग्र सामाजिक और टी मोहन बनाम को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करना है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

साम्प्रदायिक स्थापना के संदर्भ में आर्थिक विकास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समाज में सद्भाव और शांति।

3. उपरोक्त विषय और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए

अपने साक्षय प्रस्तुत करने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए हैं और सुझाव देते हैं। समिति ने अवलोकन किया है और उसकी राय है

कि प्रसार को रोकने में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है

झूठे, उत्तेजक और दुर्भावनापूर्ण संदेशों का प्रसार

हिंसा और वैमनस्य।

उनकी बैठक 25 फरवरी, 2021 को 11 से आयोजित होने वाली है। सुबह से विधायक लाउंज-1, विधानसभा परिसर, पुराना

सचिवालय, दिल्ली-110054 प्रक्रिया के नियमों के अनुसार और

सदन के कामकाज का संचालन।

5. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि एक सक्षम वरिष्ठ प्रतिनिधि (ओं)

उक्त तिथि, समय और स्थान पर समिति के समक्ष उपस्थित हों। एक गवाह। प्रतिनिधियों के नाम/पदनाम

फेसबुक इंडिया जो समिति के सामने पेश हो सकता है 24 फरवरी, 2021 तक या उससे पहले इस सचिवालय को सूचित किया गया

सकारात्मक रूप से। कोविड-19 महामारी के कारण आपसे अनुरोध किया जाता है प्रतिनिधियों की संख्या को न्यूनतम तक सीमित करना।

ऊपर, प्रक्रिया और आचरण के नियमों के संदर्भ में हो सकता है दिल्ली के एन. सी. टी. की विधान सभा में कामकाज ने नेतृत्व किया

विशेषाधिकार हनन/अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करना

सभा।

7. उपर्युक्त अधिस्थगन के आलोक में, पूर्व सूचना / 10.09.2020 और 18.09.2020 दिनांकित समन वापस ले लिए गए हैं

एसडी /

(दयानंद साह)

उप सचिव

पीएच-011-23890384

ई-मेल आईडी: dvscommittee@delhi।गव.

जबकि दूसरी ओर एक मध्यवर्ती इकाई के रूप में, विशेष रूप से, डॉ. धवन का रुख यह था कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी! इस पर हम कहते हैं अधिक नहीं।

प्रस्तुतियाँ

26. श्री साल्वे ने अपनी शुरुआती दलीलों में इस मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया कि एक तरफ, किसी को उस सच्चे इरादे पर विचार करना होगा जिसके साथ

समन जारी किए गए। संक्षेप में, यह उनका कहना था कि इसका उद्देश्य एक पूरक आरोप पत्र दायर करना और फेसबुक को शामिल करना था। पुष्टि करने के लिए

इस विवाद में, वह तीन कारकों का उल्लेख करता है, अर्थात (क) समिति के संदर्भ की शर्तों के 4 (i) के साथ पठित पैरा 4 (vii); (ख) अनुच्छेद और (ग) दिनांकित प्रेस कॉन्फ्रेंस 31.08.2020।

27. उपरोक्त राजनीतिक रूप से क्या था, इसकी पृष्ठभूमि में था।

ध्रुवीकृत मुद्दा और श्री साल्वे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का इस तरह की बहस का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं था। मूल कंपनी (फेसबुक इंक.) अमेरिका में स्थित एक मध्यस्थ होने के नाते, इस राजनीतिक लड़ाई में शामिल होने की शायद ही उम्मीद की जा सकती थी, जो जारी किए गए समन का आधार बना। इस बात पर जोर दिया गया कि समिति के कार्य दंडात्मक कार्रवाई के एक स्पष्ट और वर्तमान खतरे के बराबर थे, जो कि अजीत मोहन बनाम था।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

याचिकाकर्ता संख्या 1 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। की प्रक्रिया में उनके तर्कों के नोट को पढ़ते हुए, जो विभिन्न बारीकियों के साथ अधिक विस्तृत थे, मोटे तौर पर चार मुद्दों को चित्रित किया गया था:

क्या किसी सदन को किसी व्यक्ति को देने के लिए बुलाने का विशेषाधिकार है

साक्षय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका हिस्सा नहीं है कार्यकारी?

क्या विशेषाधिकार की शक्तियों का विस्तार किसी व्यक्ति को बुलाने और उन्हें तथ्य के मामलों पर साक्षय देने या किसी भी विषय पर उनकी राय लेने के लिए मजबूर करने तक है?

यदि वास्तव में कोई विशेषाधिकार मौजूद है, तो किसी व्यक्ति के निजता और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ सामंजस्य कैसे किया जा सकता है?

भाषण?

क्या सदन उस विषय वस्तु से बाधित है जो अपने विधायी कार्यों से संबंधित सदन के कार्य का एक हिस्सा है?

श्री साल्वे द्वारा प्रचार किए गए इन चार मुद्दों के आलोक में, हम प्रस्ताव करते हैं

विस्तृत तर्कों को निर्धारित करना और उसके बाद तीन व्यापक शीर्षों के तहत हमारे विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना-(ए) विशेषाधिकार का मुद्दा, (बी) विशेषाधिकार, गोपनीयता और स्वतंत्र भाषण का अधिकार और (सी) विधायी क्षमता।

विशेषाधिकार का मुद्दा

बाधाएं जो सदस्यों या गैर-सदस्यों के कारण हो सकती हैं। विद्वान वकील ने कुछ न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करने की मांग की इस तरफ से।

[2021] 14

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) कर्नाटक राज्य में v. भारत संघ 'कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग से संबंधित कार्यवाही। चुनौती राज्य सरकार द्वारा दी गई थी जिसे एक असहमत न्यायाधीश के साथ छह न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 194 (3) में इंगित की जाने वाली "शक्तियां" स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि ऐसी शक्तियां हैं जो व्यवसाय के संचालन के लिए निर्भर करती हैं और आवश्यक हैं।

हर घर से। इस प्रकार, उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में विस्तारित नहीं किया जा सका। संविधान संप्रभु या सर्वोच्च है और इस प्रकार, भारत में संसद के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक विधानमंडल को केवल ऐसी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान उसे प्रदान करता है। संसद और विधान सभा द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए निभाई गई भूमिका में एक विशिष्टता दिखाई गई।

न्याय की अदालत के खिलाफ। अपने अधिकार की अवमानना और अपने "विशेषाधिकारों" और "उन्मुक्ति" से संबंधित प्रस्तावों के मामलों में अर्ध-न्यायिक कार्यवाही करने में, सदन केवल अपने विधायी कार्यों के उचित प्रदर्शन में बाधाओं को हटाने का प्रयास करता है। हालांकि, अगर अधिकार क्षेत्र का सवाल उठता है कि कोई मामला यहां आता है या नहीं, तो इसका फैसला सामान्य अदालतों द्वारा उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

कार्यवाही। 10

((ii) अगला फैसला अमरिंदर सिंह बनाम पर निर्भर है। विशेष समिति, पंजाब विधानसभा और अन्य "। इस मामले में, श्री अमरिंदर

पंजाब विधानसभा के तत्कालीन सदस्य सिंह को विधानसभा के 12वें कार्यकाल के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित आपराधिक कदाचार के आरोपों पर 13वीं विधानसभा के शेष भाग के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एक चुनौती रखे जाने पर, सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरिंदर सिंह के पक्ष में राय देते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए उचित कार्रवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विचार के अनुसार शिकायत दर्ज करने के बाद जांच के साथ आपराधिक कानून तंत्र को आगे बढ़ाना होना चाहिए था और इस प्रकार, पंजाब विधानसभा ने उल्लंघन के आधार पर अपीलकर्ता को निष्कासित करके अपनी शक्तियों को पार कर लिया था

9 (1977) 4 एससीसी 608। 10 ओ श्रीमती। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्र।, (1975) 2 एससीसी 159। 1 1 11 (2010) 6 एस. सी. सी. 113।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

विशेषाधिकार का जब कोई अस्तित्व नहीं था। पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भूमि की कथित अनुचित छूट केवल एक कार्यकारी अधिनियम था और यह किसी भी तरह से विधायी कार्यवाही की अखंडता को विकृत, बाधित या खतरे में नहीं डालता था। निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, अनुच्छेदों के तहत उपलब्ध शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का दायरा 105 (3) और 194 (3) की चर्चा पैरा 33 से 37 में की गई है। यह देखा गया कि उन्हें आज तक क़ानून के माध्यम से संहिताबद्ध नहीं किया गया था और इस प्रकार,

विधायी विशेषाधिकार और सामान्य विधायी कार्य। इस संदर्भ में यह निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 45. उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग और उसके बीच अंतर भी किया था। निम्नलिखित तरीके से सामान्य विधायी कार्यों का:

" 70. ..... विशेषाधिकार और कार्य के बीच एक अंतर है, हालांकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। कुल मिलाकर, हालांकि, प्रत्येक सदन के कुछ मौलिक अधिकारों के लिए 'विशेषाधिकार' शब्द को आरक्षित रखना अधिक सुविधाजनक है, जिन्हें आम तौर पर इसके संवैधानिक कार्यों के प्रयोग के लिए आवश्यक माना जाता है। द.

विशेषाधिकार का विशिष्ट चिह्न इसका सहायक चरित्र है। द.

संसद के विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो अपनी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। वे अलग-अलग सदस्यों द्वारा आनंदित होते हैं, क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्यों का पालन नहीं कर सकता है; और प्रत्येक सदन द्वारा

अपने सदस्यों की सुरक्षा और अपने स्वयं के समर्थन के लिए

अधिकार और गरिमा "।

((iii) अगला निर्णय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के मामले में दिया गया है। मार्कण्डेय काटजू बनाम। लोकसभा और Anr.[1]3 13 फेसबुक, एक मध्यस्थ के रूप में,

इसका उपयोग इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने किया था

एक बयान दें कि महात्मा गांधी एक ब्रिटिश एजेंट थे जो भारत को नुकसान पहुँचा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानी फासीवाद के एजेंट थे। यह स्वाभाविक रूप से सांसदों के हंगामे का कारण बना और

12 एयर 1965 एससी 745। 13 (2017) 2 एससीसी 384।

राज्यसभा में चर्चा हुई। एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और लोकसभा ने अगले दिन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की टिप्पणी की स्पष्ट रूप से निंदा की। काटजू। इस पद्धति पर सवाल उठाते हुए पत्र और ई-मेल लिखे गए क्योंकि उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। चूंकि इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए इन प्रस्तावों पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) द्वारा हमला करने की मांग की गई। इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में काटजू। चूंकि विशेषाधिकार के किसी भी पहलू का उपयोग नहीं किया गया था और यह संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में आने वाले संसद के विचारों की अभिव्यक्ति थी, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह उस संदर्भ में है कि अवमानना या विशेषाधिकार हनन के बीच एक अंतर किया गया था जहां एक नागरिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी, चाहे वह सदस्य हो या गैर-सदस्य। कानून ने विकसित किया है कि ऐसे नागरिक की कार्रवाई ने सदन के मौलिक कामकाज में हस्तक्षेप किया होगा ताकि सदन नागरिक के खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू कर सके। एमएसएम शर्मा बनाम के मामले में पहले के निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ। डॉ. श्री श्री कृष्ण सिन्हा ", राजा राम पाल का, विशेष संदर्भ 1964 के 16 के सं. 1 और अमरिंदर सिंह पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चर्चा की गई कि लोकसभा नियमों के अध्याय 20 में विशेषाधिकार हैं और नियम 222 से लेकर 228 तक विशेषाधिकारों के मामलों से संबंधित हैं। इसी तरह राज्यसभा नियमों के नियम 187 से 203 विशेषाधिकारों से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं। इस प्रकार, एक जांच याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तर्ज पर ही होगी यदि ऐसी विशेषाधिकार कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था जो उस मामले में ऐसा नहीं था।

उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ताओं को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब उन्होंने विधानसभा के किसी भी कार्य में घुसपैठ की हो। जिस बहस में भाग लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था, उसमें भाग लेने के लिए उनकी गैर-उपस्थिति या अनिच्छा ने किसी भी तरह से समिति के कामकाज को बाधित नहीं किया ताकि उल्लंघन के परिणामों का सामना किया जा सके।

विशेषाधिकार। समिति हमेशा अपनी सिफारिशें कर सकती है लेकिन याचिकाकर्ता इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कोई विधायी कार्य नहीं किए जाने थे और इस प्रकार, तर्क यह था कि यह एक अनाकार समूह की आड़ में बेलगाम विशेषाधिकारों के विस्तार का मामला था

14 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186 1 5 (2007) 3 एस. सी. सी. 184। 16 ऊपर टिप्पणी 12. 17 सुप्रा नोट 11.

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

कानून के शासन को अपवाद बनाने के लिए नियम। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि संदर्भ की शर्तों को एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए।

29. इसके बाद, श्री साल्वे ने विधानसभा की कार्यवाही की न्यायिक जांच के मुद्दे से निपटने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है।

विधानसभा की कार्यवाहियों की वैधता पर गौर करने के लिए न्यायालयों पर पूर्ण प्रतिबंध। संविधान के अनुच्छेद 212 के संदर्भ में जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के साथ पढ़ा जाता है, यदि विधानसभा अधिकार क्षेत्र की कमी से पीड़ित है या अवैध या असंवैधानिक है, सक्षम अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1964 की विशेष संदर्भ संख्या 1, राजा राम पाल बनाम में न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा किया। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा & Ors.[1] 19 और कल्पना मेहता और अन्य। बनाम भारत संघ और Ors.20

30. 19642 1 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में विवाद [2021] 14 एस. सी. आर. से उत्पन्न हुआ।

विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक संघर्ष, यदि कोई ऐसा कह सकता है, तो यू. पी. विधानसभा द्वारा सजा सुनाने में प्रयोग की गई शक्ति के परिणामस्वरूप

एक केशव सिंह को 7 दिनों की अवधि के लिए सिविल जेल में रखा जाएगा और उसके बाद न्यायपालिका (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसे विधायिका द्वारा अपमान के रूप में लिया गया, जिसने दो संबंधित न्यायाधीशों के खिलाफ सदन के समक्ष हिरासत में लाए जाने के लिए एक

प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद अदालत की 28 न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ इस प्रस्ताव के खिलाफ दोनों न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए एकत्र हुई। पीठ ने अध्यक्ष को उनके खिलाफ वारंट जारी करने से रोक दिया न्यायाधीशों और सदन के मार्शल को वारंट निष्पादित करने से। इस टकराव को हल करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 143 (1) में से

संविधान। यह संदर्भ राज्य विधानमंडल की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर था। काफी है। यह कहना कि संदर्भ में न्यायालय द्वारा दी गई राय यह थी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नागरिक अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है, उन मामलों में भी जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। एक बार न्यायपालिका

18 सुप्रा नोट 12. 19 सुप्रा नोट 15. 20 (2018) 7 एससीसी 1. 21 सुप्रा नोट 12.

विधायिका के कार्यों की वैधता पर विचार करने के लिए अधिकृत किया गया था, यह राय दी गई थी कि न्यायपालिका को नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधानसभाओं के कार्यों की वैधता की जांच करने से रोका नहीं जा सकता है।

31. राजा राम पाल 2 2 में एक निजी चैनल का प्रसारण "पूछताछ के लिए नकदी मामले" में एक स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित है जिसमें 10 सदस्य

संसद ने सदन में कुछ सवाल उठाने के लिए बिचौलियों के माध्यम से धन स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप एक जांच हुई और बाद में इन सदस्यों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। सदस्यों ने उक्त निष्कासन को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किए गए तीन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया गया था-(i) हमारी संवैधानिक योजना के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियों की सामग्री और दायरे को तय करने का अधिकार क्षेत्र है।

विधायिका और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति; (ii) भारत में विधायिका की शक्ति और विशेषाधिकार, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 के संदर्भ में, इसके सदस्यों के निष्कासन की शक्ति शामिल है।

सदस्य; और (iii) निष्कासन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र था। अस्वीकार करते हुए

निष्कासन पर याचिका, न्यायालय ने इस तरह की न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में विस्तार से बताया। महत्वपूर्ण रूप से, यह राय दी गई थी कि हालांकि यह धारणा होगी कि संसद हमेशा अपने कार्यों को उचित तरीके से करेगी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, लेकिन एक सामान्य नियम के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि विधायिका द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह न तो पत्र में होगा और न ही संविधान की भावना में। हालाँकि, यह एक साधारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका के पास अधिकार क्षेत्र में गलती करने का भी लाइसेंस है।

32. कल्पना मेहता और Ors.23 में गैर सरकारी संगठनों द्वारा बिना टीके के किए गए टीकाकरण अभियान में सभी पूर्व-आवश्यक परीक्षणों से गुजरने के कारण जानमाल का नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मामले की जांच के लिए एक संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया। इस मुद्दे से निपटने वाली जनहित याचिका में स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की गई थी। सवाल यह उठा कि क्या स्थायी समिति की ऐसी रिपोर्ट पर न्यायिक समीक्षा में भरोसा किया जा सकता है। प्रासंगिक

हमारे उद्देश्यों के लिए अवलोकन निष्कर्षों का सारांश हैं जो ऐसी विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा से निपटना। यह राय दी गई कि संवैधानिक न्यायालयों को इसकी वैधता की जांच करने से नहीं रोका जाता है।

22 सुप्रा नोट 15. 23 सुप्रा नोट 20.

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

विधायिका की कार्रवाई नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसदीय कार्यवाही के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है।

यह अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 212 जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों के अधीन था। न्यायालय की अधिकारिता पर प्रतिबंध प्रक्रिया की अनियमितता के आधार तक सीमित था, लेकिन यदि

33. अंत में, विशेषाधिकारों के मुद्दे पर, श्री साल्वे ने कुछ अन्य देशों में प्रचलित स्थिति का उल्लेख किया विशेषाधिकार शक्तियाँ। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह की विशेषाधिकार शक्तियों का उपयोग भाषण को मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब विचाराधीन

संगठन एक अमेरिकी निगम है। हम इस स्तर पर ही देख सकते हैं कि हम वास्तव में इस समर्पण के दूसरे अंग की सराहना नहीं करते हैं। जब ये

निगम हमारे देश के क्षेत्र के भीतर काम कर रहे हैं और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, तो फिर उन्हें अमेरिकी निगम या अमेरिकी निगम होने के कारण किस तरह का विशेष विशेषाधिकार मिलेगा।

किसी अन्य देश में निगमित निगम! अब विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित किए जाने वाले दो अधिनियमों की ओर मुड़ते हुए-पहला स्कॉटलैंड अधिनियम, 1998 है, विशेष रूप से धारा 23 और वेल्स सरकार अधिनियम, 2006, विशेष रूप से धारा 37। हम प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" स्कॉटलैंड अधिनियम, 1998 की धारा 23:

23. गवाहों और दस्तावेजों को बुलाने की शक्ति

(क) साक्षय देने के उद्देश्य से इसकी कार्यवाही में भाग लेना, या (ख) अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में किसी ऐसे विषय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना जिसके लिए स्कॉटिश का कोई सदस्य

कार्यपालिका की सामान्य जिम्मेदारी होती है।

[.....] " "

वेल्स सरकार अधिनियम, 2006 की धारा 37

37. कॉल करने की शक्ति

(1) निम्नलिखित विषय के अधीन, विधानसभा किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता कर सकती है (क) देने के उद्देश्य से विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना।

(ख) विधानसभा (या विधानसभा की समिति या ऐसी समिति की उप-समिति) के प्रयोजनों के लिए पेश करना।

वेल्श द्वारा अभ्यास से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में दस्तावेज

अपने किसी भी कार्य के मंत्री।

[.....] "

34. उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, "हो सकता है" अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया था ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि मजबूरी का कोई तत्व नहीं है। दूसरे पहलू पर जोर दिया गया कि, जैसा कि इन कानूनों से पता चलता है, विशेषाधिकार मंत्रियों के कार्यों से संबंधित मामलों से संबंधित होना चाहिए। इसे बदले में इस तर्क से जोड़ने की कोशिश की गई कि

समिति जो करना चाहती थी वह विधानसभा का मुख्य कार्य नहीं था और इसलिए इसे उनका कार्य नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि केवल एक राय मांगी जा रही थी, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा आग्रह किया गया था, तो यह प्रस्तुत किया गया था कि शपथ केवल तथ्य के प्रश्न पर हो सकती है न कि राय के मामले पर।

इस बात पर जोर दिया गया कि विधानसभा (समिति केवल एक छोटा समूह है जिसका गठन किया गया है) को इस बात के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा कि बुलाने की उनकी शक्तियां कहाँ से आती हैं। सूची दो की प्रविष्टि 39 (विधानसभाओं की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) विधानसभा की शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती थी और यह परिदृश्य जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 18 से उत्पन्न शक्ति का एक वैधानिक स्रोत था, जिसे अधिनियमित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) और (3) (बी) के अनुसरण में। इस प्रकार, एक शक्ति के बीच सीधे अंतर करने की कोशिश की गई थी।

संविधान से निकलता है और एक वैधानिक से बहता है

प्रावधान। दिए गए तथ्यों में, यह बाद वाले का मामला था, जिसे अनिवार्य रूप से संविधान के भाग III की कसौटी पर परखना होगा। विवाद को समझने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

आई टी मोहन वी. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

" अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) और (3) (बी)

239 एए। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(3) (क) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, विधायी

विधानसभा के पास संपूर्ण या किसी के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कोई भी भाग

जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, सिवाय इसके कि राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1,2 और 18 के संबंध में मामले और

जहाँ तक वे उक्त सूची से संबंधित हैं, उस सूची की प्रविष्टियाँ 64,65 और 66 प्रविष्टियाँ 1,2 और 18।

इस संविधान के तहत संसद के संबंध में कानून बनाने के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए कोई मामला।

... .

.....

.....

.....

... .

" जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 18

18. सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। — (1) विषय के अधीन

इस अधिनियम के प्रावधान और विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए

विधान सभा की प्रक्रिया, वहाँ स्वतंत्रता होगी विधान सभा में भाषण।

(2) विधान सभा का कोई भी सदस्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी अदालत में किसी भी बात या किसी भी वोट के संबंध में कार्यवाही

उसके द्वारा विधानसभा या उसकी किसी समिति में दिया गया और नहीं

व्यक्ति द्वारा या उसके तहत प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी होगा

ऐसी सभा का किसी प्रतिवेदन, कागज, मतों का अधिकार या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, राज्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति विधान सभा और सदस्यों और समितियों का

जिनका कुछ समय के लिए आनंद लिया जा रहा है, वे इसके होंगे।

लोक सभा और उसके सदस्य और समितियाँ।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधान निम्नलिखित में लागू होंगे: उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें इस अधिनियम के आधार पर अधिकार है -

बोलने के लिए, और अन्यथा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए,

विधान सभा या उसकी कोई समिति जिस में वे लागू होती है

उस सभा के सदस्यों के संबंध में। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. हम इस स्तर पर स्पष्ट कर सकते हैं कि चूंकि प्रस्तुतियाँ कुछ उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ में तैयार की गई थीं, इसलिए यह बाद की प्रस्तुतियाँ

वास्तव में संविधान के भाग III के तहत संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में विशेषाधिकार शक्तियों के संदर्भ में उत्पन्न होता है, जिन पर एक अलग धारा के तहत विचार किया जाना है।

37. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाना चाहते थे

एक अन्य वरिष्ठ वकील, संभवतः उनकी दलीलों को आगे बढ़ाने के लिए और इस प्रकार, श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता संख्या 3, फेसबुक इंक की ओर से हमें संबोधित करने की मांग की। 38. श्री दातार ने संवैधानिक इतिहास का पता लगाने के प्रयास में हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए शक्तियों और विशेषाधिकारों की उत्पत्ति का उल्लेख किया

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 71। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रांतीय विधानसभाओं के पास कोई शक्तियां नहीं थीं, बल्कि केवल विशेषाधिकार थे; उनके पास उस अधिनियम के तहत लोगों को दंडित करने की शक्तियां नहीं थीं। इसके बाद, के संदर्भ में संसदीय प्रथाओं पर एर्स्किन मे की मौलिक टिप्पणी, यह इंगित की गई थी कि अध्याय XI शक्तियों से संबंधित है और अध्याय XII विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित है जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। 24 हालाँकि, शक्ति अलग बनी हुई है। सदन को दी गई प्राथमिक शक्ति कानून या विधायी शक्तियाँ बनाना था। यह 1935 के अधिनियम की ये शक्तियाँ हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 (3) के तहत अपनाया गया है, जो राज्य सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार पर लागू होती हैं।

राज्य विधानसभा।

39. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली अलग है क्योंकि इसे अनुच्छेद में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है

अधिनियम, अर्थात जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 18। इस प्रकार, विधानसभा के विशेषाधिकार और शक्तियों का निस्संदेह संविधान के भाग III के खिलाफ परीक्षण किया जाना है। ये प्रकृति में वैधानिक होने के कारण, के पहलू मौलिक अधिकारों के साथ शक्तियों का संवैधानिक संतुलन, जैसा कि 1964-25 के विशेष संदर्भ संख्या 1 और एम. एस. एम. शर्मा 2,6 में उत्पन्न हुआ है,

वर्तमान मामले में उत्पन्न होता है। यहाँ विशेषाधिकार संसद के एक अधिनियम से "व्युत्पन्न" है न कि किसी संवैधानिक प्रावधान से।

24 कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद के उपयोग पर एर्स्किन मे का ग्रंथ, (सर डेविड नैट्ज़लर, 25 वां संस्करण, 2019)।

25 सुप्रा नोट 12.

26 ऊपर टिप्पणी 14.

टी. मोहन वी. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

40. अब हम इस पर उत्तरदाताओं की दलीलों की ओर रुख करते हैं।

, जिनका जोरदार तर्क दिया गया था। डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ स्वयं विधानसभा की ओर से प्रस्तुतियों को संबोधित करने की मांग करते हुए, अपनी प्रस्तुतियों की रूपरेखा को निम्नानुसार बताते हैं:

((i)

विशेषाधिकार पर बहस करने का अवसर भी नहीं आया है और

यह समय से पहले था क्योंकि विशेषाधिकार की कोई वास्तविक सूचना नहीं थी। इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष कोई तथ्यात्मक मैट्रिक्स नहीं था

शक्ति के प्रयोग का विश्लेषण करें और याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेषाधिकार के पहलू के लिए क्या मांगा जा रहा था

इस मुद्दे पर अग्रिम निर्णय की मांग करना।

यदि याचिकाकर्ताओं की दलीलें स्वीकार की जानी थीं, तो यह

((ख)

राज्य और संसदीय दोनों स्तरों पर देश भर में समितियाँ। याचिकाकर्ताओं के तर्क में, यह आग्रह किया गया था कि समितियों की प्रणाली को नष्ट करने की प्रवृत्ति थी जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण काम करने के लिए पाई गई थी, संभवतः अधिक आक्रामक रुख से दूर थी। संसद।

(iii)

याचिकाकर्ताओं को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जा सका

जिस तरह की समितियों के सामने वे पहले उपस्थित होना चाहते हैं। याचिकाकर्ता बिना किसी हिचकिचाहट के समान प्रकृति के एक से अधिक अवसरों पर पेश हुए थे।

(iv) इसी तरह, आई. टी. अधिनियम का संदर्भ था

समय से पहले क्योंकि विधानसभा इस मुद्दे के किसी भी कानून पर बहस नहीं कर रही थी, बल्कि केवल एक विशेष पहलू पर चर्चा कर रही थी।

(v)

याचिकाकर्ताओं के तर्कों की कमी पर आधारित थे आपसी सम्मान और हमारे अंगों के बीच अंतर

लोकतंत्र।

((vi) समिति की कार्यवाहियां सदन की कार्यवाहियां हैं और

उच्चतम न्यायालय आम तौर पर सदन में कभी हस्तक्षेप नहीं करता था।

कार्यवाही और इसलिए समिति के साथ भी नहीं कार्यवाही।

41. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट राजनीतिक मतभेद बहस के दौरान काफी खुले तौर पर सामने आया और डॉ. सिंघवी ने इस तर्क को सामने रखने की कोशिश की कि पक्षकारों का साहसिक रुख केंद्र सरकार के समर्थन के आधार पर खड़ा है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा संसदीय समिति के समक्ष उपस्थिति को किसी भी मजबूरी (केंद्र सरकार की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा विवादित एक पहलू) को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि वाणिज्यिक और परिचालन कारणों पर आधारित होने के रूप में उचित ठहराने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता वास्तव में अधिकार क्षेत्र की कमी के बजाय किसी भी वाणिज्यिक और परिचालन परिणाम/मजबूरियों के अभाव में एक मामले का प्रचार कर रहे थे। हालाँकि, यह उचित रूप से आश्वस्त और उचित था कि विधानसभा और समिति सूची II की प्रविष्टियों 1,2 और 18 के संवैधानिक बहिष्कार से अनजान नहीं थे और प्रतिवादी कभी भी इस संवैधानिक सीमांकन का अतिक्रमण करने का विरोध नहीं करेगा। एक पहलू जिस पर डॉ. सिंघवी ने जोर देना चाहा, हमारे विचार में बहुत विश्वसनीय रूप से नहीं, यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा एक विचार के बाद था, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए उठाया गया था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आयोजित की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संदेह नहीं है और न ही वहां क्या हुआ। डॉ. सिंघवी इसके लिए केवल एक ही मोड़ दे सके कि समिति के अध्यक्ष ने संवाददाता सम्मेलन में जिसका उल्लेख किया था, वह था

उन व्यक्तियों के विचार जिन्होंने पदच्युत किया था, न कि उनके अपने विचार। कम से कम कहने के लिए, हमें इस निवेदन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है और हम इससे संबंधित स्तर पर निपटेंगे।

42. डॉ. सिंघवी ने जिस दूसरे पहलू की ओर इशारा किया, वह था दूसरे विवादित समन को वापस लेना और नए समन जारी किए जाने, जो अब याचिकाकर्ता संख्या 1 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं करता था। हालाँकि, इस पहलू को डॉ. सिंघवी और डॉ. धवन द्वारा वापस लेने के पहलू पर अलग-अलग विचारों के कारण श्री साल्वे द्वारा एक "छल" के रूप में लेबल किया गया है-और आश्चर्यजनक रूप से ऐसा है।

43. विशेषाधिकार के विशिष्ट अनुरोध पर डॉ. सिंघवी ने यह स्थापित करने की मांग शुरू की कि विधानसभाओं की सभी समितियों को बुलाने और उपस्थिति के लिए मजबूर करने की शक्ति है। यह आग्रह किया गया था कि कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहायक शक्तियों के बिना कोई भी शक्ति, कोई भी शक्ति नहीं होने के समान थी। इसलिए, विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करके उपस्थिति को मजबूर करने की शक्ति एक आवश्यक शक्ति है। इस तर्क को आगे इस तर्क के साथ पूरक किया गया कि विशेषाधिकारों की शक्ति में अनाकार था सामान्य कानून और संसद ने जानबूझकर कानून के इस क्षेत्र को संहिताबद्ध नहीं किया है ताकि वे भविष्य में अकल्पित स्थितियों को पूरा कर सकें।

44. डॉ. सिंघवी ने वास्तव में आगाह किया कि इस न्यायालय को श्री साल्वे द्वारा सुझाए गए मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, जिन्होंने तर्क दिया था कि यह समय अजीत मोहन बनाम का था।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

कि इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया गया था। डॉ. सिंघवी ने इस न्यायालय से इस तरह के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर भी राय नहीं देने का आग्रह किया और कहा कि यदि वे चाहते हैं तो इस न्यायालय द्वारा बिना किसी दबाव के संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

45. डॉ. सिंघवी ने संविधान के तहत और जीएनसीटीडी अधिनियम के तहत विशेषाधिकार शक्तियों के प्रयोग के बीच के अंतर को मिटाने की मांग की

उन्हें एक ही आसन पर रखकर, यह आग्रह करते हुए कि दोनों मिलकर संचालन की योजना प्रदान करें। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुच्छेद 239एए के प्रावधानों (7) (ए) और (बी) को इस संदर्भ में संदर्भित किया कि जीएनसीटीडी अधिनियम को उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाना था संविधान के अनुच्छेद 368 के बावजूद कि इसमें कोई भी प्रावधान हो सकता है जो संविधान में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। इस प्रकार, विधानसभा को एक विशेषाधिकार प्राप्त निकाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सदस्यों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता के साथ-साथ मतदान करने की स्वतंत्रता का आनंद लिया गया था और संसद सदस्यों को सभी विशेषाधिकार (जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 18 के तहत) प्राप्त थे। इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि समिति की कार्यवाही पर सवाल उठाना उस अदालत में विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाने के बराबर है जिसके लिए शक्तियां निहित नहीं थीं। व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया का विनियमन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं था। विशेषाधिकार शक्तियों की समानता स्थापित करने के लिए डॉ. सिंघवी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया

संविधान के अनुच्छेद 105, जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 18 को नियमों के नियम 172 के साथ जोड़ा गया। 46. इस पहलू पर, सूची I की प्रविष्टि 74 में संसदीय विशेषाधिकारों और विधानमंडल के विशेषाधिकारों पर भरोसा करके समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया था।

सूची II की प्रविष्टि 39 में असेंबली जिसे पैरी मैटेरिया कहा गया था। दिल्ली इससे अलग नहीं थी, इसे प्रस्तुत किया गया था, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 239एए के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 39 के तहत विधानसभा की शक्तियां किसी भी अन्य विधानसभा के समान हैं। इस पहलू को और बढ़ाने के लिए, विद्वान वकील ने राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों से बल प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत संघ और Anr.[2]7 जो इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चल रहे संघर्ष को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के पृथक्करण से व्यापक रूप से निपटते थे। इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई थी कि सूची II में तीन विशिष्ट प्रविष्टियों को छोड़कर सभी प्रविष्टियों का पूरा उपयोग किया जाएगा।

बहिष्कृत, अर्थात प्रविष्टियाँ 1,2 और 18।

27 (2018) 8 एससीसी 501।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) को ध्यान में रखते हुए समन करने की शक्ति और

प्रकृति और यह कि यह बहस की गुणवत्ता में सुधार करेगा। कहा गया था कि सूची I में कोई प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि नहीं है और तिरस्कार का सवाल केवल सूची III में किसी भी प्रविष्टि के संदर्भ में उत्पन्न होगा जहां किसी दिए गए परिदृश्य में केंद्रीय कानून हैं। इस प्रकार, पूरे देश में (दिल्ली सहित) विधानसभाओं की समितियों के पास अपनी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त शक्तियों के एक हिस्से के रूप में गवाहों की उपस्थिति को मजबूर करने की शक्ति है और विशेषाधिकार और समिति के प्रकार या व्यक्ति के प्रकार के आधार पर कोई भेद नहीं हो सकता है जिसे इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलाया जाता है।

48. हम डॉ. सिंघवी की एक और प्रस्तुति पर ध्यान दे सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि

विशेष रूप से इसके व्यापक प्रभावों के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा वांछित तरीके से निर्णय देने के खिलाफ अदालत को आगाह किया

समितियों के महत्व पर कल्पना मेहता और Ors.28 में की गई टिप्पणियाँ। समिति के कामकाज में कोई भी बाधा विधानसभा के कामकाज में बाधा डालेगी क्योंकि कानून पारित करना विधानसभा का एकमात्र कार्य नहीं है। इस प्रकार, सदन के अर्थ पर विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करने की प्रथा बाधित होगी। इन समितियों के कामकाज के महत्व पर, गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल्पना मेहता में इस मुद्दे पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और इस प्रकार, हम केवल कुछ प्रासंगिक पैराग्राफ निकालना उचित समझते हैं:

66. वुडरो विल्सन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 वें राष्ट्रपति,

1885 में कहा गया था कि "यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं है कि

कहते हैं कि सत्र में कांग्रेस सार्वजनिक प्रदर्शनी पर कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस अपने समिति कक्षों में काम कर रही है। यह है।

क्योंकि कांग्रेस का अधिकांश काम समितियों को भेजा जाता था

सदन में बहस को सूचित करने के लिए विस्तृत समीक्षा के लिए।

.....

.....

" 70. आज के लोकतंत्र में समितियों का महत्व आगे इस प्रकार विस्तृत किया गया है:

" समितियाँ अधिक शानदार स्थिति में अधिक उपयोगी नहीं हो सकती हैं।

इन लोकतांत्रिक संस्थानों का पहलू, और वे नहीं हो सकते हैं

28 सुप्रा नोट 20.

29 सुप्रा नोट 20.

आईटी मोहन वी. विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

मौलिक नीति को आकार देने या सरकार के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करने में बहुत अधिक उपयोग। लेकिन वे बिल्कुल अपरिहार्य हैं।

पर्यवेक्षण और नियंत्रण के विस्तृत कार्य के लिए प्रशासन। कभी-कभी नहीं, क्या वे महान कार्य करते हैं

सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का रचनात्मक विधान। एक जटिल सामाजिक समस्या की जांच, कानून बनाने से पहले, शायद और अक्सर ऐसी विधायी समितियों द्वारा की जाती है, जिनकी सेवा के मूल्य को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। वे उपयोगी हैं

तकनीकी समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना।

एक संगठन के भीतर कई शाखाओं को शामिल करना, या जब विशेषज्ञों को संकीर्ण सीमाओं के भीतर परिभाषित एक अत्यधिक तकनीकी समस्या पर सलाह देने की आवश्यकता होती है। गवाहों की जाँच से जुड़ी जाँच के आधार पर सलाह का प्रावधान भी एक समिति के लिए उपयुक्त कार्य है। सदन के कामकाज की कुछ वस्तुओं से निपटने के लिए सदन के सदस्यों में से चुनी गई छोटी समितियों का गठन न केवल सुविधा है, बल्कि संसद की स्थापित परंपरा के अनुसार भी है। यह प्रक्रिया उन मामलों से निपटने में विशेष रूप से सहायक है, जिन पर उनकी विशेष या तकनीकी प्रकृति के कारण सदन की एक समिति द्वारा विस्तार से विचार किया जाता है। विधायी कार्य में तेजी लाने के अलावा व्यवसाय, समितियाँ अन्य उपयोगी सेवाओं की सेवा करती हैं। इन समितियों में सेवा सदस्यों को पर्याप्त रूप से प्रदान करती है।

जानकारी, मामलों में उनकी अंतर्दृष्टि को गहरा करती है और उनके निर्णय को स्थिर करती है, उम्मीदवारों को पद के लिए अमूल्य प्रशिक्षण प्रदान करती है, और विधायिका में ज्ञान और क्षमता का सामान्य स्तर बढ़ता है। भावना के अनुरूप और संसदीय सरकार बनाने वाली समितियाँ देश के साथ-साथ आँख और कान

और कुछ हद तक विधायिका के मस्तिष्क की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि सरकार के कार्य और हित के क्षेत्र दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

एक दिन "।

49. डॉ. सिंघवी ने इस बात पर जोर देते हुए समापन किया कि हमारे देश या बाहर से एक भी न्यायिक कमी का हवाला नहीं दिया गया है, जहां अदालत ने विधायिका समिति द्वारा एक गवाह को बुलाने के चरण में हस्तक्षेप किया था)। रिलायंस को सी. सुब्रमण्यम बनाम मद्रास न्यायालय के फैसले पर रखा गया था। अध्यक्ष, मद्रास विधान सभा। 3 0 30 इस मामले में, मद्रास विधानसभा के एक पूर्व सदस्य द्वारा दिए गए भाषण पर अध्यक्ष द्वारा कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था।

1969 पागल 10।

उनके आचरण को विशेषाधिकार हनन के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। नोटिस पर हमला करने के प्रयास को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया कि यह समय से पहले था। उस चरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह विधान सभा के अध्यक्ष को निषेध के एक रिट के समान माना गया था।

आगे की कार्यवाही, जो वस्तुतः एक प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति के आधार पर थी। यह भी राय दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 194 (3) के तहत निहित शक्ति ने अध्यक्ष को रिट याचिकाकर्ता जैसे तीसरे पक्ष को अवमानना के माध्यम से विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के खिलाफ कारण दिखाने का अधिकार दिया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह आग्रह किया गया था कि एक कारणदर्शक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था क्योंकि

याचिकाकर्ता को केवल गवाही देने के लिए बुलाया गया था। इस प्रकार, किसी भी विशेषाधिकार कार्यवाही की शुरुआत भी नहीं हुई थी।

50. अब हम समिति की ओर से डॉ. राजीव धवन की दलीलों की ओर मुड़ते हैं, जिसने वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

हम इस सीमा पर ध्यान दे सकते हैं कि समिति वास्तव में विधानसभा की रचना है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं की तरह, उत्तरदाता इस विश्वास में एक से अधिक वकीलों की सहायता चाहते थे कि यह उनके मामले को आगे बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, नए समन जारी करने और पुराने को वापस लेने के निहितार्थ के बारे में कुछ विरोधाभास सामने आए।

51. डॉ. धवन ने समिति के मुख्य कार्यों पर बहुत जोर दिया, जैसा कि इसके विवरण से संकेत लेते हुए कहा गया है -

" शांति और सद्भाव समिति। " इस प्रकार, मुख्य कार्य ऐसी स्थिति की व्यापकता के बारे में समाज में दृष्टिकोण पर विचार करना था जिसमें सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता थी या जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे और विस्तार से जांच करना और इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना था। यह दिल्ली एन. सी. आर. की आबादी की धार्मिक, भाषाई और सामाजिक रचनाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के जनादेश के साथ जोड़ा गया था, ताकि उन कारकों की पहचान की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके जो लोगों को उनकी विविधता के बावजूद एकजुट करते हैं। समिति ने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति स्थापित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करने की भी मांग की। हम हस्तक्षेप की मांग करते हुए डॉ. धवन की दलीलों को कुछ घबराहट के साथ नोट कर सकते हैं कि भले ही विधानसभा को एक रिट जारी की गई हो, लेकिन इसे समिति को जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि समिति एक स्वायत्त निकाय थी जो अंततः विधानसभा को रिपोर्ट करेगी और इस प्रकार, एक अलग कानूनी अस्तित्व का आनंद लेती है। हमारे लिए इस अजीत मोहन बनाम पर कहना पर्याप्त है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

यह बताते हुए कि यदि समिति विधानसभा का निर्माण है और विधानसभा से अपनी शक्तियां और ताकत प्राप्त करना चाहती है, तो इस बात पर ध्यान देना आश्चर्यजनक है कि समिति इस न्यायालय के निर्देश से बाध्य नहीं होगी यदि उसे विशेष रूप से एक पक्षकार नहीं बनाया गया था। जो भी हो, हम

समिति को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी और उस हद तक श्री साल्वे की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी।

52. चुनौती का प्रारंभिक खंडन अग्रिम पर आधारित है

कार्यवाहियों की प्रकृति, अनुमानित और पूर्व-खाली होना। विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किए जाने से पहले जांच के कई चरण होते हैं; इस तरह के विशेषाधिकार हनन से उत्पन्न होने वाली किसी भी सजा से बहुत कम।

53. यह आगे तर्क दिया गया कि कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया था

प्रथम और द्वितीय विवादित समन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में चिंताओं के लिए। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल समन जारी करने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। दुर्भावना के किसी भी दावे की विशिष्टता की कमी बताई गई थी जो सामान्य नहीं हो सकती थी

चरित्र लेकिन संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सभी भौतिक विवरणों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। 31 यह एक ऐसा पहलू था जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित था। डॉ. धवन ने रिट याचिका को एस. एल. ए. पी. पी. (सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमा) के रूप में वर्गीकृत किया, जो समिति को चुप कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया था।

54. डॉ. धवन ने श्री राघव द्वारा दिए गए बयानों को स्पष्ट किया

चड्ढा ने 31.08.2020 पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान तर्क दिया कि यह केवल समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का सारांश था। उन्हें अध्यक्ष के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा गया था, समिति के

समिति के कार्यों के निष्कर्ष या दायरा। समिति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्णय नहीं लिया था कि याचिकाकर्ता वैमनस्य पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे। इसे कई अलग-अलग लोगों से शिकायतें मिली थीं, जिन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में दंगों के कारण हुई वैमनस्यता के लिए फेसबुक को जिम्मेदार ठहराया था। इस प्रकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान बुरे विश्वास में नहीं दिए गए थे और केवल इस प्रभाव से किए गए बयानों की पुनरावृत्ति थी कि दंगों में फेसबुक की भूमिका हो सकती है।

55. समिति के संदर्भ की शर्तों पर विवाद

आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश को "टूथलेस" कहा गया था। इस प्रकार, एक अर्थ में जो स्वीकार किया गया वह यह था कि समिति की संदर्भ शर्तों का उक्त हिस्सा (यानी पैराग्राफ 4 (vii) में) "अनुचित" था। द. 31 मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नंदलाल जैसवाल (1986) 4 एस. सी. सी. 566; के. नागराज बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (1985) 1 एस. सी. सी. 523।

समिति, अधिक से अधिक, सिफारिशें कर सकती है। चाहे आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी, वास्तव में, यह पूरी तरह से पुलिस या न्यायपालिका का अधिकार था और उस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को संदर्भ की शर्तों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष द्वारा दिए गए तत्काल बयानों से कोई वास्तविक खतरा नहीं था।

57. अब हम डॉ. धवन के तर्कों पर आते हैं जो डॉ. सिंघवी के तर्क के अनुरूप थे, यानी न्यायिक टिप्पणियों को देखते हुए, ये समितियां संसद की आंखें और कान हैं, जो लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आवश्यक हैं। समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य राज्य विधानसभाओं के मुख्य विधायी कार्यों का हिस्सा हैं, जिनमें (ए) प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, (बी) कानून पर साक्षय लेना और (सी) आम तौर पर किसी संकट या शासन से निपटना शामिल हो सकता है। उस संदर्भ में, डॉ. धवन ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने

समिति के गठन या उसके संदर्भ की शर्तों को चुनौती नहीं दी थी। याचिकाकर्ताओं ने मामले में विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की संसद की धमकी के बावजूद संसद द्वारा जारी समन को भी चुनौती नहीं दी थी उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, संसदीय समिति के समक्ष पेश होने के दौरान फेसबुक को कोई समस्या नहीं बताई जा सकी। शासन में मध्यस्थों की भूमिका प्रासंगिक थी और याचिकाकर्ताओं की गवाही उस संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। इनकार को "राजनीतिक कारणों" से संबंधित होने के रूप में लेबल करने की मांग की गई थी।

58. डॉ. धवन ने तब डॉ. सिंघवी द्वारा सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच किए गए अंतर के पहलू की ओर रुख किया।

गवाहों को बुलाने या विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की विधायिका की शक्ति। उन्होंने प्रचार किया कि कोई नियम मौजूद नहीं है जिसके अनुसार

सदस्यों के पास विधायी समिति द्वारा जारी समन को अस्वीकार करने की शक्ति है। विधायिका का मुख्य कार्य लोकतंत्र है और न कि केवल कानून बनाना, एक ऐसा पहलू जिससे हम सहमत हैं। इस प्रकार, यह अजीत मोहन बनाम का दायित्व था।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

प्रत्येक व्यक्ति विधायिका के साथ सहयोग करे और इस मुख्य कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए अनुरोध किए जाने पर उपस्थित हो। ऐसे कई तरीके थे जिनसे विधायिका लोकतांत्रिक भागीदारी की मांग कर सकती थी, एक उदाहरण समितियों के सामने उपस्थिति थी।

59. उपरोक्त याचिका के समर्थन में डॉ. धवन ने स्पष्ट किया कि

गैर-सदस्यों को जारी किए गए नोटिसों के उदाहरण देकर प्रस्ताव जो

डॉ. धवन के एक ग्रंथ "ओनली द गुड न्यूज़: ऑन द लॉ ऑफ द प्रेस इन इंडिया "1987 में प्रकाशित हुआ।

थानिराम (1975), (1975) XX P. D. (सं. 2) 49 (केरल विधान सभा)-ऐसे व्यक्ति को दंड

अध्यक्ष के पक्षपात पर सवाल उठाया।

सत्ययुग (1977), (1977) XXII पी. डी. (संख्या 1) 18 (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल विधानमंडल को बदनाम किया गया था और फीचर लेखक ने माफी नहीं मांगी लेकिन संपादक ने माफी मांग ली।

उदयवाणी (1978), (1977) XXII पी. डी. (नंबर 2) 47 (कर्नाटक)-एक समाचार पत्र के एक पश्चातापहीन संपादक द्वारा फटकार लगाई गई

शैक्षिक उत्पीड़न के आरोपों के लिए विधानमंडल संस्थाएं।

नागरिक (1978), (1981) XXVI पी. डी. (संख्या 1) 19 (त्रिपुरा)-एक संपादक, जिसने बजट के कथित लीक होने की आलोचना की

मुख्यमंत्री, एक दिन के कारावास के अधीन।

वर्षा जोशी और के. डब्ल्यू. डेसन (1982), (1982) XXVII पी. डी.

आई.

(नंबर 1) (गुजरात)-कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए खतरा

उप-न्यायालय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए एक वक्ता के खिलाफ

मामलों के कारण समिति ने एक व्यक्ति के कारावास की सिफारिश की।

60. विधानसभा की संवैधानिक स्थिति पर, डॉ. धवन ने एक ओर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर करने की कोशिश की, और दूसरी ओर दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के बीच दूसरा अंतर किया गया। महत्वपूर्ण अंतर यह बताया गया कि पुडुचेरी विधानसभा को अनुच्छेद 239 ए द्वारा सशक्त किया गया था, जबकि दिल्ली विधानसभा को 69 वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा घटक शक्ति के प्रयोग के माध्यम से बनाया गया था। इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 239 एए

पुलिस शक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था को विधानसभा की क्षमता के दायरे से बाहर रखा गया, जो इसे एक पूर्ण कार्यशील [2021] 14 एस. सी. आर. होने से कम नहीं करता था।

संसद के समान विधान सभा। इस पहलू को जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 33 से 37 द्वारा प्रबलित किया गया था। डॉ. धवन के विचार में, विधानसभा की विशेषाधिकार शक्तियों का पता अनुच्छेद से लगाया जा सकता है।

239 संविधान के ए. ए. (2) और (7), जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 18 (3) और नियमों के नियम 160 और 172 (4)। डॉ. धवन ने अनुच्छेद 212 (1) से इस बात की पुष्टि की कि संविधान राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को आंतरिक स्वायत्तता और किसी भी कार्यवाही की वैधता प्रदान

करता है "प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोप पर पूछताछ नहीं की जा सकती है। 3 2 संविधान के अनुच्छेद 212 (1) की सीमाओं को स्वीकार किया गया था और इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य विधानसभाओं के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप केवल "घोर अवैधता और असंवैधानिकता" के मामलों तक ही सीमित हो सकता है। 33 इस मामले में ऐसी कोई अवैधता नहीं हुई थी और केवल समन जारी किया गया था, विशेषाधिकार हनन के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और न ही कोई सवाल पूछा गया था। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान करने का कोई अवसर नहीं था।

61. डॉ. सिंघवी के निवेदन के अनुरूप, डॉ. धवन ने संसदीय शक्तियों और विशेषाधिकारों की सुई जेनरिस प्रकृति पर भी जोर दिया।

इन अवधारणाओं का या दिए गए अर्थ के महत्व को कम करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इस प्रकार, इस स्तर पर, एकमात्र सवाल यह था कि क्या उप-समिति से समन जारी करना संवैधानिक रूप से अनुचित था, जिसका जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

62. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा इस मुद्दे पर दलीलों का अंतिम सेट सीमित रूप में था। उन्होंने प्रतिवेदियों के लिए संसद और विधानसभाओं को बुलाने की शक्ति पर विद्वान वकील का समर्थन किया, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। हालाँकि, उनका अगला प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण के साथ तालमेल में था 32 ऊपर टिप्पणी 14. 33 सुप्रा नोट 12 और 15। 34 सुप्रा नोट 12.

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

विचाराधीन विषय। उनका निवेदन होने के कारण, यह महसूस किया गया कि विशेषाधिकार पर एक पूर्ण तर्क पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। में। वास्तव में, उनका तर्क था कि समन विधायी क्षमता की कमी के कारण जारी नहीं किए जा सकते थे, लेकिन यदि विधानसभा में विधायी क्षमता थी, तो उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सही सिद्धांत थे।

विशेषाधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और गोपनीयता

63. हमने उत्पन्न होने वाले प्रतिद्वंद्वी विवादों के पहलू से निपटा है

सदन के विशेषाधिकार से किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, उन्हें तथ्य के मामलों पर साक्षय देने के लिए मजबूर करने के लिए, और उनकी राय लेने के लिए-जो श्री साल्वे द्वारा उपरोक्त विशेषाधिकारों के शीर्ष के तहत तैयार किए गए पहले दो प्रश्न हैं। ऐसा करने के बाद, हम तीसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं जो विशेषाधिकारों के दिलचस्प पहलू के साथ-साथ किसी व्यक्ति के निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।

64. हम उस सीमा तक पहुँच सकते हैं जिससे श्री साल्वे को निपटना पड़ा

याचिका के अपरिपक्व होने पर प्रत्यर्थियों द्वारा उठाया गया पहलू - दोनों विशेषाधिकार के संदर्भ में और विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच बातचीत में।

65. श्री साल्वे ने याचिका की याचिका का दृढ़ता से खंडन किया

समिति द्वारा जारी समनों के आधार पर समयपूर्व जहाँ यह धमकी दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं के पेश नहीं होने पर विशेषाधिकार हनन के लिए उनके खिलाफ "आवश्यक कार्रवाई" की जाएगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौलिक अधिकारों का एक धमकी भरा उल्लंघन भी पर्याप्त है

35

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करें। इस पहलू को और स्पष्ट करते हुए श्री साल्वे ने कहा कि न्याय तक पहुंच एक उपलब्ध मानव अधिकार है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। 3 6 उस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि दूसरे विवादित समन ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी कि प्रतिवादी संख्या 2 यह निर्धारित किया गया था कि उपस्थित होने में विफलता विशेषाधिकार का उल्लंघन होगी जिसके लिए "आवश्यक कार्रवाई" की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी और कारावास का जोखिम शामिल था।

यह तर्क श्री साल्वे की याचिका से उत्पन्न हुआ कि याचिकाकर्ता को उपस्थित नहीं होने का अधिकार है और वैकल्पिक रूप से चुप रहने का अधिकार है यदि वह ऐसा करता है।

दिखाई देता है।

35 3 5 के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1959 एस. सी. 725,729-730 पर; डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 261, पैरा 5 पर; अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सूडान (2016) 8 एस. सी. सी. 509, पैरा 42 पर। 36 ताशी डेलेक गेमिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (2006) 1 एससीसी 442।

66. उपरोक्त तथ्य और इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि समन

स्वयं अधिकारिता के बिना था, यह प्रस्तुत किया गया था कि दंडात्मक कार्रवाई का खतरा स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना है और एक व्यक्ति को अदालत की सुरक्षा की मांग करने से पहले चोट लगने की प्रतीक्षा

करने की आवश्यकता नहीं है। 3 7 श्री साल्वे ने एस. एम. डी. किरण पाशा बनाम में की गई टिप्पणियों के महत्व पर जोर दिया। ए. पी. और अन्य की सरकार। , जहाँ न्यायालय ने माना कि "यदि किसी अधिकार के खतरे वाले आक्रमण को संभावित को रोककर हटा दिया जाता है

उल्लंघनकर्ता द्वारा उल्लंघन की दिशा में कोई भी कदम उठाने से, अधिकार सुरक्षित रहते हैं और इसके उल्लंघन के खिलाफ मजबूरी लागू की जाती है। 38 श्री साल्वे ने आगे बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड पर भरोसा किया। बिहार राज्य और अन्य। , जिसमें न्यायालय ने कहा, "इसलिए, इस तरह के आदेश या नोटिस के साथ सेवा देने वाले व्यक्ति से इसकी अनदेखी करने की उम्मीद करना उचित नहीं है।

संविधान के भाग III के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार के साथ समझाया और मिलान किया गया। याचिकाकर्ता संख्या 1 को संबोधित पहले और दूसरे विवादित समन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें इस तरह संबोधित किया गया था एक "फेसबुक का नेतृत्व करने वाला", और इस प्रकार, समिति के समक्ष कौन उपस्थित होगा, यह तय करने के लिए फेसबुक के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बेशक, दूसरे विवादित समन को वापस बुलाने और नए समन जारी करने के साथ; पहली सूचना को वापस बुलाने से पहले आग्रह किया गया यह पहलू वास्तव में जीवित नहीं रहेगा।

68. विद्वान वकील, एक बार फिर, हमें संविधान के अनुच्छेद 194 (3) में यह तर्क देने के लिए ले गए कि यह प्रदान करता है कि विशेषाधिकार शक्तियां,

समय-समय पर, परिभाषित किया जाए। निवेदन यह था कि संविधान निर्माताओं ने विशेषाधिकार शक्तियों को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट दायरे की परिकल्पना की थी, जो दुर्भाग्य से कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि यह याचिका इस आशय से की गई है कि या तो यह न्यायालय विशेषाधिकार शक्ति को परिभाषित करता है या विधायिका को कम से कम इन्हें परिभाषित करने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश/अनुरोध करता है।

37 सेनाध्यक्ष बनाम। मेजर धरम पाल कुकरेटी (1985) 2 एस. सी. सी. 412। 38 (1990) 1 एस. सी. सी. 328, पैरा 14 पर।

39 (1955) 2 पैरा 7 पर एस. सी. आर. 603।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

स्कॉटलैंड और वेल्स में समान सामग्री के आधार पर विशेषाधिकार शक्तियाँ। में। अनुच्छेद 194 (3) की भाषा के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल ऐसे विशेषाधिकार विधानसभाओं के लिए उपलब्ध हैं जिनका उपयोग मौलिक अधिकारों को बाधित किए बिना किया जा सकता है।

69. इस सामान्य प्रस्ताव के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि

याचिकाकर्ता को जारी किए गए समन ने उसके चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन किया जो अनुच्छेद 20 तक सीमित नहीं था (जो इन आपराधिक कार्यवाही नहीं होने के कारण लागू नहीं था); बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों में भी निहित था। इस न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार पसंद के पहलुओं को शामिल करने के लिए रखा गया है।

बोलने और चुप रहने के बीच। 41.

70. प्रस्तुतियों के अनुसार समन उल्लंघनकारी थे।

संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता का अधिकार। विद्वान वकील एम. एस. एम. शर्मा में इस न्यायालय के फैसले और लेखों के संदर्भ में उपलब्ध शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के बारे में उसमें व्यक्त विचार से अवगत थे।

105 (3) और संविधान की धारा 194 (3)। न्यायालय ने यह विचार रखा था कि ऐसी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संविधान के भाग III के समान स्थिति में हैं और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 194 के अनुरूप होनी चाहिए। श्री साल्वे ने बाद के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव में अंतर करना चाहा।

न्यायिक विकास। प्रस्तावित सिद्धांत को बाद के संवैधानिक विकासों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 14 और 21 के साथ अधिकारों की त्रयी के हिस्से के रूप में देखा जाना था, और अधिकार अब सिलोस में मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, उनका तर्क था कि मौलिक प्रस्ताव कि विशेषाधिकार अनुच्छेद 19 पर हावी हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 पर नहीं।

43 (1978) 1 एससीसी 248। 44 (1970) 2 एससीसी 298।

45 सुप्रा नोट 43.

" 6. हम इस स्तर पर उनके बीच अंतर्संबंध पर विचार कर सकते हैं।

एक ओर अनुच्छेद 21 और दूसरी ओर अनुच्छेद 14 और 19। हम पहले ही बता चुके हैं कि ए. के. गोपालन मामले [ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27] में बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण: 1950 एससीआर 88: 51 सी. आर. आई. एल. जे. 1383] यह था कि जब तक निवारक निरोध का

कानून अनुच्छेद 22 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह अनुच्छेद 21 की शर्तों के भीतर होगा और इसे अनुच्छेद 19 की चुनौती का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विचार इस धारणा पर आगे बढ़ा कि "संविधान के कुछ अनुच्छेद विशेष रूप से विशिष्ट मामलों से संबंधित हैं" और जहां विचाराधीन विशेष मामले से संबंधित लेख की आवश्यकताएं हैं

संतुष्ट और उस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी अन्य अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है। यह सिद्धांत

आर. सी. कूपर मामले में विशिष्टता पर गंभीरता से सवाल उठाया गया था [(1970) 2 एस. सी. सी. 298: (1971) 1 एस. सी. आर. 512] और इसे पूर्ण न्यायालय के बहुमत द्वारा शासित किया गया था, केवल रे, जे., जैसा कि वे तब असहमत थे। बहुसंख्यक न्यायाधीशों का मानना था कि हालांकि निवारक निरोध का कानून अनुच्छेद 22 की कसौटी पर खरा उतर सकता है, लेकिन यह अभी तक अन्य मौलिक अधिकारों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है

जैसे अनुच्छेद 19 "।

71. हम अंत में एक पहलू पर ध्यान दे सकते हैं जो रिट याचिका में उठाया गया था, लेकिन वास्तव में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क नहीं दिया गया था: अनुच्छेद 194 (3) के तहत राज्य विधानमंडल की विशेषाधिकार शक्तियों और एक गैर-सदस्य के मौलिक अधिकारों के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित एक समान प्रश्न एन. रवि बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय की 7-न्यायाधीश पीठ के समक्ष लंबित था। एम. एस. एम. शर्मा '7 और 1964-48 के विशेष संदर्भ संख्या 1 के बीच कथित संघर्ष के कारण विधान सभा। डॉ. सिंघवी ने इस मुद्दे का उल्लेख केवल अंतर करने और यह बताने के लिए किया कि एन. रवि "एक ऐसा मामला था जो एक गैर-सदस्य की दोषसिद्धि से संबंधित था जो वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा नहीं है।

समय से पहले क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है 46 (2005) 1 एससीसी 603। 47 सुप्रा नोट 14.

48 सुप्रा नोट 12. 49 सुप्रा नोट 46।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

और कोई भी इरादा नहीं था यदि अधिकृत प्रतिनिधि ने निष्पक्ष रूप से भाग लिया और एक गवाह के रूप में कार्यवाही में भाग लिया। कार्यवाही की पारदर्शिता पर जोर देने की मांग की गई क्योंकि इसका सीधा प्रसारण किया गया था और इसलिए किसी भी आशंका का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था

कार्यवाही के संबंध में।

74. जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 1 को जारी समन के बारे में प्रस्तुत करने का संबंध है (भले ही समन वापस ले लिया गया था), यह आग्रह किया गया था कि एक गवाह एक वैध समिति के समक्ष गवाही देने के लिए समन के जवाब में चुप रहने या अकेले रहने के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है

एक सशक्त विधायिका। इस तरह का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं था जब तक कि कोई व्यक्ति आरोपी न हो।

सेल्विस में मामला था जिसमें नार्को विश्लेषण और अन्य परीक्षणों के संदर्भ में एक आरोपी के अधिकार शामिल थे। याचिकाकर्ता संख्या 1, और उस मामले में जो कोई भी गवाही देता है, वह आरोपी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और नियमों के नियम 174 के बीच कोई टकराव नहीं है। चुप रहने का अधिकार केवल आपराधिक जांच में प्रासंगिक है। समिति के समक्ष कार्यवाही आपराधिक या न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। समिति के समक्ष कोई अभियुक्त नहीं है। सभी व्यक्ति जो इसके सामने उपस्थित होते हैं

गवाह और सदन के नियमों के अनुसार सदस्यों द्वारा परीक्षण के अधीन। ये नियम शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि तीसरा मुद्दा हम उठाएंगे। 50 सुप्रा नोट 41.

के साथ समिति का कथित प्रेषण है और क्या प्रेषण को 7 वीं अनुसूची की तीन सूचियों के तहत विषय वस्तु के विभाजन के संदर्भ में संविधान की मंजूरी है।

75. सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच उत्कीर्ण अंतर

श्री साल्वे को डॉ. सिंघवी द्वारा दरकिनार किए जाने की मांग की गई थी प्रस्तुत करते हुए कि ऐसा कोई भेद नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 105 (4) "व्यक्तियों के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। स्वयं के बारे में आशंका

संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत परिकल्पित संवैधानिक संरक्षण को देखते हुए दोषारोपण को गलत समझने का भी आग्रह किया गया।

76. डॉ. सिंघवी ने तब याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं।

मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में, मूल रूप से दोनों पक्षों द्वारा संबोधित प्रस्तुतियाँ याचिकाकर्ता संख्या 1 के संदर्भ में हैं। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी स्थापित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 को एक निजी व्यक्ति के रूप में बोलने के लिए नहीं बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 की ओर से बोलने के लिए बुलाया गया था। केवल एक शेयरधारक याचिकाकर्ता संख्या की ओर से अधिकार का दावा कर सकता था। 2 & 3 , क्योंकि वे निगमित निकाय थे, क्योंकि व्यक्तियों के अधिकारों को कंपनी में शामिल नहीं किया जाना है। 51

77. हम ध्यान दे सकते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि

याचिकाकर्ता संख्या 1 को एक निजी व्यक्ति के रूप में बोलने के लिए नहीं बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के लिए बोलने के लिए बुलाया गया है। हम कह रहे हैं कि यह आश्चर्यजनक है क्योंकि नया समन याचिकाकर्ता संख्या 2 की ओर से बोलने के लिए किसी भी उपयुक्त अधिकारी को अनुमति देता है और यदि कोई शेयरधारक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार का आग्रह कर सकता है, तो हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि निगम का एक अधिकारी जिस हद तक उसे बोलने के लिए कहा गया है वह इस पहलू का आग्रह क्यों नहीं कर सकता है। प्रथम और द्वितीय विवादित समन को विशेष रूप से संबोधित किया गया था

याचिकाकर्ता संख्या 1 और केवल बहस के दौरान, कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए (जिसे किसी तरह डॉ. धवन ने प्रासंगिक नहीं माना) प्रारंभिक समन वापस ले लिया गया और एक नया समन जारी किया गया।

78. अधिक प्रासंगिक निवेदन यह है कि अनुच्छेद के संदर्भ में

21 , इस स्तर पर, केवल उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं था। कार्यवाही विशेषाधिकार हनन के लिए नहीं थी। यदि याचिकाकर्ता संख्या 1 (या कोई अन्य अधिकारी) केवल उपस्थित हुए और एक गवाह के रूप में समिति की सहायता की, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई या इसका कोई इरादा नहीं था। अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार के मुद्दे पर 51 सुप्रा नोट 44; बेनेट कोलमैन और ओआरएस। वी. भारत संघ (1972) 2 एस. सी. सी. 788; प्रभागीय वन अधिकारी बनाम। विश्वनाथ टी कंपनी लिमिटेड (1981) 3 एस. सी. सी. 238।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

21 , यह आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 21 को स्वयं एक व्यक्ति तक सीमित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जबकि एक निगम का कोई व्यक्तित्व नहीं है। 52

79. अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत अधिकारों की त्रयी पर आधारित श्री साल्वे का तर्क डॉ. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में संदर्भ से बाहर है क्योंकि संविधान कुछ मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करता है। अनुच्छेद 19 अभी भी केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो व्यक्तित्व रखने में सक्षम हैं और अनुच्छेद 19 (1) (ए) तब भी अनुपलब्ध रहता है जब विधायी विशेषाधिकार का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से यदि विधानसभाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करना है। उस संदर्भ में यह आग्रह किया गया था कि 1964-54 के एमएसएम शर्मा 3 और विशेष संदर्भ 1 में निर्णयों का अनुपात

फिर भी अच्छा रखें। चुप रहने के अधिकार पर, यह आग्रह किया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित अधिकार नहीं था क्योंकि यह एक सामान्य अधिकार नहीं था। और यदि इस अधिकार का अनुरोध करना था, तो यह उस विधानमंडल के समक्ष होना था जिसने याचिकाकर्ता संख्या 1 को तलब किया था, और नहीं

उच्चतम न्यायालय के समक्ष। यदि किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में किसी उचित कारण के लिए मौन रहने का अनुरोध किया जाना है, तो उस अनुरोध पर समिति द्वारा लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। एन. रविस में लंबित संदर्भ पर याचिका में भरोसा रखने से याचिकाकर्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तक किसी भी उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं दी गई है।

विशिष्ट मामला।

80. डॉ. धवन ने समिति की ओर से अपने मामले को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता संख्या के बीच कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की मांग की। 1 & 2 , क्योंकि असली याचिकाकर्ता फेसबुक है न कि अजीत मोहन। समन का उद्देश्य दिल्ली दंगे जैसी स्थिति में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका के संबंध में फेसबुक की सहायता लेना था, जहां व्यक्तियों ने समिति के समक्ष गवाही दी थी और बताया था कि

जो फेसबुक जैसे मंचों के कारण हुआ था। समन फेसबुक के वरिष्ठ प्रतिनिधि को जारी किया गया था जो सहायता कर सकते थे और समन ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया था कि यह नोटिस फेसबुक इंडिया को जारी किया गया था, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को: चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 को उनकी क्षमता में नोटिस जारी किया गया था

फेसबुक के प्रतिनिधि। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि न तो अनुच्छेद 52 चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ 1950 एससीआर 869; पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बनाम। भारतीय पेट्रोनेट समूह और ए. एन. आर. (2009) 158 डीएलटी 759।

54 सुप्रा नोट 12.

55 सुप्रा नोट 46।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका महत्व है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जबरन वसूली के खिलाफ अधिकार का दावा किया था संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण। जहाँ तक निगमों का संबंध है, निगमों के लिए कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है।

उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। 56

81. विद्वान परामर्श हमें अनुच्छेद 194 (3) के माध्यम से जोर देने के लिए ले गया

कि इसके दो भाग हैं। पहला भाग वैधानिक रूप से अधिनियमित किए जा रहे विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग कहता है कि जब तक ऐसा कानून अधिनियमित नहीं किया जाता है, तब तक विधायी विशेषाधिकारों पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि वे 20.06.1979 पर खड़े थे। 1979 से पहले के मामलों की एक त्रयी में आधिकारिक रूप से चर्चा की गई कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में कौन से मौलिक अधिकार आकर्षित होते हैं। 57 एम. एस. एम. शर्मास ने घोषणा की कि गणपति केशवन रेड्डी का प्रासंगिक भाग "आज्ञाकारी था और इसलिए बाध्यकारी नहीं था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कानूनी स्थिति एमएसएम शर्मा और 19646 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में निर्धारित की गई थी। यानी संविधान का अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 194 (3) के तहत विशेषाधिकारों के प्रयोग पर लागू नहीं होता है। पैरा 27 के भाग के रूप में एम. एस. एम. शर्मा 62 में निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है:

" 27. ..... अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद। 194 (3) सुलह करनी होगी

और इसे समेटने का एकमात्र तरीका कला को पढ़ना है।

19 (1) (क) कला के अंतिम भाग के अधीन। 194 (3) , कला के रूप में। 31 कला के विषय के रूप में पढ़ा गया है। 265 जिन मामलों में

रामजीलाल बनाम। आय-कर अधिकारी, मोहिंदरगढ़ (1) और

लक्ष्मणप्पा हनुमंतप्पा बनाम। भारत संघ (2), जहाँ इस न्यायालय ने उस कला को अभिनिर्धारित किया है। 31 (1) इसे कराधान के अलावा संपत्ति से वंचित करने के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा मध्य भारत मामले (3) में जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, उनका समर्थन सही के रूप में नहीं किया जा सकता है। हमारा फैसला

56 सुप्रा 44 और 51 नोट करता है। 57 गणपति केशवन रेड्डी बनाम। नफीसुल हसन ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 636 ("ब्लिट्ज़ मामला"); सुप्रा नोट 14 ("सर्चलाइट मामला"); सुप्रा नोट 12 ("विधान सभा मामला")। 58 ऊपर टिप्पणी 14.

59 सुप्रा नोट 57।

60 ऊपर टिप्पणी 14.

61 सुप्रा नोट 12. 62 ऊपर टिप्पणी 14.

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

गुणपति केशवरम रेड्डी बनाम। नफीसुल हसन (4), जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी भरोसा किया था, पूरी तरह से वकील की रियायत पर आगे बढ़े और इस विषय पर एक सुविचारित राय के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारे निर्णय में

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए और

इस प्रकार, कला के प्रावधान। 19 (1) (क), जो सामान्य हैं, उन्हें कला के प्रति समर्पण करना चाहिए। 194 (1) और इसके एल का अंतिम भाग।

(3) जो विशेष हैं। "

82. डॉ. धवन ने डॉ. सिंघवी की दलीलों के साथ मिलकर श्री साल्वे के इस मामले पर विवाद किया कि संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21

आर. सी. कूपर 6 3 और मेनका गांधी द्वारा एक एकल अधिकार में एकीकृत। उन्होंने कहा कि जहां तक संवैधानिक सीमाओं का संबंध है, इन मामलों का प्रभाव केवल भारत की उचित प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए था। इनमें से प्रत्येक अधिकार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और तदनुसार उनकी अपनी स्वतंत्र सीमाएँ। स्वर्ण त्रिकोण

यह निर्णय देने वाले मामलों को अमान्य नहीं करता है कि संविधान का अनुच्छेद 194 (3), हालांकि अनुच्छेद 21 के अधीन था, संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन नहीं था।

संविधान। इस प्रकार श्री साल्वे के तर्क को अतिरंजित और विरोधाभासी बताया गया।

83. अंत में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को समन जारी करके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

84. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जहां तक विद्वान सॉलिसिटर जनरल का संबंध है, इस ओर से कोई विशिष्ट दलीलें संबोधित नहीं की गईं, सिवाय इसके कि उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान एन. रवि 65 की ओर आकर्षित किया।

विधायी क्षमता 85. पहले तीन पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया।

जिस विषय पर याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था, उस पर गौर करने के लिए समिति। प्रस्तुतिकरण, इस प्रकार, यह था कि अनुपस्थिति में 63 सुप्रा नोट 44। 64 सुप्रा नोट 43। 65 सुप्रा नोट 46।

ऐसी किसी भी विधायी क्षमता के लिए, याचिकाकर्ता कार्यवाही में आगे की प्रगति के लिए प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर होने के बजाय इस स्तर पर ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के हकदार थे।

86. इस समर्पण के तीन अंग थे। पहला अंग था

द्वारा अधिनियमित वैधानिक अधिनियमों, अर्थात आई. टी. अधिनियम के संबंध में सूची I के तहत संसद फेसबुक को नियंत्रित और विनियमित करती है। यह एक ऐसा पहलू नहीं हो सकता है जिससे राज्य सरकार चिंतित हो। वास्तव में, यह कारण बताया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से ऐसा किया था

सहयोग किया और अतीत में संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। दूसरा अंग उस विषय वस्तु पर आधारित था जिसमें समिति जाना चाहती थी, भले ही इसे विशेष रूप से शक्ति से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वे विषय मामले प्रविष्टि 31 (संचार) के तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और संविधान के अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के तहत सूची II (सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस) में प्रविष्टि 1 और 2 के साथ पढ़े जाते हैं। तीसरा अंग इन दो मुद्दों से निकला है और यह दिल्ली की अनूठी स्थिति पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक योजना ने विशेष रूप से कुछ विषयों को हटा दिया है जो आम तौर पर सूची II में आता है और आम तौर पर एक राज्य विधानसभा द्वारा निपटा जाता है। हालाँकि, दिल्ली के मामले में, ये शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की गई थीं।

87. फिर उन्होंने हमें आईटी अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से तर्क दिया

कि यह निर्विवाद है कि फेसबुक आईटी अधिनियम की परिभाषा के भीतर एक मध्यस्थ था। आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (डब्ल्यू) मध्यस्थों को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 2 (1) . इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

[(डब्ल्यू) "मध्यस्थ", किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में

उस रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या प्रसारित करता है या कोई सेवा प्रदान करता है उस रिकॉर्ड के संबंध में और इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता शामिल हैं,

नीलामी स्थल, ऑनलाइन-बाजार स्थान और साइबर कैफे;] " 88. विवाद के संदर्भ में उठाए जाने की मांग की गई

इस तरह की कानून और व्यवस्था की समस्याओं के दौरान मध्यस्थों की भूमिका, श्री साल्वे ने तर्क दिया कि यह पहलू ए. जे. आई. टी. मोहन बनाम को निर्देश जारी करने की शक्ति द्वारा कवर किया गया था।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करना और इस प्रकार, आईटी अधिनियम की धारा 69ए द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था। 89. श्रेया सिंघल बनाम में इस न्यायालय के न्यायिक निर्णय को देखते हुए उपरोक्त प्रावधान और इसकी भूमिका एक धूसर क्षेत्र नहीं था।

भारत संघ। 66 इस प्रकार, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित प्रक्रिया पहले से ही थी और परिणामस्वरूप, यह मामला केंद्र सरकार के कब्जे में था। 90. श्री साल्वे द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह था कि "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" दोनों के विधायी क्षेत्र स्पष्ट रूप से विधानसभा की क्षमता से बाहर थे। यह तर्क दिया गया कि उन मामलों में सिफारिशें जो सूची I के भीतर आती हैं या जो सूची II के भीतर नहीं आती हैं

विधायी कार्य नहीं कहा जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि जिस उद्देश्य के लिए समन जारी किया गया था, और जिस मुद्दे को समिति द्वारा संबोधित करने की मांग की गई थी, वह सार्वजनिक व्यवस्था के पहलू थे और इसलिए वे विधानसभा के प्राथमिक कार्य नहीं थे। 91. संवाददाता सम्मेलन में दिए गए बयानों को यह तर्क देने के लिए इंगित किया गया था कि यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि इसके अभ्यास के पीछे का उद्देश्य एक पूरक आरोप पत्र दायर करना था जो विधानसभा की शक्तियों से परे था।

92. उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 के प्रयास की पुष्टि की गई थी कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को "शिकायतों (फेसबुक के बारे में) में उठाए गए चिंता के मामले में गहराई से विचार करने" के अपने निर्णय के हिस्से के रूप में एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही देने के लिए मजबूर किया जाए। शिकायतों में कथित रूप से फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री और दिल्ली दंगों में उनके योगदान के बारे में बताया गया था। प्रत्यर्थियों की अपनी दलीलों द्वारा, याचिकाकर्ता संख्या 1 को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर करने का प्रयास निम्नलिखित को आगे बढ़ाते हुए था:

फेसबुक की कथित भूमिका से संबंधित गवाही की जांच करें

ए।

दिल्ली दंगे;

बी।

समाज की ओर से निष्क्रियता/अक्षमता के उदाहरणों की जांच करें।

इसके खिलाफ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक)

घृणित सामग्री;

के प्रतिनिधि के रूप में याचिकाकर्ता संख्या 1 के विचार प्राप्त करें

सी।

फेसबुक भारत की आंतरिक नीतियों और उनके कार्यान्वयन को समझेगा।

66 (2015) 5 एससीसी 1.

इस प्रश्न पर (याचिकाकर्ताओं के) विचार सुनिश्चित करें कि क्या

डी।

उन्होंने कहा कि कंपनी के मंच ने दिल्ली दंगों में योगदान दिया है और यह भी कि कैसे इन मंचों का उपयोग भविष्य में दिल्ली के नागरिकों के बीच एकता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

93. "सहकारी संघवाद" का उल्लेख करते हुए उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली रेखा के प्रति सचेत श्री साल्वे ने तर्क दिया कि

इसे गलत समझा गया था क्योंकि यह एक तथ्यात्मक मैट्रिक्स में उत्पन्न हुआ था जहां संघ और राज्य अतिव्यापी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विचाराधीन विधानसभा द्वारा शक्ति के प्रयोग का ओवरलैप के ऐसे किसी भी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि सहकारी संघवाद को एक संघ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा शक्ति का स्वतंत्र प्रमुख। इस संबंध में दो न्यायिक फैसलों का संदर्भ दिया गया था।

के. लक्ष्मीनारायण बनाम। भारत संघ और Anr.67 और राज्य (NCT दिल्ली) v. भारत संघ "।

94. यह समझने के लिए कि "सहकारी" का क्या अर्थ है

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच निरंतर न्यायिक लड़ाई के संदर्भ में संघवाद को राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) में स्पष्ट किया गया है, जहां अदालत ने अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के सत्ता में होने पर भी हाथ मिलाने को प्रोत्साहित किया है। हम विश्वास करते हैं और इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि ऐसी आशा बार-बार झूठी साबित हुई है! इस सिद्धांत का प्रतिपादन पैरा 119 में निम्नानुसार किया गया है: 69

" 119. इस प्रकार, सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा के पीछे विचार बातचीत और समन्वय है ताकि विकास के अपने-अपने कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर किया जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इससे निपटने का प्रयास करना चाहिए राजनीतिक कौशल , संयुक्त
कार्रवाई और ईमानदार सहयोग दिखाकर समाधान पर पहुंचने के इरादे से सामान्य समस्याएं। सहयोगात्मक संघवाद में, केंद्र और राज्य सरकारों को साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी व्यक्त करनी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक कार्यात्मक संविधान में, अधिकारियों को किसी भी संघर्ष से बचने के लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त करनी चाहिए। इस अवधारणा को तब ध्यान में रखना होगा जब दोनों पर भरोसा करने का इरादा हो।

67 (2020) 14 एससीसी 664। 68 सुप्रा नोट 27।

69 पैरा 119 पर सुप्रा नोट 27।

प्राधिकार के स्रोत के रूप में संवैधानिक प्रावधान। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि केंद्र और राज्य दोनों को ऐसा करना चाहिए।

अपने क्षेत्रों के भीतर काम करें और किसी भी अतिक्रमण के बारे में न सोचें। लेकिन उनके क्षेत्रों के भीतर अधिकार के प्रयोग के संदर्भ में, परिपक्व राजनीतिक कौशल की धारणा होनी चाहिए ताकि संवैधानिक रूप से दी गई जिम्मेदारियों को उनके द्वारा साझा किया जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए दोनों के बीच निरंतर और निर्बाध बातचीत की आवश्यकता होती है।

संघ और राज्य सरकारें। हम जल्दबाजी में यह भी कह सकते हैं कि सहयोगात्मक संघवाद का यह विचार तब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा जब हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विशेष दर्जे और एक ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को और दूसरी ओर उपराज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्ति के सार को समझेंगे।

95. इस प्रकार, श्री साल्वे ने तर्क दिया कि न्यायालय ने सहयोगी संघवाद की अवधारणा को छुआ है, लेकिन साथ ही साथ

"बिल्कुल स्पष्ट" शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना होगा और किसी भी अतिक्रमण के बारे में नहीं सोचना होगा। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि जो करने की मांग की गई थी वह स्पष्ट रूप से सहकारी संघवाद के बड़े सिद्धांत पर भरोसा करके एक अतिक्रमण था। 96. के. लक्ष्मीनारायण में एक बार फिर एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है कि विधानसभा सत्ता का प्रयोग करने की कोशिश कर सकती है।

संसद द्वारा घोषित जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के तहत प्रदान किया गया

पुडुचेरी क्षेत्र, जिसमें केवल विशुद्ध रूप से सक्षम करने वाले प्रावधान थे, जबकि बाद वाले में व्यापक प्रावधान थे, जिनमें से उपखंड (7) ने संसद को सभी प्रावधानों को कानून बनाने और प्रभावी बनाने का अधिकार दिया। श्री साल्वे ने विधानसभा के "एक ऐसे अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने" के प्रयास की आलोचना की जो उपलब्ध नहीं है। 97. नए समन द्वारा पहले के समन को निरस्त किए जाने से उत्पन्न अदालत के प्रश्नों के जवाब में, प्रतिवादियों का तर्क था कि विशेषाधिकार का पहलू उत्पन्न नहीं हुआ था, और क्या याचिकाकर्ता एक गैर-जिम्मेदार मंच होने का दावा कर सकते हैं; श्री साल्वे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता किसी भी भारतीय कानून का पालन करने के लिए तैयार थे और ऐसा कर रहे थे। वे जो करना नहीं चाहते थे, वह होना था

70 सुप्रा नोट 67।

राजनीतिक विभाजन के एक पहलू में खींचा गया। इस बिंदु पर जोर देने के लिए उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा दिनांकित एक पत्र का उल्लेख किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि फेसबुक इंडिया उन लोगों के लिए बातचीत के लिए जगह को कम करने के लिए एक ठोस प्रयास का नेतृत्व कर रहा है जिनके पास केंद्र की विचारधारा का अधिकार है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि एक ओर उत्तरदाताओं का आरोप है कि फेसबुक का सरकार समर्थक या अधिकार समर्थक पूर्वाग्रह था, जबकि केंद्र सरकार ने इसके विपरीत सामान्य कारक होने का दावा किया।

कि दोनों पद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग-अलग पक्षों से पक्षपात का आरोप लगाकर अपने-अपने राजनीतिक कारणों से थे। श्री साल्वे

तर्क यह था कि एक विधानसभा को खुद को कानून के अपने मुख्य कार्य तक सीमित रखना चाहिए। भले ही उसे किसी गवाह को बुलाना हो, यह उन मामलों के संबंध में होना चाहिए जो उसके दायरे में थे जैसा कि न्यायालय द्वारा राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. के फैसले में सीमांकित किया गया था। भारत संघ "। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संदर्भ में, सार्वजनिक व्यवस्था के प्रवेश के संबंध में शक्तियां संसद को प्रदान की गई थीं और इसके परिणामस्वरूप संसद की शक्तियों से वंचित कर दिया गया था।

सभा। उस संदर्भ में, भले ही प्रविष्टियों को सबसे व्यापक आयाम दिया गया हो, इसका उद्देश्य संसद या विधानसभा की विधायी क्षमता को उस क्षेत्र में सीमित नहीं करना था जिसमें वे हैं।

सिद्धांत कानून बनाने के लिए सक्षम थे। वर्तमान मामले में, कोई भी राज्य सरकार के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों से चिंतित था और इसलिए प्रविष्टियों के व्यापक अर्थ के सिद्धांत का परिणाम अतिव्यापी शक्तियों में नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसा शायद ही हो सकता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूल। यह बात विद्वान सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुतिकरण से स्पष्ट थी, जिन्होंने तर्क दिया था

कि पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को प्रविष्टियों के पढ़ने पर लागू करना होगा जब उनके साथ सीमांकन करने के लिए व्यवहार किया जाएगा

' लक्ष्मण रेखा 'संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए। विवाद के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि प्रविष्टियों को इतने व्यापक रूप से पढ़ने की अनुमति देने से ढलान फिसल जाएगी।

98. अंत में श्री साल्वे ने 'दोहरी बात' पर भी जोर दिया।

विधानसभा और समिति के वकील के रुख के बीच; जो एक स्पष्ट संकेत था कि नए सम्मन केवल एक प्रतिकूल न्यायिक विचार की संभावना या प्रत्याशा से बाहर निकलने के लिए छल। चुप रहने का अधिकार एक पुण्यपूर्ण अधिकार था और आज के शोरगुल के समय में, इस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए या इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

71 सुप्रा नोट 27 और सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. बनाम भारत संघ 2020 12 एस. सी. सी. 259.

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

99. याचिकाकर्ता नंबर 3 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने एक बार फिर श्री साल्वे के रुख का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि कोई भी शक्ति

या विशेषाधिकार बदले में विधानसभा की विधायी क्षमता द्वारा सीमित थे। इस प्रकार, किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग निर्दिष्ट विधायी क्षेत्रों के भीतर किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में मे की टिप्पणी के साथ-साथ कौल और शकधर की टिप्पणी से भी ताकत हासिल करने की कोशिश की, जहां यह पूर्व में देखा गया था कि "अपने अधिकार के भीतर बनाई गई समिति के आदेश की अवज्ञा करना अवमानना है।

घर "। (जोर दिया गया)। 72 उत्तरार्द्ध में यह देखा गया कि "सदन की समिति के आदेशों की अवज्ञा को स्वयं सदन की अवमानना माना जाता है, बशर्ते कि आदेश की अवज्ञा समिति के अधिकार के दायरे में हो।" (जोर दिया गया) 73 इसके बाद विद्वान वकील ने इस मामले में न्यायिक उदाहरणों की ओर रुख किया।

ध्यान दें। 74

100. उन्होंने प्रस्तुत किया कि शक्तियां और विशेषाधिकार लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं जिनका उपयोग 7वीं अनुसूची के तहत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर किया जा सकता है और विधानसभाएं सूचियों से परे जाने के लिए सक्षम नहीं थीं। 75

101. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि यदि किसी प्राथमिक कानून को विधायी क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्त किया जा सकता है, तो एक समिति

ऐसे मामलों से निपटने के लिए गठन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाता यह नहीं कह सकते कि उनके पास इस विश्वास के आधार पर कि राज्य विधानसभा दिल्ली में मुख्य कार्यों से संबंधित है, सभी कथित क्षेत्रों से संबंधित समिति के समक्ष एक घूमती और मछली पकड़ने की जांच में जाने की शक्ति है। विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा इसकी विधायी क्षमता को इतने व्यापक तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि कम से कम चर्चा के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट बहिष्करणों द्वारा प्रतिबंधित न किया जाए।

102. श्री दातार ने तब दोनों में शासन की समान संघीय संरचना का विश्लेषण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक उदाहरणों की ओर रुख किया।

भारत और अमेरिका। कांग्रेस द्वारा जिन मामलों की जांच की जाती है।

72 पैरा 38.57 पर सुप्रा नोट 24।

73 एम. एन. कौल और एस. एल. शाखदर, संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया, 303 (ए. मिश्रा, 7 वीं संस्करण। 2016) .

74 सुप्रा नोट्स 9 और 15। 75 सुप्रा नोट 20.

103. वॉटकिंस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका "यह देखा गया कि" कोई भी जांच अपने आप में एक अंत नहीं है, यह कांग्रेस के एक वैध कार्य से संबंधित होना चाहिए "। इस प्रकार, अकादमिक पूछताछ नहीं की जा सकती-यह केवल वही है जो कांग्रेस की शक्तियों के भीतर है जिसकी जांच की जा सकती है। व्यापक जांच की शक्ति है, लेकिन असीमित नहीं। " कांग्रेस की जांच की ऐसी शक्ति उसके "वैध कार्यों" तक सीमित है, जो वर्तमान मामले में विधायी क्षमता को दर्शाती है। 104. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि डॉ. धवन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि इस निर्णय को बैरनब्लैट बनाम में खारिज कर दिया गया था। संयुक्त

स्टेट्स 78 और ईस्टलैंड बनाम। यूनाइटेड स्टेट्स सर्विसमेन फंड "। श्री दातार

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पहलू के लिए वे फैसले पर भरोसा करना चाहते थे, उसे न केवल खारिज कर दिया गया था, बल्कि वॉटकिंस 80 में कांग्रेस की जांच की शक्ति की सीमाओं की पुष्टि की गई थी।

105. इसके बाद उन्होंने हावर्ड जार्विस के फैसले का उल्लेख किया।

करदाता संघ बनाम। पडीला 1 इस अवलोकन के लिए कि

विधायिका अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी सहयोगी शाखाओं के संवैधानिक कार्यों के प्रयोग को "पराजित या भौतिक रूप से बाधित" करने के लिए नहीं कर सकती है, न ही किसी अन्य शाखा के अधिकार के "मूल क्षेत्र में घुसपैठ" कर सकती है। अन्वेषणात्मक शक्तियों का उपयोग बाहर के मामलों में सेंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

106. प्रविष्टियों को व्यापक रूप से पढ़ने की आवश्यकता के संदर्भ में, श्री दातार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कानून बनाने की शक्ति 239ए. ए. (3) (ए) प्रविष्टि 1,2 और 1 को छोड़कर सूची 2 के मामलों के संबंध में था। 18. यदि प्रविष्टियों को पढ़ने के सिद्धांत को इस संदर्भ में

व्यापक रूप से लागू किया जाना है, तो बहिष्कृत प्रविष्टियों को भी व्यापक रूप से संसद को शक्ति प्रदान करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि शक्तियाँ प्रदान करने वाली प्रविष्टियाँ

राज्य विधानसभा को व्यापक रूप से पढ़ा जाना था, जबकि साथ ही उन प्रविष्टियों के लिए एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना था जिनके तहत शक्तियों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। "के संबंध में" वाक्यांश में यह शामिल है कि प्रविष्टियों में सार्वजनिक व्यवस्था और/या संबंध के साथ कुछ भी शामिल है।

76 354 यू. एस. 178 (1957) पृष्ठ पर। 187 . 77 आइबीआइडी। 78 360 यू. एस. 109 (1959) पीजी पर। 111- 112 . 79 421 यू. एस. 491 (1975) पृष्ठ पर। 504 . 80 सुप्रा नोट 76।

81 62 कैली 486 (2016) पृष्ठ पर। 499 .

पुलिस। इस प्रकार, ऐसी गतिविधियों के संबंध में शक्तियां पूरी तरह से संसद के पास हैं। एक बार फिर, पहले से ही लिया गया न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट और स्पष्ट था, अर्थात, कि विधानसभा के पास कोई शक्ति नहीं थी-विधायी

239 ए. ए. को सभी सहायक और सहायक मामलों को शामिल करने के लिए प्रासंगिक और व्यापक रूप से पढ़ना होगा। इसने बदले में विधानसभा और समिति को उस पहलू पर कानून बनाने या जांच करने की शक्तियों से वंचित कर दिया। इस प्रकार, जिसे विधानसभा को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, उसे "शांति और सद्भाव" की आड़ में समितियों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सका। विधानसभा के पास हिंसा और सांप्रदायिकता से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था दंगे, यदि सूची II की प्रविष्टियाँ 1 और 2 की व्याख्या प्रस्तुत के रूप में की जाती है। अंत में इन मामलों की जांच करने की भी कोई शक्ति नहीं हो सकी।

107. यह तर्क दिया गया था कि यह समिति विधानसभा की रचना थी और इसका क्षेत्राधिकार विधानसभा से बड़ा नहीं हो सकता था। द.

02.03.2020 पर जारी बुलेटिन ने सुझाव दिया कि समिति का गठन सूची II की प्रविष्टियों 1 और 2 में आने वाले मामलों से निपटने के लिए किया गया था, जबकि इसे "हाल के सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को देखते हुए" कहा गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह समिति दंगों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को हुई हिंसा और अशांति से निपटने के लिए थी। "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें सांप्रदायिक शांति और सद्भाव शामिल होना चाहिए। दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित समिति द्वारा जारी समन जिसके लिए विधानसभा ने

उनके पास जांच करने या कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि ऐसे मामलों के संबंध में कोई क्षमता नहीं थी, तो उस संदर्भ में समन अधिकार क्षेत्र के बिना होगा और इस प्रकार, शुरुआत से ही अमान्य होगा। 108. चूंकि सहकारी संघवाद को उत्तरदाताओं के कार्यों की संवैधानिकता को सही ठहराने के आधार के रूप में प्रचारित किया गया था, इसलिए यह था

प्रस्तुत किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) में स्पष्ट बहिष्कार को दरकिनार करने के लिए सूची III की प्रविष्टियों 1 और 2 पर निर्भरता रखने के लिए एक लाइसेंस के बराबर नहीं होगा। प्रासंगिक प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं:

" सूची III-वर्तमान सूची

1. आपराधिक कानून, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं, लेकिन निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों को छोड़कर

82 सरकार. दिल्ली के एन. सी. टी. बनाम भारत संघ 2020 12 एस. सी. सी. 259.

सूची I या सूची II में और नागरिक सहायता में नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बलों के उपयोग को छोड़कर

शक्ति।

2. इस संविधान के प्रारंभ में दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामलों सहित दंड प्रक्रिया।

109. आपराधिक कानून से संबंधित मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक शांति से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति शामिल नहीं होगी और

समान सामंजस्य "सार्वजनिक व्यवस्था" के लिए पता लगाया जा सकता है, यदि बाद वाला होना है

व्यापक रूप से व्याख्या की गई।

111. श्री दातार ने तर्क दिया कि जाहिर है कि दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग-अलग धारणाएँ थीं और इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि यह सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न कानून और व्यवस्था का मुद्दा था। यह एक ऐसा पहलू नहीं था जिससे विधानसभा या इसकी कोई भी समिति निपट सके। यदि सभा यह किसी विषय पर कानून नहीं बना सकता है, यह एक कार्यकारी जांच के तहत इसका पता नहीं लगा सकता है। भाग लेने की केवल अनिच्छा को विशेषाधिकार

हनन से नहीं रोका जा सकता था और समिति द्वारा जिस विषय पर विचार किया जा रहा था वह विधानसभा के दायरे और शक्ति से बाहर था।

112. श्री दातार ने इस बात पर जोर दिया कि फेसबुक की भूमिका एक मध्यस्थ की थी और इस प्रकार, प्रासंगिक नियामक तंत्र के तहत था

आईटी अधिनियम। उन्होंने यहां तक तर्क दिया कि फेसबुक की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसके संचालन को "संचार के अन्य रूपों" के तहत प्रविष्टि 31, सूची I द्वारा कवर किया गया था। चूँकि संसद के पास अनुच्छेद के तहत सूची I में प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की प्रबल शक्ति है 246 (1) संविधान के अनुसार, सभा मध्यस्थों/संचार के अन्य रूपों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसके अलावा यह

83 सुप्रा नोट 27।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

"पूछताछ" और "आपराधिक कानून" (सूची III) की सामान्य प्रविष्टियाँ, जिन पर दिल्ली विधानसभा ने भरोसा करने का प्रयास किया था। 84 113. इसके बाद विद्वान वकील ने आई. टी. अधिनियम की धारा 79 की ओर रुख किया जो कुछ मामलों में मध्यस्थों के दायित्व से छूट से संबंधित है।

मामले।

114. श्री दातार ने अंत में आग्रह किया कि फेसबुक जैसे मध्यस्थ का उस पर होस्ट की गई सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है और वास्तव में, उनके मंच पर सामग्री के सार को जानने या कानून द्वारा निर्धारित किए जाने के अलावा उस पर किसी भी नियंत्रण का प्रयोग करने से प्रतिबंधित है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक मध्यस्थ को उनके द्वारा उपलब्ध/होस्ट किए गए किसी भी तीसरे पक्ष के डेटा/जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। फेसबुक केवल एक ऐसा मंच था जहाँ संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता था। वॉट्सऐप, सिग्नल, टेलिग्राम भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं। ये ऐसे मध्यस्थ हैं जो तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

उन्हें। आई. टी. अधिनियम की धारा 79 में केवल यह दायित्व लगाया गया है कि बिचौलियों की ओर से उचित परिश्रम किया जाए क्योंकि फेसबुक ने प्रसारण शुरू नहीं किया था और न ही इसे नियंत्रित किया था। इसलिए, उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और मध्यस्थ के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई Act.85 द्वारा निर्धारित तरीके से की जानी चाहिए।

स्थिति को किसी भी तरह से बदलें क्योंकि जांच की सामग्री थी एक ही।

115. डॉ. सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रचार की गई दलीलों का खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि "शांति और सद्भाव" की अभिव्यक्ति को "कानून और व्यवस्था" के साथ जोड़ना उचित नहीं है। पूर्व एक बहुत व्यापक शब्द था। किसी भी मामले में, विधानसभाओं के पास व्यापक जांच शक्तियां हैं, 86 क्षेत्र जो अन्यथा विधायी हस्तक्षेप के लिए विधायिका के लिए उपलब्ध नहीं हैं, अभी भी विधायिका की एक समिति के लिए उपलब्ध हैं। कल्पना मेहता का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

" 335. राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विभिन्न समितियों को संसद के कार्यों के संबंध में भारी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सौंपा गया है। 'इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास' में मैटलैंड ने समितियों का उल्लेख करते हुए

84 केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। द इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (1976) 1 एस. सी. सी. 466। 85 सुप्रा नोट 66। 86 सुप्रा नोट 20.

ब्रिटिश संसद के सदनों ने कार्यों को देखा

" ..... फिर समितियों के माध्यम से सदन अब अभ्यास करते हैं जिसे हम जिज्ञासु शक्ति कह सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है

सार्वजनिक मामलों में जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की जा सकती है

जनता से संबंधित सभी प्रकार के विषय हाल ही में किए गए हैं संसदीय आयोगों द्वारा जाँच की जाती है; इस प्रकार जानकारी है

प्राप्त जो कानून के लिए या के लिए एक आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश "।

(जोर दिया गया)

116. यह विधायी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था

एक सभा की क्षमता और सर्वोत्तम संभव सिफारिशें करने के लिए समिति की जांच शक्तियों का प्रयोग करना।

117. डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि प्रेस के चुनिंदा उद्धरण

जो लोग उस संघीय इकाई में रहते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। इस प्रकार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शांति और सद्भाव का क्षेत्र संघीय इकाई के विधानमंडल के लिए बहुत व्यापक और अंतर्निहित है और इसके भीतर सूची II और सूची III दोनों में विधानसभा की क्षमता के कई क्षेत्र शामिल हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि "बंधुत्व" एक प्रारंभिक मूल्य है, जो समानता और स्वतंत्रता की तरह, पूरे संविधान के कामकाज को प्रभावित करता है। उन्होंने "शक्तियों, विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों" से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 39 का उल्लेख किया।

इस बात पर जोर देना कि राज्य के विधानमंडल की समितियों के समक्ष साक्षय देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति को लागू करना इसके कार्यों का एक आंतरिक हिस्सा था। यह सूची II या सूची III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजनों के लिए पूछताछ और सांख्यिकी से संबंधित सूची III की प्रविष्टि 45 के साथ पूरी तरह से समिति द्वारा देखे जाने वाले पहलुओं को शामिल करेगी।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

118. डॉ. सिंघवी ने इस तरह की समितियों के काम करने के तरीके और उनके भुगतान के समर्थन में तीन न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया

अमेरिका से: ((i) ईस्टलैंड बनाम। यूनाइटेड स्टेट्स सर्विसमेन फंड, (ii) वॉटकिंस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 88 और (iii) बैरनब्लैट बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका। इन निर्णयों में जो सामान्य सूत्र व्याप्त है, वह यह है कि जांच करने की शक्ति एक विधायी निकाय के रूप में कानून बनाने की शक्ति में निहित है, जो उन शर्तों के संबंध में जानकारी के अभाव में बुद्धिमानी से या प्रभावी ढंग से कानून नहीं बना सकती है, जिन्हें कानून प्रभावित करने या बदलने का इरादा रखता है। उस संदर्भ में, सम्मन जारी करने का प्रयोग सदन की ओर से कार्य करने वाली समिति द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कहा गया: यह निष्कर्ष निकालना कि जांच की शक्ति विधायी प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के अलावा अन्य है, एक दयनीय अध्ययन होगा

भाषण या बहस खंड विधायिका की अखंडता का अपमान है। 9 0

119. इस तरह की जांच इस बात से सीमित नहीं थी कि अंतिम परिणाम क्या होगा: न ही कांग्रेस की जांच की वैधता है।

इसे इस बात से परिभाषित किया जाना चाहिए कि यह क्या उत्पादन करता है। 91 इस तरह का खोजी कार्य किसी भी शोध के समान था जिसमें शोधकर्ताओं के कुछ "अंधी गलियों" और गैर-उत्पादक उद्यमों में समाप्त होने की संभावना थी, क्योंकि "एक वैध विधायी जांच होने के लिए कोई अनुमानित अंतिम परिणाम की आवश्यकता नहीं है"। 92

120. तथ्यों को प्राप्त करने के प्रयास में अमेरिकी कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए एक नागरिक के कर्तव्य पर, इसे एक "निरंतर दायित्व" माना गया था।

सम्मन का जवाब देना, कांग्रेस और उसकी समितियों की गरिमा का सम्मान करना और उचित जांच के प्रांत के भीतर मामलों के संबंध में पूरी तरह से गवाही देना। 93

121. शिक्षण के एक पहलू पर जो शैक्षिक क्षेत्र में अपनाया जाता है

संस्थानों में, यह देखा गया कि पूछताछ को पढ़ाने की स्वतंत्रता के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यह कांग्रेस को केवल एक गवाह से पूछताछ करने से नहीं रोकेगा क्योंकि वह एक शिक्षक है। इस प्रकार, "एक शैक्षणिक संस्थान उन मामलों की जांच के लिए एक संवैधानिक अभयारण्य नहीं है जो अन्यथा इसके भीतर हो सकते हैं।

87 सुप्रा नोट 79।

88 सुप्रा नोट 76।

92 सुप्रा नोट 79। 93 सुप्रा नोट 76।

संवैधानिक विधायी क्षेत्र केवल इस कारण से है कि इसकी दीवारों के भीतर किसी की जांच की जाती है। 9994

122. डॉ. सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए इस विषय पर चर्चा करने की क्षमता को विशेषाधिकार का प्रयोग करने की शक्तियों के साथ जोड़ना अनुचित है। संदर्भ की शर्तें जो दायरे और क्षमता को परिभाषित करती हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी, उन्हें प्रस्तुत किया गया था

कि याचिकाकर्ताओं के लिए समिति की क्षमता पर इस न्यायालय के विचार को आमंत्रित करना उचित नहीं था। बहिष्कृत प्रविष्टियों के बारे में तर्क को "स्मोकस्क्रीन" के रूप में लेबल किया गया था। प्रविष्टियों से उत्पन्न बहिष्करण के दावे के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के किसी भी बहिष्करण को संकीर्ण रूप से समझना होगा। 9 5 95 123. डॉ. धवन ने डॉ. सिंघवी के समान तर्क को अपनाया, उसी न्यायिक घोषणाओं का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा कि

वॉटकिंस में होल्डिंग 1950 के दशक में मुख्य न्यायाधीश वारेन की मैकार्थीवाद के प्रति विस्मयकारी नाराजगी पर आधारित थी और तब से कांग्रेस की शक्तियों को अनावश्यक रूप से सीमित करने के रूप में आलोचना की गई है। इसी तर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय थे जिन्होंने कांग्रेस के प्राधिकरण

और पहले संशोधन की प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों को सुलझा लिया। 97 इसके बाद अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण समिति की शक्तियों को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत करता है। 98 उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी कानून का सार यह है कि जब आपको बुलाया जाता है, तो आपको उपस्थित होना चाहिए, लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देने में पांचवें संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं।

शासन, और शांति और सद्भाव की तुलना केवल इसके साथ नहीं की जा सकती है पुलिस के कार्य और सार्वजनिक व्यवस्था। तर्क को चार अलग-अलग स्तरों पर कहा जा सकता है: ((i) प्रविष्टियों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या; (ii) रैगबैग दृष्टिकोण; (iii) सूची III की प्रविष्टि 45 के तहत पूछताछ का व्यापक दायरा; और (iv) कार्यकारी शक्ति की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। डॉ. धवन के तर्क का जोर इस बात पर था कि सांप्रदायिक सद्भाव दिल्ली के शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पुलिस के सीमित अधिकार से परे है।

9 4 सुप्रा नोट 78। 9 5 95 सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 109। 96 सुप्रा नोट 76।

97 विल्किंसन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 365 यू. एस. 399 (1961); ब्रैडेन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 365 यूएस 431 (1961)।

सुप्रा नोट 79।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

प्रस्तुत किया गया था कि यह समिति की कार्यवाही की पूरी प्रणाली को हास्यास्पद बना देगा। सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता कि विधायी प्रविष्टियों को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए और इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन प्रविष्टियों का मिलान करे जो ओवरलैप प्रतीत हो सकती हैं या सीधे संघर्ष में हो सकती हैं। 99

125. डॉ. धवन ने रगबैग की अवधारणा को पेश करने की मांग की

विधान, यह प्रस्तुत करते हुए कि यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयकर न्यायशास्त्र में उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति थी। 100 रगबैग दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि विधायी और कार्यकारी शक्तियों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है

केवल एक प्रविष्टि, लेकिन इसके बजाय 7 वीं अनुसूची में प्रासंगिक सूची में कई प्रविष्टियों का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार, कई प्रविष्टियों का यह परिप्रेक्षय हो सकता है

समिति को शांति और सद्भाव पर विचार करने के लिए सशक्त बनाना

ऐसा

शिक्षा की तरह प्रत्यक्ष रूप से लागू होते थे, और अन्य जो अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते थे जैसे व्यापार और वाणिज्य। शांति और सद्भाव एक अवधारणा थी सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से परे, और उसी के चित्र सूची II और सूची III से दिए गए थे। 7 वीं अनुसूची में दी गई सूची II और सूची III के प्रासंगिक भागों को नीचे पढ़ा गया है:

" सूची II-राज्य सूची

5. स्थानीय सरकार, अर्थात, का संविधान और शक्तियाँ

इस उद्देश्य के लिए निपटान प्राधिकरण और अन्य स्थानीय प्राधिकरण स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन।

9 9 जिलुभाई नानभाई बनाम। गुजरात राज्य (1995) सप. 1 एससीसी 596। 100 उजागर प्रिंट्स (II) v. भारत संघ (1989) 3 एस. सी. सी. 488।

आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।

7. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं के अलावा अन्य तीर्थयात्राएँ।

10. दफन और कब्रिस्तान; दाह संस्कार और दाह संस्कार स्थल।

12. पुस्तकालय, संग्रहालय और राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित इसी तरह के अन्य संस्थान; प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और रिकॉर्ड जो [संसद द्वारा या उसके तहत बनाए गए कानून द्वारा घोषित] के अलावा राष्ट्रीय महत्व के हैं।

13. संचार, अर्थात, सड़कें, पुल, घाट और संचार के अन्य साधन जो सूची I में निर्दिष्ट नहीं हैं; नगरपालिका ट्रामवे; रोपवे; अंतर्देशीय जलमार्ग और उस पर यातायात विषय

ऐसे जलमार्गों के संबंध में सूची I और सूची III के प्रावधान; यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहन।

17. जल, अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति। सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन।

22. सूची I की प्रविष्टि 34 के प्रावधानों के अधीन वार्डों के न्यायालय; भारित और संलग्न संपदाएँ।
24. सूची I के [प्रविष्टियाँ 7 और 52] के प्रावधानों के अधीन उद्योग।

26. सूची III की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।
27. सूची III की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण।

28. बाजार और मेले।

32. सूची I में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और

संघ; सहकारी समितियाँ।

35. राज्य में या उसके कब्जे में निहित कार्य, भूमि और भवन। 37. संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव।

39. विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, और, यदि कोई आई. टी. मोहन v है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

उस परिषद की विधान परिषद और सदस्यों और समितियाँ; की उपस्थिति का प्रवर्तन

व्यक्तियों के लिए

समितियों के समक्ष साक्षय देना या दस्तावेज प्रस्तुत करना

राज्य का विधानमंडल।

65. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ,

इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में।

" सूची III-समवर्ती सूची

1. भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून

इस संविधान के प्रारंभ में संहिता, लेकिन इसके अलावा

निर्दिष्ट मामलों में से किसी के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध

सूची I या सूची II में और नौसेना, सैन्य या वायु के उपयोग को छोड़कर

नागरिक की सहायता में संघ के बल या कोई अन्य सशस्त्र बल

शक्ति।

3. सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत

किसी राज्य का, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, या

समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाएँ; अधीन व्यक्ति

ऐसी गिरफ्तारी के लिए।

8. कार्रवाई योग्य गलतियाँ।

12. साक्षय और शपथ; कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों की मान्यता,

और न्यायिक कार्यवाही।

15. वाग्रांसी; खानाबदोश और प्रवासी जनजातियाँ। 16. स्वागत के लिए स्थानों सहित पागलपन और मानसिक कमी

या पागलों और मानसिक दोषियों का उपचार। 20. आर्थिक और सामाजिक नियोजन।

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।

25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा और विश्वविद्यालय, प्रविष्टियों के प्रावधानों के अधीन 63,64,65 और

66 सूची I; श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

28. धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक

दान और धार्मिक संस्थान। 33. व्यापार और वाणिज्य, और उत्पादन, आपूर्ति और

का वितरण,

(क) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां ऐसे उद्योग का नियंत्रण हो।

संघ द्वारा संसद द्वारा कानून द्वारा [2021] 14 एस. सी. आर. में समीचीन घोषित किया गया है।

लोक हित, और उसी प्रकार की आयातित वस्तुएँ

उत्पादों;

(ख) खाद्य तेलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थ;

(ग) पशुओं का चारा, जिसमें तेल केक और अन्य सांद्र पदार्थ शामिल हैं;

(घ) कच्चा कपास, चाहे वह जालीदार हो या बिना जालीदार, और कपास के बीज; और (ई) कच्चा जूट।

38. बिजली। 39. समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस।

40. पुरातात्विक स्थल और उनके अलावा अन्य अवशेष [घोषित]

संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत] राष्ट्रीय महत्व का होना।

45. किसी भी मामले के उद्देश्यों के लिए पूछताछ और आँकड़े

सूची II या सूची III में निर्दिष्ट किया गया है।

126. डॉ. धवन ने आगे कहा कि गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई करने का संवैधानिक दायित्व

शांति के संबंध में जाँच करना और कार्रवाई की सिफारिश करना सरकार का कर्तव्य है

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, जैसे कि अनुच्छेद 14,15,16,17,21,25 से 30,39 ए, 39 (बी), 40,41,46 और 47 में परिकल्पित धर्म, सांस्कृतिक अधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा के लिए भी सद्भाव। ये प्रावधान वास्तव में मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांतों का एक मिश्रण हैं।

राज्य की नीति। डॉ. धवन द्वारा सूची III में प्रविष्टि 45 पर काफी जोर दिया गया था, जो एक स्व-स्थायी प्रविष्टि है जिसे इस न्यायालय द्वारा सबसे व्यापक आयाम दिया गया है। 1 0 1 यह प्रविष्टि कार्यपालक से संबंधित है

जाँच समितियाँ बनाने की शक्ति। उस संदर्भ में यह देखा गया है कि ये पूछताछ किसी भी सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले को शामिल करेंगी और केवल विधायी विषयों के प्रमुख के रूप में उन मामलों तक सीमित नहीं होंगी-संपार्श्विक मामलों में जांच का विस्तार करना। इसके अलावा सूची II की प्रविष्टि 39 का उल्लेख करते हुए, डॉ. धवन ने आग्रह किया कि यह प्रविष्टि नंगे पढ़ने से लेकर गैर को बुलाने की शक्ति को शामिल करने के लिए काफी व्यापक थी।

सदस्यों ने "व्यक्तियों की उपस्थिति के प्रवर्तन" की अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।

127. डॉ. धवन के तर्कों में जो धागा फैला था, वह था

कि शासन का कार्य केवल कानून का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने से कहीं अधिक व्यापक है। अगर कार्यकारी शक्ति को कम किया जाए तो वह ध्वस्त हो जाएगी।

101 श्रीराम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति तेंदुलकर 1959 एस. सी. आर. 279 पृष्ठों पर। 289 , 291 .

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

केवल विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करने के लिए और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया था कि कानून के बिना कार्यकारी शक्ति का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। 102

128. ऊपर उल्लिखित चार पहलुओं पर चर्चा करने के बाद डॉ. धवन ने श्री साल्वे के विधायी तर्क का जवाब देने की कोशिश की।

आई. टी. अधिनियम द्वारा क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है। यह डॉ. धवन का निवेदन था कि आई. टी. अधिनियम "सहकारी संघवाद" का एक उदाहरण था क्योंकि अधिनियम ने धारा 2 (ई) में "उपयुक्त सरकार" की परिभाषा के संदर्भ में राज्य और केंद्र दोनों को सशक्त बनाया था। इस प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 6 और 69 जैसे प्रावधान केंद्र या राज्य को संदर्भित कर सकते हैं और विधायी क्षेत्र को विशेष रूप से केंद्र द्वारा अधिकृत नहीं कहा जा सकता है। यह केवल एक समन के संदर्भ में अधिक है जिसमें याचिकाकर्ता को मंच पर पहुंचे बिना उपस्थित होने की आवश्यकता थी।

किस दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। समिति को किसी भी पूछताछ की कवायद में शामिल नहीं होने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह केवल सहकारी संघवाद की भावना में सहायता तक सीमित था। 129. सहकारी संघवाद को शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि संविधान के सिद्धांतों का एक हिस्सा माना जाता था। यह.

यह संचार का एक ऐसा तरीका था जो संघवाद को अधिक प्रभावी बनाता है, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को समान समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, सहयोग के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता था या

सहकारी संघवाद। 1 03 यह और भी बड़ा बताया गया था

दिल्ली विधानसभा की अनूठी स्थिति के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच रस्साकशी के आलोक में इसका महत्व है। इस प्रकार, शांति और सद्भाव के मुद्दों को एक समन्वित प्रयास से हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने, निश्चित रूप से, स्वीकार किया कि दो सरकारों का इतिहास एक संघर्ष का प्रमाण था जो सहयोगात्मक होने के बजाय प्रतिस्पर्धी होने के करीब था।

130. डॉ. धवन ने इस प्रकार अपनी दलीलें पूरी कीं।

यह पहलू कि:

(अ)

यह उनका तर्क नहीं था कि सम्मेलन और व्यापक

अवधारणाएँ शक्ति के स्रोत हैं; हालाँकि, अंतर्निहित सिद्धांत दोनों के लिए मौलिक हैं।

(ख)

सरकार या उनके विधानमंडलों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली संविधान और शक्तियों की व्याख्या;

102 राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य (1955) 2 एससीआर 225। 103 सुप्रा नोट 27।

एक सिफारिश समिति का कर्तव्य है कि वह सूचित करे

((ग)

केंद्र सरकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ताकि सरकार के अंग इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकें

सहकारी व्यावहारिक संघवाद;

समिति ने स्वयं दंड देने की शक्ति का दावा नहीं किया

((घ)

उल्लंघन हालांकि इसके पास दंडात्मक परिणामों के बिना बुलाने की शक्ति है। यह सबसे अच्छा एक सिफारिश कर सकता है जिसकी सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति की प्रक्रिया के

माध्यम से जांच की जानी चाहिए। यह हर समन का एक नियमित हिस्सा था, केवल इसका संकेत था संसद/विधानसभा की शक्ति।

131. Mr.Tushar मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने इस पहलू पर काफी हद तक प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने की मांग की क्योंकि इसमें एक संघर्ष था

इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। जैसा कि पहले देखा गया है-जहां एक ओर वह अपने आप बुलाने के अधिकार के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ थे, वहीं उनके इस तर्क के कारण एक अंतर पैदा हुआ कि दी गई तथ्यात्मक स्थिति में बुलाने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास निहित थी। श्री मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 212 का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

" 212. अदालतें कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी विधायिका।

(1) किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता

किसी भी कथित आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा प्रक्रिया की अनियमितता।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या उसके तहत प्रक्रिया को विनियमित करने या कार्य के संचालन के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां निहित हैं, विधानमंडल में किसी भी अदालत की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। उन शक्तियों के उसके द्वारा प्रयोग का सम्मान "।

132. यह उनका निवेदन था कि उपरोक्त प्रावधान को उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए और न्यायालय के पास वास्तव में संसद/विधानसभाओं और उनकी समितियों के कामकाज/आंतरिक प्रशासन से निपटने की शक्ति नहीं है। हालाँकि, एक संकीर्ण दायरा था

वर्तमान मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं था। जाँच का अधिकार से बाहर होना शक्तियों को कमजोर करता है

विधानसभा को प्रदान करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि संविधान द्वारा विशेष रूप से बहिष्कृत विषयों को अजीत मोहन बनाम के भीतर गुप्त रूप से नहीं लाया जा सकता है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

इस मुद्दे को "शांति और सौहार्द" के रूप में वर्गीकृत करके विधानसभा का कार्यक्षेत्र सामंजस्य "। यह आंतरिक रूप से एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा था, जो एक अधिकृत क्षेत्र था और जहां तक विधानसभा का संबंध था, एक बहिष्कृत क्षेत्र भी था।

133. यह स्वीकार करते हुए कि विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था

विधायी शक्ति के साथ, उसी (यदि पहलू उत्पन्न होता है) पर विधायी क्षमता के संदर्भ में विचार करना होगा। विधायिका की पूर्ण शक्तियों को लिखित संविधान द्वारा सीमित किया गया था

जिन पर प्रतिबंध लगाते हुए 7 वीं अनुसूची में तीन सूचियों द्वारा अपने प्रत्येक अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है विधायिकाओं को अपनी-अपनी सूचियों में प्रविष्टियों से आगे जाना होगा। 104

134. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के अनूठे मामले पर इसकी बहिष्कृत प्रविष्टियों के संदर्भ में जोर देने की मांग की। यह बराबरी पर नहीं था

किसी भी अन्य राज्य विधानसभा के साथ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी थी और इस प्रकार, कानून निर्माताओं ने जानबूझकर इसे बड़ा रखते हुए एक प्रावधान किया था

135. सार और सार तर्क को यह तर्क देने के लिए आगे बढ़ाया गया था कि सूची II और सूची III में प्रविष्टियों पर निर्भरता उचित नहीं थी। यदि मामला बहिष्कृत प्रविष्टियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। 106

136. विद्वान महान्यायवादी, प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए

कि प्रविष्टियों को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जहां किसी विशेष विषय से संबंधित कोई विशिष्ट प्रविष्टि है, वह विशिष्ट प्रविष्टि

104 सुप्रा नोट 12.

105 सुप्रा 27 और 82 नोट करता है। 106 ए. एस. कृष्ण बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 297 पैरा 8 पर; कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एस. सी. सी. 569 पैरा 60 पर; जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2010) 5 पैरा 40 पर एस. सी. सी. 246।

सामान्य प्रविष्टि के अपवर्जन के लिए प्रबल। 107 उत्तरदाताओं द्वारा जिन प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया था, वे सामान्य प्रकृति की थीं, जबकि "कानून और आदेश "और" पुलिस "विशिष्ट थे और इसलिए, प्रबल होना चाहिए। बाद की कार्यकारी कार्रवाई भी विधानसभा के लिए अनुज्ञेय नहीं थी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 73 को देखते हुए उन प्रविष्टियों से संबंधित कार्यकारी मामलों पर भी केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार क्षेत्र था। कार्यकारी शक्तियों को विधायी क्षमता के साथ सह-अंत करने के लिए अनिवार्य किया गया था और विधायिका को समितियों के अप्रत्यक्ष तरीके और इसके विशेषाधिकार के माध्यम से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिससे

संविधान।

137. सहकारी और सहयोगी संघवाद का सिद्धांत

यह विवादित नहीं था लेकिन तब यह आग्रह किया गया था कि समन में यह नहीं कहा गया था कि विधानसभा और समिति कोई सिफारिश देना चाहती है। यह केवल एक बचाव और एक विचार था। उदाहरण के लिए, श्री मेहता ने कहा कि रक्षा रणनीति के मामले में विधानसभा को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वास्तव में, यह प्रस्तुत किया गया था कि सहकारी/सहयोगी संघवाद के लिए आवश्यक है कि विधानसभा उसे प्रदत्त शक्तियों की सीमा के भीतर काम करे और कोई अतिक्रमण न करे-अन्यथा इसे युद्ध या प्रतिस्पर्धी संघवाद माना जाएगा।

138. अधिकृत क्षेत्र के सिद्धांत पर, यह आग्रह किया गया था कि

139. यह प्रस्तुत किया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति पहले से ही इस पहलू पर विचार कर रही थी " नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और महिलाओं पर विशेष जोर देने सहित सामाजिक/ऑनलाइन समाचार मीडिया मंचों के दुरुपयोग का संरक्षण करना।

107 सुप्रा नोट 84।

108 आईटीसी लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य 1985 अनुच्छेद 17,32 पर एस. सी. सी. 476 का समर्थन करें; होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य (1983) 4 एस. सी. सी. 45 पैरा 51 पर; अपतटीय होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण (2011) 3 एस. सी. सी. 139 पैरा 102 पर। 109 सुप्रा नोट 46।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

डिजिटल क्षेत्र में सुरक्षा "। यह उसके अनुसरण में था कि एक नोटिस याचिकाकर्ता संख्या 1 को अपने विचार प्रदान करने के लिए 20.08.2020 पर जारी किया गया था और उक्त याचिकाकर्ता

02.09.2020 पर उस समिति के समक्ष विधिवत उपस्थित हुआ था। अतः समिति के लिए इस पहलू में जाने का कोई अवसर नहीं था।

140. आई. टी. अधिनियम के पहलू पर, संसद द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में, यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके तहत नियम भी बनाए गए हैं जिनमें शामिल हैं -

आई. टी. (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम जो एक ऑनलाइन मध्यस्थ द्वारा जानकारी को अवरुद्ध करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं और ऐसा करने में विफल रहने के लिए उनके आपराधिक दायित्व। आई. टी. अधिनियम को सूची I की प्रविष्टि 31 के तहत तैयार किया गया है, जिसमें "संचार के अन्य रूप" शामिल हैं। अतः इस अर्थ में

मध्यस्थ सभा की क्षमता से परे थे। आई. टी. अधिनियम की धारा 69ए विशेष रूप से घृणापूर्ण भाषण सहित सामग्री को अवरुद्ध करने से संबंधित है।

141. यह उनका निवेदन था कि कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनी मुद्दे और ऑनलाइन व्यवस्था की संबंधित जिम्मेदारी

अपने मंचों पर घृणापूर्ण भाषण को संबोधित करने के लिए मध्यस्थों को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही संबोधित किया जा चुका है। विधान सभा के पास विधायी क्षमता नहीं है, परीक्षण करने की क्षमता भी नहीं हो सकती है

लोग और एक रिपोर्ट तैयार करें। देने की कोई शक्ति नहीं थी सिफारिशों और समन ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह अभ्यास सिफारिशें करने के लिए था।

142. अंत में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने एन. रवि 09 में मामले को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया कि विवाद का मुद्दा, यानी मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों की परस्पर क्रिया, पहले से ही लंबित था।

7-न्यायाधीश पीठ के समक्ष।

हाल के घटनाक्रमः

ए. मध्यस्थों की भूमिकाः

143. कोविड के समय में कुछ तेज गति रही है

दुनिया भर में विकास की भूमिका और प्रबंधन

मध्यस्थ। फैसला सुरक्षित रखने की तारीख और इसकी घोषणा के बीच कुछ समय का अंतराल होने के कारण, हम पिछले चार महीनों के इन घटनाक्रमों को लिखना उचित समझते हैं। यूके कॉमन्स विशेषाधिकार समिति ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की

व्यक्तियों, कागजातों और अभिलेखों को बुलाने के लिए चयन समितियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए 03.05.2021 पर चयन समिति की शक्तियां। इसकी पृष्ठभूमि [2021] 14 एस. सी. आर. की अनिच्छा, या कुछ मामलों में इनकार भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तियों को कई हाई-प्रोफाइल मामलों में इन समितियों के समक्ष पेश होना चाहिए। विशेषाधिकार समिति ने एक संसदीय प्रस्ताव रखा है

समिति (साक्षी) विधेयक, जो समन में उपस्थित होने से इनकार करने या बिना किसी उचित बहाने के जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहने से संबंधित नए आपराधिक अपराधों को लागू करेगा।

मध्यस्थों और मंचों ने अमेरिका में एक गर्म खोज देखी है

अपने व्यवसाय के परिणामों को विनियमित करने के लिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को 25.03.2021 पर समन जारी किया, जिसका उन्होंने विधिवत पालन किया। सदन समिति ने कोविड-19 टीकों और कथित चुनाव धोखाधड़ी के बारे में झूठे दावों की ओर इशारा किया जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैल गए थे। 1 1 1 पृष्ठभूमि 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कैपिटल में हुई घटना थी। समिति के अध्यक्ष फ्रैंक पैलोन की टिप्पणियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि, "बहुत लंबे समय से, बड़ी तकनीक अपने ऑनलाइन दर्शकों को स्पष्ट रूप से गलत जानकारी देने और बढ़ाने में निभाई गई भूमिका को स्वीकार करने में विफल रही है। उद्योग स्व-विनियमन विफल हो गया है। 12 दो अन्य उप-समितियों के अध्यक्ष टिप्पणी की, "हमें सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना और दुष्प्रचार की अनुमति देने और यहां तक कि बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोत्साहनों को बदलने का काम शुरू करना चाहिए।" 113 रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच विचारों का विचलन भी स्पष्ट था। जबकि पूर्व ने दावा किया कि

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदनाम किया जाता है, बाद वाले ने एलजीबीटीक्यू + समुदाय, अश्वेत समुदाय, एशियाई अमेरिकियों और लैटिन अमेरिकियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों पर इसके प्रभाव पर विशेष ध्यान देने के साथ गलत सूचना और घृणित भाषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारा मानना है कि इन विकासों की जांच की जानी चाहिए।

110 अलेक्जेंडर होर्न, क्या चयन समितियों को उपस्थिति के लिए मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए? , प्रॉस्पेक्ट पत्रिका (07/05/2021), यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. भविष्य पत्रिका। को. यू. के./राजनीति/होनी चाहिए-समितियों का चयन-सक्षम-मजबूर-उपस्थिति। 1 1 1 111 लॉरेन फेनर, फेसबुक, गूगल और ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्च में कांग्रेस के सामने एक और

उपस्थिति दर्ज कराएंगे, सीएनबीसी (18/02/2021), यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सीएनबीसी। com/2021/02/18/फेसबुक-गूगल-ट्विटर-सीईओएस-से-गवाही-से पहले-कांग्रेस-इन-मार्च। एचटीएमएल। 112 ऊर्जा और वाणिज्य पर सदन समिति, प्रेस विज्ञप्ति, ई एंड सी समिति

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर गलत सूचना और गलत सूचना पर तकनीकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सुनवाई की घोषणा की, (18/02/2021), यहाँ सुलभ: HTTPS: //ऊर्जा व्यापार। घर। सरकार/समाचार कक्ष/प्रेस-विज्ञप्ति/ई. सी.-समिति-घोषणा करती है-सुनवाई-तकनीक के साथ-सी. ई. ओ. एस.-पर-गलत सूचना-और।

113 आइबीआइडी।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क का संदर्भ कि वे विभाजित राजनीतिक परिवेश के कारण समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते हैं।

145. एक महत्वपूर्ण विकास सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया) की अधिसूचना रही है। नैतिकता संहिता) नियम, 2021 25.02.2021[11]6 पर, निर्णय सुरक्षित रखने के एक दिन बाद। ये नियम मध्यस्थों द्वारा लागू किए जाने वाले उचित परिश्रम उपायों की एक श्रृंखला पेश करते हैं और डिजिटल मीडिया के संबंध में डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों के लिए नैतिकता की एक संहिता निर्धारित करते हैं। इन नियमों को देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लागू किया गया है।

केरल, कर्नाटक, मद्रास और दिल्ली, और वर्तमान में विचाराधीन हैं।

ख. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 में संशोधन:

146. विधायी क्षेत्र में हमारे सामने विवाद के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विकास जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम का संशोधन है जो 27.04.2021[11]7 पर लागू हुआ। द.

संशोधन इस प्रकार हैं:

114 संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रेस विज्ञप्ति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति ने विचार और सुझाव मांगे, (03/02/2020), उपलब्ध: HTTPS: //पिब। गव. प्रेस रिलीज पेज में। एएसपीएक्स? PRID = 1601695।

115 इंडिया टुडे वेब डेस्क, संसदीय पैनल ने एयरटेल, जियो, उबर, ओला, ट्रूकॉलर को डेटा सुरक्षा चिंताओं पर समन भेजा, इंडिया टुडे, यहाँ उपलब्ध है: HTTPS: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. इंडिया टुडे। इन/इंडिया/स्टोरी/पार्लियामेंट्री-पैनल-समन्स-एयरटेल-जियो-उबर-ओला

ट्रूकॉलर-डेटा-सुरक्षा-चिंताएँ-1736020-2020-10-28। 116 सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता)

कोड) नियम, 2021, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संख्या 2021 जी. एस. आर. 139 (ई) (25/02/2021) की अधिसूचना, यहां उपलब्ध है: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. माया। गव. इन/राइटरीडेटा/फाइल/मध्यस्थ _ दिशानिर्देश _ और _ डिजिटल _ मीडिया _ एथिक्स _ कोड _ नियम 2021. पी. डी. एफ. 117 गृह मंत्रालय, प्रेस विज्ञप्ति, जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 में संशोधन राज्य और समवर्ती सूचियों (29/04/2021) में हस्तांतरित विषयों के संबंध में निर्वाचित सरकार की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में बदलाव न करें, जो यहां उपलब्ध हैं: HTTPS: // पिब। गव. in/PressReleaseIframePage. एएसपीएक्स? PRID = 1714828।

द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में निर्दिष्ट 'सरकार' शब्द

ए।

दिल्ली विधानसभा का मतलब होगा लेफ्टिनेंट

गवर्नर ('एलजी')।

बी।

उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रहना चाहिए

सभी विधेयक जो संयोग से किसी भी मामले को शामिल करते हैं जो विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आते हैं

सभा।

दिल्ली विधानसभा द्वारा विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम

सी.

विधानसभा में कार्य की अपनी प्रक्रिया और संचालन प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

लोकसभा में कार्य।

डी।

(i) स्वयं को या उसकी समितियों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करने में सक्षम बनाना, या (ii) प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई जांच करना; और इस संशोधन से पहले बनाए गए ऐसे कोई भी नियम - शून्य।

दिल्ली सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्यकारी कार्रवाई

ई.

उपराज्यपाल के नाम पर होना चाहिए और दिल्ली विधानसभा द्वारा कुछ मामलों के संबंध में कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की पूर्व राय की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसमें ऐसे मामले किसी सामान्य या विशेष द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।

एल. जी. द्वारा जारी आदेश।

147. इन संशोधनों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार उपरोक्त का उद्देश्य "विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों" को बढ़ावा देना और दो एन. सी. टी. निर्णयों के अनुसार निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को परिभाषित करना बताया गया है। यह कहना पर्याप्त है कि इन संशोधनों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और ये लंबित हैं।

विचार करें।

148. हम कहते हैं कि ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक तरह से ये राज्य के बीच निरंतर संघर्ष की एक शाखा प्रतीत होते हैं। विधानसभा और केंद्र सरकार। वर्तमान कार्यवाहियों में जहां इस तरह के मतभेद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, वे भी एक कारण प्रतीत होते हैं, संभवतः विधानसभा और समिति को नियंत्रित करने के प्रयास में।

118 सुप्रा 27 और 82 नोट करता है।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

इरादा था। हालाँकि, हम प्रासंगिक समय पर प्रचलित स्थिति और उस संबंध में दिए गए तर्कों से चिंतित हैं। हमें इन संशोधनों के परिणामों पर टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि वर्तमान कार्यवाही की विषय वस्तु, विशेष रूप से तब जब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इसके संबंध में चुनौती लंबित है।

रायः

आधुनिक तकनीकी युग में, याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना बहुत सरल होगा कि वे स्वयं कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बिना विचारों के आदान-प्रदान के लिए केवल एक मंच हैं-विशेष रूप से उनके काम करने के तरीके और व्यवसाय मॉडल को देखते हुए। स्वतंत्र दुनिया में बहस ने बोर्ड और सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता को दिखाया है इन मध्यस्थों द्वारा अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है जिनके पास है

सीमा पार और लाखों लोगों पर प्रभाव रखने वाले बड़े व्यापारिक निगम बन जाते हैं। फेसबुक का आज इस ग्रह की एक तिहाई से अधिक आबादी पर प्रभाव है! भारत में फेसबुक 27 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया होने का दावा करता है। इस तरह की पहुंच जिम्मेदारी के बिना नहीं हो सकती क्योंकि ये मंच स्वयं शक्ति केंद्र बन गए हैं, जिनमें विचारों के विशाल वर्गों को प्रभावित करने की क्षमता है। दुनिया भर में समाज के विभिन्न वर्गों को आवाज देने में फेसबुक द्वारा निभाई गई भूमिका को कम किए बिना, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके मंच ने विघटनकारी आवाजों की भी मेजबानी की है।

व्यवसाय मॉडल जो अत्यधिक गोपनीयता घुसपैठिया हो सकते हैं और सार्वजनिक बहसों का ध्रुवीकरण करने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए यह कहना कि वे इस आलोचना को दरकिनार कर सकते हैं, एक भ्रम है क्योंकि वे इन बहसों के केंद्र में सही हैं। 150. एक मंच के रूप में फेसबुक एक जन प्रसार माध्यम की प्रकृति में है जो सामग्री पर संपादकीय जिम्मेदारी की चिंताओं को बढ़ाता है।

अपने माध्यम से प्रसारित। प्रकाशित सामग्री की पहुंच की चौड़ाई को कम या न्यूनतम नहीं किया जा सकता है। फेसबुक ने स्वीकार किया है

उनका जवाब है कि उन्होंने 2020 की दूसरी तिमाही में ही 22.5 लाख घृणापूर्ण भाषण सामग्री को हटा दिया, जो दर्शाता है कि वे उस सामग्री पर पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण का प्रयोग करते हैं जिसे [2021] 14 एस. सी. आर. होने की अनुमति है।

अपने मंच पर प्रसारित किया। उस हद तक, अन्य जन प्रसार माध्यमों पर डाली गई संपादकीय जिम्मेदारी के साथ एक समानांतर रेखा खींची जा सकती है।

151. याचिकाकर्ता जैसे मध्यस्थों का व्यवसाय मॉडल

देशों में, उन्हें विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, फेसबुक ने खुद को एक प्रकाशक 1 1 9 की श्रेणी में पेश किया, जिससे उन्हें अपने मंच पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर अपने नियंत्रण के पहले संशोधन के दायरे में सुरक्षा मिली। इस पहचान ने इसे मॉडरेशन और सामग्री को हटाने को सही ठहराने की अनुमति दी है। हालाँकि, भारत में स्पष्ट रूप से, इसने दोनों देशों में अपने समान कार्यों और सेवाओं के बावजूद खुद को विशुद्ध रूप से एक सोशल मीडिया मंच के रूप में पहचानने का विकल्प चुना है। इस प्रकार, विवाद की प्रकृति के आधार पर, विभिन्न देशों की आबादी तक लगभग समान पहुंच रखने वाला फेसबुक अपनी उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर अपने रुख को संशोधित करना चाहता है।

152. हमें डर है कि हम सरलता को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

श्री साल्वे द्वारा फेसबुक की भूमिका पर प्रचार करने की कोशिश की गई।

भले ही यह शक्तिशाली हो, यह हमें आश्वस्त नहीं करता है। दुनिया भर में विकास, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, सीमाओं के पार बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। चिंता यह है कि क्या ये मंच जिस उदार बहस को प्रोत्साहित करने का दावा करते हैं, वह खुद एक दुर्घटना बन गई है। हमनें देखा है कि शुरुआत में एल्गोरिदम, जो निर्देशों के अनुक्रम हैं, में सामग्री को व्यक्तिगत बनाने और व्यवसाय मॉडल के हिस्से के रूप में राय को प्रभावित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप होते हैं। इस प्रकार, उनका प्राथमिक उद्देश्य उनके व्यावसायिक हितों को कम करना है। यह पहले एक व्यवसाय है और फिर कुछ और। उनकी अपनी स्वीकृति के अनुसार, वे किसी भी समिति के समक्ष केवल तभी पेश होंगे जब वह उनके वाणिज्यिक और परिचालन हितों की पूर्ति करेगी, जैसा कि उन्होंने संसदीय समिति के समक्ष पेश होने पर किया था। लेकिन अगर उनके व्यावसायिक हितों की पूर्ति नहीं होती है, तो वे दूर रहने का अधिकार चाहते हैं। इस तरह की

यह रुख हमारे लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। फेसबुक में न केवल एक हाथ बल्कि एक मुट्ठी की शक्ति है, जो कि दस्ताने के रूप में भी हो सकती है।

सामाजिक दृष्टिकोण को कमतर नहीं आंका जा सकता है। देश की राजधानी इस घटना की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और इस प्रकार, फेसबुक की भूमिका 119 फेडरल रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर 12 (बी) (6) और लॉरा लूमेर बनाम में निगमित मेमोरेंडम ऑफ लॉ के अनुसार खारिज करने के लिए फेसबुक का प्रस्ताव। फेसबुक इंक. केस नंबर 9: 19 - सी. वी.-80893-आर. एस., यहाँ उपलब्ध है: //डॉक्स। रिक्लेमेथेनेट। org/Lumer-v-Facebook-fb प्रतिक्रिया। पीडीएफ।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

इस संदर्भ को शक्तियों द्वारा देखा जाना चाहिए। यह इस पृष्ठभूमि में है कि विधानसभा ने एक शांति और सद्भाव समिति का गठन करने की मांग की-चाहे उसके पास विधायी क्षमता हो या नहीं, यह एक पहलू है

हम संबंधित शीर्ष के तहत इससे निपटेंगे। विधानसभा एक स्थानीय विधायी और शासन निकाय होने के नाते, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी चिंताएं गलत या अवैध थीं। यह न केवल उनकी चिंता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि "शांति और सद्भाव" कायम रहे। हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच लंबे और बार-बार होने वाली लड़ाई ने शांति और सद्भाव का आकलन करने के लिए समिति के सार्थक इरादे पर भी छाया डाल दी है, जैसा कि संदर्भ की शर्तों में परिलक्षित होता है।

154. हम यह दर्ज कर सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शासन के मुद्दों पर आमने-सामने देखने में असमर्थ रही हैं

पार्षद। प्राथमिक राजनीतिक क्षेत्र में उद्देश्यों की समानता के साथ एक विधान सभा के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जो भी शासन में था, उसे जाने देना मुश्किल था। द. इस प्रकार, जो मॉडल अस्तित्व में आया, उसमें कुछ हद तक एक संकर चरित्र था, जो किसी भी अन्य विधान सभा की तुलना में केंद्र सरकार को एक विस्तारित भूमिका देता है। उस हद तक, संघीय ढांचे में कमी आई थी, लेकिन इस पहलू पर आम सहमति बनी हुई प्रतीत होती है।

155. उपरोक्त व्यवस्था ने कई वर्षों तक अच्छा काम किया।

156. राज्य में सत्ता में मौजूद राजनीतिक व्यवस्था को दिल्ली में शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक योजना को मान्यता देनी होती है जो केवल उन शक्तियों के भीतर काम करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

वे चुने गए, उन्हें पता था कि वे किस लिए चुने जा रहे हैं-न कि उन्हें क्या लगता था कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार को एक अलग राजनीतिक व्यवस्था के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों से परिपक्वता की आवश्यकता है और हमें अनिच्छा से इस महत्वपूर्ण अंतर-संबंध में ऐसी परिपक्वता के अभाव पर ध्यान देना होगा।

157. अच्छी तरह से काम करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बेहतर शासन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा या कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ऐसा करने में विफलता वास्तव में उनका उल्लंघन है।

संबंधित चुनावी जनादेश के अनुसार, सातों लोकसभा सीटें केंद्र सरकार की शक्तियों के पास हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में एक बहुत ही अलग परिणाम आया। इसे दोहराया गया है। यह मतदाताओं की परिपक्वता का प्रतिबिंब है जिन्होंने केंद्र में एक सरकार को सत्ता में रखने के लिए चुना है, जबकि राज्य में दूसरी सरकार को चुनने की कोशिश की है क्योंकि भूमिकाएँ अलग-अलग हैं। चिंताएँ अलग हैं। दोनों शक्तियाँ दुर्भाग्य से इस पहलू को पहचानने की कोशिश न करें, और यही इस संरचना का अभिशाप है जिसके लिए सहयोग और सहमति की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, यह दूसरे पर अंक प्राप्त करने का एक प्रयास बन गया है। कुछ पूर्व चर्चा और समझ इस समस्या को आसानी से हल कर सकती है, बजाय इसके कि दोनों सरकारों की व्यापक दृष्टिकोण रखने में विफलता के कारण बार-बार बड़ी मात्रा में न्यायिक समय बर्बाद किया जाए। वास्तव में, वर्तमान दौर, हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं से उत्पन्न होता है जो इस दृष्टिकोण के विचलन और एक सामान्य मार्ग देखने में उनकी असमर्थता का लाभ उठाना चाहते हैं।

158. इस तरह के सहयोग की आवश्यकता वाला कोई भी शासन मॉडल काम नहीं कर सकता है यदि दोनों पक्षों में से कोई भी 'मेरा रास्ता या उच्च रास्ता' दृष्टिकोण अपनाता है।

जिसे दोनों ने अपनाया प्रतीत होता है। हम विवाद की रूपरेखा पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और तथ्य पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं

यहाँ ऊपर। हम उन तथ्यों को दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं। अब हम उन चार प्रस्तावों की ओर रुख करते हैं जो रिट याचिका (तीन शीर्षों के तहत निपटाए गए) का आधार बनते हैं ताकि उनके बारे में हमारे विचार दर्ज किए जा सकें।

विशेषाधिकार के मुद्दे पर:

159. विशेषाधिकार का मुद्दा याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई याचिका से उत्पन्न होता है कि दोनों, प्रथम विवादित समन दिनांक 10.09.2020

और दूसरे विवादित समन दिनांक 18.09.2020 को क्रमशः याचिकाकर्ता संख्या 1 या याचिकाकर्ता संख्या 2 के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को "विशेषाधिकार" की धमकी के साथ तलब करना था। इस तर्क को इस दलील के साथ जोड़ा गया था कि विशेषाधिकार की ऐसी शक्ति का विस्तार अजीत मोहन बनाम को मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

व्यक्ति, जो सदन का सदस्य नहीं है, साक्षय/राय देने के लिए कि वे कहने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

160. हम श्री साल्वे द्वारा संबोधित विस्तृत तर्कों को इस आधार पर नोट कर सकते हैं कि विशेषाधिकार शक्ति वास्तव में विधानसभा के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ढाल के रूप में प्राप्त एक विशेष अधिकार है। यह सत्ता का दावा करने के लिए तलवार नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि ब्रिटेन और भारत, एक गणराज्य, की संवैधानिक योजनाएं अलग हैं और इस प्रकार, भारत में विशेषाधिकार शक्तियां सख्ती से विधायी तक ही सीमित होनी चाहिए।

कार्य। यदि किसी सदस्य या गैर-सदस्य द्वारा विधायी कार्यों की अखंडता को बाधित किया जाता है, तो ही ऐसी शक्ति के प्रयोग का अवसर उत्पन्न होगा। 161. वास्तव में, श्री साल्वे ने यह तर्क देना चाहा कि यह समय है कि विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग को संहिताबद्ध किया जाए, और उस हद तक एक इरादा व्यक्त किया गया था

संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 194 के उपखंड (3) में। प्रासंगिक भाग में कहा गया है कि ऐसे विशेषाधिकार "ऐसे होंगे जिन्हें समय-समय पर विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।" , और इस प्रकार, निवेदन यह था कि यह खंड एक अवधि के लिए संचालित था "जब तक (विशेषाधिकार शक्तियां) इस तरह से परिभाषित नहीं की गईं।" श्री साल्वे ने हमें या तो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने या कम से कम संसद/विधानमंडल को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाने की कोशिश की। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक ऐसा पहलू है जिसे उत्तरदाताओं के सभी वकीलों द्वारा गंभीरता से विवादित किया गया है।

162. हम उपरोक्त संदर्भ में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 194 (3) के शब्द असंदिग्ध और स्पष्ट हैं, और इस प्रकार हमें उन्हें अपना मोड़ या व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी कानून के शब्द नहीं हैं, बल्कि प्राथमिक दस्तावेज-संविधान के शब्द हैं। राज्य विधानमंडल के किसी सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति के साथ-साथ संविधान 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 26 के लागू होने से पहले इसकी समितियों को स्पष्ट रूप से सदन और उसके सभी सदस्यों और समितियों के रूप में परिभाषित किया गया है। सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के संहिताकरण के लिए कोई समयसीमा प्रदान नहीं की गई थी। संविधान ने विधायिका को समय-समय पर इसे परिभाषित करने की छूट दी है, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। यदि विधायिका की अपनी विवेकपूर्ण राय है कि ऐसा करने की आवश्यकता है, तो वे ऐसा करेंगे। क्या यह इस संवैधानिक अदालत का काम है कि वह उन्हें इस दिशा में प्रेरित करे? हमारा जवाब नकारात्मक होगा।

163. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है। संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच भी विचारों में भिन्नता है चाहे वे पूर्ण हों या नहीं।

खेल को विधायी [2021] 14 एस. सी. आर. की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को दिया जाना चाहिए।

निकाय, जैसा कि मूल रूप से संविधान में परिभाषित किया गया है, या इसे प्रतिबंधित किया जाना है। इस तरह की राय पर किसी न किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राज्य की संसद/विधानमंडल के समक्ष बहस करनी होगी। यह एक ऐसा विषय भी नहीं है जहाँ यह कहा जा सके कि किसी एक राय को प्रबल होना चाहिए, या इस न्यायालय द्वारा एक धक्का दिया जाना चाहिए, या विधायी निकाय द्वारा विचार के लिए एक सिफारिश की जानी चाहिए। स्कॉटलैंड और वेल्स ने इस संदर्भ में अपने स्वयं के अधिनियमों को उचित माना है, यह उन निकायों द्वारा जानबूझकर विधायी अभ्यास है। इस संबंध में दुनिया भर में कोई एकरूपता नहीं है।

164. याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकारों और निजता के अधिकार की धारणा का विस्तार करने की मांग की गई है ताकि समन के अनुसरण में उपस्थित होने से भी इनकार करने का अधिकार। हमारे द्वारा दर्ज किए गए कुछ घटनाक्रमों सहित लोकतांत्रिक नीति पर बहस से पता चलेगा कि वर्तमान विषय से संबंधित बयान/राय के लिए मजबूरी (यदि आवश्यक हो) के एक तत्व के महत्व को पहचानने की दिशा में एक मोड़ है। यह विशाल वित्तीय और तकनीकी शक्तियों वाले अखंड व्यापार मॉडल के संदर्भ में अधिक है।

निपटान। एक संवैधानिक अदालत के रूप में, हम इसमें कदम रखने के इच्छुक नहीं हैं।

165. यह विवादित नहीं है कि समिति की कार्यवाही को अदालत की कार्यवाही के बराबर नहीं माना जा सकता है। 1 20 इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन शक्तियों को प्रत्येक सदन के कार्य के संदर्भ में काम करना होगा, और नहीं

सदन उन मुद्दों को ठीक करने के लिए चमकते कवच में एक शूरवीर हो सकता है जिनके संबंध में उसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना एक बड़ी त्रासदी होगी कि विधायिका कानून बनाने के कार्य तक ही सीमित है। इस तरह के तर्क से विधायिका की भूमिका को कम करने की कोशिश की जाती है। विधायिका कई पहलुओं पर बहस करती है, और कभी-कभी सदन की भावना को दर्ज करती है। यह असामान्य या बिना मिसाल के नहीं है। अमरिंदर सिंह 1 2 1 121 में निर्णय याचिकाकर्ता के लिए बहुत कम सहायक है क्योंकि यह भूमि की छूट के एक कार्यकारी अधिनियम का मामला था, और किसी भी तरह से विधायी कार्यवाही की अखंडता में बाधा या खतरा नहीं था। प्रत्येक मामले के तथ्य महत्वपूर्ण हैं और कानून के प्रस्ताव तथ्यों के संदर्भ में लागू होने चाहिए।

166. एक बार जब हम एक निर्वाचित संसद या विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों की व्यापक श्रृंखला को पहचान लेते हैं, तो यह केवल अधिनियमन तक ही सीमित नहीं होता है। 120 लार्ड डेनिंग की टिप्पणियाँ, जैसा कि कर्नाटक राज्य v में उल्लेख किया गया है। नोट 9 पर भारत संघ।

121 सुप्रा नोट 11.

विधायी विशेषाधिकारों और सामान्य विधायी कार्यों का प्रयोग। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) में भी इसी तरह का तर्क व्यक्त किया गया है। मार्कण्डेय काटजू बनाम। लोकसभा और अन्र. , जब झुनझुनी की न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के कुछ बयानों के कारण सांसदों का मुद्दा उठाया गया था। मार्कण्डेय काटजू। 1 24 तथापि, हम इस तर्क की सराहना करने में विफल रहते हैं कि किसी भी गैर-सदस्य को तलब नहीं किया जा सकता था यदि उन्होंने विधानसभा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया था; या यह कि याचिकाकर्ता की गैर-भागीदारी के प्रतिकूल परिणाम नहीं होंगे क्योंकि यह समिति के कामकाज को बाधित नहीं करता था। याचिकाकर्ता, विशेष रूप से एक मध्यस्थ के रूप में अपनी विस्तारित भूमिका के साथ, शायद ही यह तर्क दे सकते हैं कि उन्हें विधानसभा द्वारा विधिवत गठित समिति के समक्ष उपस्थित होने से बचने का कुछ असाधारण विशेषाधिकार है।

168. श्री साल्वे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ हमें वास्तव में कोई विवाद नहीं है कि विशेषाधिकार की शक्ति का प्रयोग करने के प्रयास की न्यायिक जांच हो सकती है, जो स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त है, यदि अवैध या असंवैधानिक है। 125 लेकिन सवाल यह है कि क्या

यह स्थिति इस न्यायालय द्वारा जांच के योग्य उत्पन्न हुई है-जिसे बदले में विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करने से पहले होना चाहिए, एक ऐसे पहलू जिस पर विधानसभा के साथ-साथ समिति के विद्वान वकील ने भी जोर दिया।

169. तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, केवल एक समन जारी किया गया है

समिति के समक्ष उपस्थित होना। किसी भी विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग का सवाल अभी दूर है। प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा यह सही बताया गया है कि भले ही समिति द्वारा दर्ज किए गए विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन हुआ हो, लेकिन समिति बदले में ऐसा करेगी। विधानसभा को एक सिफारिश करनी होगी। तब विधानसभा को इस बात पर विचार करने का अधिकार होगा कि क्या यह विशेषाधिकार हनन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। कई मामलों में, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि विधानसभा यह मानती है कि ऐसा करना सार्थक नहीं है, भले ही

122 सुप्रा नोट 24. 123 सुप्रा नोट 12.

124 ऊपर टिप्पणी 13. 125 सुप्रा नोट 12,15 और 20।

समिति को प्रथम दृष्टया ऐसा मानना था। विधानसभा द्वारा अभ्यास आगे विशेषाधिकार समिति की राय पर निर्भर करता है। इस प्रकार, विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग की पराकाष्ठा से पहले जांच के विभिन्न स्तर हैं। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी घटना सामने नहीं आई है। यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा केवल विधायी शक्ति के अभाव के आधार पर, पूर्व-सीमा चरण में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करके प्रतिवादियों को विशेषाधिकार के पहलू पर विचार करने से रोकने का एक निवारक प्रयास है। हम, निश्चित रूप से, विधायी शक्ति की अनुपस्थिति के पहलू को तैयार किए गए प्रश्नों पर अंतिम पहलू के रूप में विचार करेंगे-लेकिन हम श्री साल्वे द्वारा विधानसभा और समिति पर लगाए गए बंधनों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम उत्तरदाताओं के तर्कों पर ध्यान दे सकते हैं कि उपस्थित होने के लिए एक नोटिस में विशेषाधिकार हनन के परिणामों को दर्ज करना स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो नियमित तरीके से किया जाता है।

171. राज्यों की विधानसभाओं और संघ की संसद जैसे विधायी निकायों द्वारा गठित समितियाँ सदनों के कामकाज और कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में, यह अक्सर कहा जाता है कि वास्तविक काम इन समितियों में किया जाता है-संसद के हंगामे से दूर। इन समितियों में अधिक मुखर प्रतिबिंब दिखाई देता है। अलग-अलग दृश्य, सार्वजनिक दृष्टि से थोड़ा दूर। ऐसा कहा जाता है कि इन समितियों में अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक चर्चा होती है। यह ऐसी समितियों के कामकाज के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त एक पहलू है। ये समितियाँ ऐसे निकाय हैं जिनमें व्यापक स्तर पर परामर्श प्रक्रियाएँ शुरू करने, संवाद में शामिल होने और

बुद्धिमान विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वसम्मति बनाएँ। वास्तव में, इस तरह की कवायद विधायी प्रक्रिया के लिए आंतरिक है जहां सार्वजनिक नीतियों के लिए विस्तृत अध्ययन और एकाग्रता की आवश्यकता होगी। ये समितियाँ विचार-विमर्श करती हैं और विधायी के लिए पूर्ववर्ती के रूप में सिफारिशें प्रदान करती हैं।

समितियों की गतिविधियाँ और प्रभावी कार्यप्रणाली विधानसभाओं के मुख्य कार्य की शुरुआत है।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

172. समितियाँ स्वयं विधायिका का एक विस्तार हैं और सूचित कार्य करती हैं। इनके महत्व को पूरी तरह से समझ लिया गया है।

कल्पना मेहता 1 26 में जिसे हमने यहाँ ऊपर निकाला है। अमेरिकी प्रतिनिधि जेम्स शैनन के शब्दों को फैसले में अनुमोदन के साथ नोट किया गया था, यह मानते हुए कि "दुनिया भर में समितियों पर निर्भरता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है।

संसद, और इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा कारण दक्षता की चिंता है। " 27 हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करें कि वे विधानसभा के मूल/केंद्र के बीच एक कृत्रिम विभाजन पैदा करें।

समितियों के विचार-विमर्श पर किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड को रखे जाने के साथ आवश्यक और गैर-आवश्यक कार्य। ऐसा पानी-तंग

विभाजन की सलाह नहीं दी जाती है। जब तक समिति काम शुरू नहीं करती

विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यात्मक अधिदेश से पूरी तरह से रहित पाठ्यक्रम पर, या स्वयं विधानसभा के पास विषय वस्तु से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा विचार है कि इन समितियों के कामकाज को व्यापक विस्तार दिया जाना चाहिए। यह संसदीय समिति प्रणाली है जिसे संसदों के रचनात्मक तरीके के रूप में मान्यता दी गई है। अपने मूल कार्यों को पूरा करें। यही सिद्धांत लागू होगा, भले ही यह कुछ हद तक उनके विधायी क्षेत्र से बाहर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विषय वस्तु पर क्षमता के अभाव में कोई वैध विधायी सिफारिशें नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, वे उन पहलुओं पर बहस कर सकते हैं जो उनकी भावना और परिणामस्वरूप सदन की भावना का प्रतिबिंब हो सकते हैं, यदि सदन द्वारा ऐसा अपनाया जाता है।

173. वाल्टर बेगहॉट ने अपनी मौलिक कृति "द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन" 128 में सदन के पांच महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट किया -

ऐच्छिक, अभिव्यंजक, शिक्षण, सूचना देने वाला और अंत में, विधायी। विधायी कार्य अपने आप में एक व्यापक छत्र है जिसके तहत कई जिम्मेदारियों और कार्यों को समन्वय में किया जाता है। विधायिका एक "लोकतांत्रिक केंद्र" है, जिसके तहत इस तरह के शीर्षक में कानून बनाने की प्रक्रिया को बहु-कार्यात्मक होने के रूप में शामिल किया गया है; जिसमें सूचित राय की प्राप्ति और विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करना शामिल है। 129 समितियाँ

वास्तव में विशेष मंचों की प्रकृति में हैं जैसा कि मैलोरी कहते हैं:

126 सुप्रा नोट 20.

127 मलावी के विधानमंडल में समितियों की भूमिका पर 1995 के सम्मेलन के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि जेम्स शैनन की टिप्पणी जैसा कि कल्पना मेहता में नोट 20 में उल्लेख किया गया है। 128 बेगहोट: अंग्रेजी संविधान, (पी. स्मिथ, 2001)।

129 जे. आर. मैलोरी, विधायी समितियों के उपयोग, 6 कनाडाई लोक प्रशासन 1,6 (1963)।

" सार्वजनिक व्यवसाय का प्रवाह अब इतना अधिक है, और इसकी प्रकृति इतनी जटिल है कि इसे केवल निकायों द्वारा ही संभाला जा सकता है

तकनीकी क्षमता और तर्कसंगत संगठन

इसे मास्टर करें। जैसा कि डॉ. बर्नार्ड क्रिक ने बताया है:

सी. पी. स्नो, प्रोफेसर पार्किंसंस लॉ और के. सी. व्हीयर्स गवर्नमेंट बाय कमेटी के उपन्यास अलग-अलग तरीकों से इस सच्चाई की गवाही देते हैं कि केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम सिविल सेवकों या एम. पी. द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समितियों द्वारा किया जाता है (बर्नार्ड क्रिक, रिफॉर्म ऑफ द कॉमन्स)। फैबियन ट्रैक्ट No.319 (लंदन,

1959) , पृ. 13) "।

174. सदन के कामकाज में समिति की जांच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मान्यता प्राप्त है, कानून बनाने से पहले एक जटिल सामाजिक समस्या की जांच अक्सर ऐसी विधायी समितियों पर निर्भर करती है। 30 इस कार्य में गवाहों की जांच शामिल है और यह विशेष और तकनीकी प्रकृति के मामलों से निपटने में सहायक है, जो विभिन्न पहलुओं के कामकाज के मामलों में अंतर्दृष्टि और विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से बुद्धिमान है। यह शायद ही कहा जा सकता है कि जिस पर बहस हुई है, उसके संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है या वे "बाहरी" हैं। बुद्धिमान विधायी कार्रवाई और उस पर विचार-विमर्श जनता के प्रश्नों की जांच करने की शक्ति पर निर्भर करता है।

महत्व और, इस प्रकार, समन जारी करना इस खोजी अभ्यास की कुंजी है-एक भूमिका जिसे कल्पना मेहता 1,31,131 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

175. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति को दरकिनार करने का प्रयास एक आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं होने की कथित धारणा-हमें स्वीकार्य नहीं है-चाहे यह अभ्यास एक विधायी अधिनियम के लिए हो, या इसके विधायी क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए हो। आखिरकार, "एक वैध विधायी जांच होने के लिए कोई अनुमानित अंतिम परिणाम की आवश्यकता नहीं है।" 132

176. याचिकाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए समिति ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। याचिकाकर्ता स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं और

संभावित प्रश्नों का अनुमान लगाएं जिनका वे समिति के समक्ष सामना कर सकते हैं,

और फिर इसे विधायी तर्क के तहत शामिल करने की कोशिश करें 130 प्रोमिला सूरी, भारत के केंद्रीय विधानमंडल में समिति प्रणाली का विकास 1920 1947, (1979)।

131 सुप्रा नोट 20.

132 सुप्रा नोट 79।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

अक्षमता। समिति के कार्य में कई क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जहाँ संगठनों और व्यक्तियों से सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

177. हम इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि विधानसभा की विशेषाधिकार शक्तियां चरित्र में संवैधानिक नहीं हैं, बल्कि केवल प्रवाहित होती हैं

जीएनसीटीडी अधिनियम से। विशेषाधिकार की योजना को संविधान के अनुच्छेद 239 एए के साथ-साथ जीएनसीटीडी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका एक-दूसरे से तलाक नहीं हुआ है। डॉ. सिंघवी ने इस प्रकार अनुच्छेद 239 एए के खंड 7 (ए) और 7 (बी) का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि जीएनसीटीडी अधिनियम को संविधान में संशोधन नहीं माना गया था।

अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान, इसके बावजूद कि इसमें कोई भी प्रावधान हो सकता है जो संविधान में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। अधिकार और विशेषाधिकार किसी भी अन्य सदन के समान हैं और इस प्रकार, एक उप-समिति की कार्यवाही पर सवाल उठाना विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाने के बराबर है। दोहराव की कीमत पर हम कहते हैं कि विशेषाधिकार शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तर्क को समय से पहले आगे बढ़ाने के आग्रह के कारण हमें इस मुद्दे पर कुछ हद तक अनावश्यक रूप से विचार करने के लिए कहा गया है। हम नहीं जानते कि याचिकाकर्ताओं की भागीदारी पर विशेषाधिकार का कोई सवाल उठेगा या नहीं, क्या समिति विधानसभा को कोई निर्देश देगी या नहीं, क्या विधानसभा इसे विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने पर विचार करेगी या नहीं, विशेषाधिकार समिति की क्या राय होगी और अंत में क्या विधानसभा स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेषाधिकार हनन के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। यह पूरी तरह से एक अटकलबाजी है। 178. विधानसभा किसी भी अन्य राज्य विधानसभा से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि सातवीं अनुसूची की सूची II में कुछ शक्तियां (यानी प्रविष्टियां 1,2 और 18) प्रदान नहीं की गई हैं। कानून के सिद्धांत के रूप में, हमें सभी प्रविष्टियों को व्यापक रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। न ही प्रविष्टियाँ शामिल हैं

न ही बाहर की गई प्रविष्टियों को सीमित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यही सिद्धांत है

हमें ध्यान रखना होगा। 179. डॉ. सिंघवी ने ठीक ही कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई न्यायिक उदाहरण नहीं दिखाया गया है जहां न्यायिक समीक्षा का इस तरह के सीमा स्तर पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार, न्यायिक उदाहरण होंगे

उनके तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी संभावित न्यायिक के लिए चरण वर्तमान मामले में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। वास्तव में, इस तरह के एक सीमा हस्तक्षेप की मांग मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सी. सुब्रमण्यम 1 33 में की गई थी और उसे खारिज कर दिया गया था।

133 सुप्रा नोट 30.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

180. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक "शांति और सद्भाव" समिति

समिति, उन्होंने एक नया नोटिस भेजा-कि यह संभवतः डॉ. धवन की सलाह के तहत नहीं था या डॉ. सिंघवी की सलाह पर हो सकता है जो हमारे लिए बहुत कम प्रासंगिक है। प्रस्तुतियों के इस तरह के टकराव से बचना सबसे अच्छा था और अनावश्यक रूप से इस पर तर्कों के एक और समूह को जन्म दिया याचिकाकर्ताओं की ओर से उसी में कुछ इरादे पढ़ने के लिए। डॉ. धवन, हालांकि, कार्यवाही की अग्रिम प्रकृति के आधार पर चुनौती को पीछे हटाने की कोशिश करने में सही थे-अनुमानित और पूर्ववर्ती होने के नाते।

182. डॉ. धवन के निवेदन का पहलू कि समिति का

आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करने की धमकी "दाँत रहित" थी और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के अध्यक्ष के बयान दोनों को तीसरे पहलू के तहत सबसे अच्छी तरह से निपटाया जाता है। इस स्तर पर कहने के लिए पर्याप्त है कि, हमारे विचार में, संदर्भ की शर्तों को तैयार करते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी ताकि कुछ ऐसा शामिल न किया जा सके जिसे वकील द्वारा इस संवैधानिक न्यायालय के समक्ष "अनुचित" कहा जाए। समिति के अध्यक्ष के बयान, जो याचिकाकर्ता की आशंकाओं को जन्म देंगे, से बचना सबसे अच्छा है। हम इन पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के इस स्तर पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एकमात्र कारण ये दो कारक हो सकते हैं। हमारे विचार में, बहस करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन दो पहलुओं के लिए पहला प्रभावी रूप से

तर्क के दौरान वापस ले लिया, और दूसरे ने उन लोगों के विचारों के रूप में समझाने की मांग की जिन्होंने पहले पदच्युत किया था समिति। हमें इन दोनों पहलुओं को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है, और हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि इनसे याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक स्पष्ट कारण मिला। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं-लेकिन इन पहलुओं के लिए, हम संभवतः याचिकाकर्ताओं पर इस स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए अनुकरणीय लागतों का बोझ डालते। गैर-सदस्यों को जारी किए गए नोटिसों को स्पष्ट करने के लिए

डॉ. धवन द्वारा पिछले कई उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम पहले ही पैरा 58 में दर्ज कर चुके हैं और उन्हें दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

183. हम अंत में यह दर्ज कर सकते हैं कि मामलों पर चर्चा करने के लिए समिति की क्षमता के बारे में वास्तव में कोई गंभीर विवाद नहीं है

विधानसभा के विधायी क्षेत्र के बाहर लेकिन यह एक चेतावनी के साथ था कि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन की शक्ति और किसी गैर-सदस्य को बुलाने के अधिकार को जन्म नहीं दे सकता था। यह स्थिति होने के कारण, हम पहले ही देख चुके हैं कि विशेषाधिकार के प्रयोग पर उठाई गई कोई भी याचिका अंतर्निहित तथ्यों के अभाव में एक खाली हड़ताल है। जहां दी गई तथ्यात्मक संदर्भ में वह स्थिति उत्पन्न होती है, याचिकाकर्ता उस पर हमला करने के हकदार हो सकते हैं और होंगे, लेकिन यह न्यायालय इस पहलू पर अग्रिम निर्णय में शामिल नहीं होगा। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सदस्य और गैर-सदस्य के बीच अंतर को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

उपरोक्त संदर्भ; और विधानसभा की उस प्रारूप में बुलाने की शक्ति जो वह करना चाहती थी, अपवाद से परे और कानून के अनुसार है। विशेषाधिकार के पहलू के लिए इतना।

विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों पर

184. श्री साल्वे ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तारित अधिकार को लागू करने की मांग की

और विशेषाधिकार के खिलाफ गोपनीयता, इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता को चुप रहने का अधिकार था। याचिका के अपरिपक्व होने के संदर्भ में (जिसे हमने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त पाया है), उनका निवेदन था कि केवल "आवश्यक कार्रवाई" की धमकी यानी विशेषाधिकार हनन की संभावना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता दोनों के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार, "अधिकार के खतरे वाले आक्रमण" को "संभावित उल्लंघनकर्ता को रोककर" हटाया जा सकता है। 134

185. श्री साल्वे द्वारा दी गई अधिक प्रतिबंधित याचिका यह थी कि भले ही विशेषाधिकार के अधिकार को मान्यता दी गई हो, लेकिन इसका संकीर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि निजता के मौलिक अधिकारों को अधिकतम लाभ दिया जा सके और बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें चुप रहने का अधिकार शामिल है। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि मूल नोटिस को वापस लिए जाने के मद्देनजर, फेसबुक की याचिका कि उसके पास किसे भेजना है, यह चुनने का विकल्प नहीं है, को खारिज कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 संसद के समक्ष पेश हुए।

186. हमें इस याचिका को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि एम. एस. एम. शर्मा 1 3 5 135 में इस न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया है।

बाद की न्यायिक घोषणाएँ या वे शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) के तहत उन्मुक्ति को अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिक मौलिक अधिकार को रास्ता देना चाहिए।

134 सुप्रा नोट 38।

135 ऊपर टिप्पणी 14.

19 (1) (क) एन. रवि 1 3 6 13 में वृहद न्यायपीठ के समक्ष लंबित संदर्भ को ध्यान में रखते हुए।

187. हमने विशेषाधिकार के पहलू पर कुछ विस्तार से चर्चा की है।

और वे अधिकार जो इससे प्राप्त होते हैं। यद्यपि ऐसी कार्यवाहियां न्यायालय में नहीं हो रही हैं, जहां बयान भी दिए जाते हैं, विधान सभा के एक निर्वाचित निकाय के विशेषाधिकार और इसके परिणामस्वरूप

समितियों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए। 188. हम इस मुद्दे पर अधिक गहराई से चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एमएसएम के बीच कथित संघर्ष है।

शर्मा 1 37 और 1964138 का विशेष संदर्भ संख्या 1 एन. रवि 1 3 9 9 में एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है। हमारे लिए यह जोड़ना पर्याप्त है कि यह संदर्भ 2005 से लंबित है। यह कहा जा सकता है कि इस संदर्भ को कानूनी सिद्धांतों को तय करने के लिए कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विशेष रूप से ऐसे विषय पर बढ़ते संघर्ष के संदर्भ में शामिल

विषय हैं। 189. चाहे जो भी हो, हम डॉ. सिंघवी के तर्क से भी सहमत हैं-कि यह एक और पहलू है जो अपरिपक्व है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, और कोई भी इरादा नहीं था कि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि ने केवल एक गवाह के रूप में कार्यवाही में भाग लिया। इन कार्यवाहियों के सीधा प्रसारण को देखते हुए उनकी पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया। समन कानूनी रूप से एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी किए गए हैं (निश्चित रूप से इसके बाद चर्चा की गई विधायी क्षमता के अधीन), इसका जवाब दिया जाना चाहिए। कार्यवाही आपराधिक या न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है क्योंकि समिति के समक्ष कोई आरोपी नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से, जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 33 के तहत सदन द्वारा बनाए गए नियमों (जो बदले में संविधान के अनुच्छेद

239 ए. ए. (7) से मजबूत होते हैं) का पालन किया जाएगा। विधानसभा के समक्ष कार्यवाही का संरक्षण या

अनुच्छेद 194 के तहत समिति में सदस्यों या गैर-सदस्यों का बयान शामिल होगा।

190. हम यहाँ यह जोड़ सकते हैं कि समिति के समक्ष किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने के विकल्प को कुछ पहलुओं के कारण गंभीरता से विवादित नहीं किया जा सकता है।

यदि ऐसा अच्छे कारणों के लिए अनुरोध किया जाता है, तो एक पहलू जिसकी जांच की जाएगी

नियमों के अनुसार समिति।

136 सुप्रा नोट 46.

137 ऊपर टिप्पणी 14.

138 सुप्रा नोट 12. 139 सुप्रा नोट 46।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

191. हम इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहेंगे।

एन. रवि में लंबित संदर्भ का दृष्टिकोण और यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं की पूरी याचिका अपरिपक्व है क्योंकि उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहने के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है।

विधायी क्षमता के बारे में:

192. क्या विधानसभा एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जो उनके लिए अवरुद्ध है? यह विधानसभा की विधायी क्षमता का मूल प्रश्न है क्योंकि इसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार अन्य राज्य विधानसभाओं के समान नहीं हैं। श्री साल्वे का प्रयास हमें यह समझाने का था कि एक बार जब विधानसभा में क्षमता की कमी हो जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को दूर रहने का अधिकार है, क्योंकि समिति के समक्ष सभी कार्यवाहियां किसी भी अधिकार से रहित होंगी।

संवैधानिक जनादेश।

193. यह निर्विवाद है कि विधानसभा अन्य राज्य विधानसभाओं से इस हद तक अलग है कि सूची II के कुछ विषय मायने रखते हैं।

इन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है और केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह किसी का मामला नहीं है कि सूची II में प्रविष्टियों 1,2 और 18 द्वारा कवर किए गए पहलुओं को विधानसभा द्वारा निपटाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप,

समिति। वास्तव में, श्री साल्वे के निवेदन को संक्षेप में इस दलील के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि विधानसभा और समिति को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो वे सीधे नहीं कर सकते।

194. जबकि पढ़ने के सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं है

यथासंभव व्यापक रूप से प्रविष्टियाँ, वह प्रस्ताव विधायी क्षमता की कमी के कारण एक कानून को चुनौती देने के संदर्भ में है। यहाँ हम प्रविष्टियों की परस्पर क्रिया से संबंधित हैं। मुद्दा यह होगा कि केंद्र सरकार के पास विधायी क्षमता है या विधानसभा। व्यापक विस्तार उन तीन प्रविष्टियों को भी दिया जाना चाहिए जिनमें से विधायी क्षमता को विधानसभा से अस्वीकार कर दिया गया है और संसद को प्रदान किया गया है।

195. उपरोक्त संदर्भ में इस बात पर जोर दिया गया कि

उपरोक्त तीन प्रविष्टियों के अलावा, इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि फेसबुक का व्यवसाय सीधे संसदीय अधिनियम, यानी आई. टी. अधिनियम के तहत आता है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने अतीत में संसदीय समिति के समक्ष कार्यवाही में स्वेच्छा से सहयोग किया है।

140 सुप्रा नोट 46.

196. यह कि फेसबुक एक मध्यस्थ है, आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (डब्ल्यू) से स्पष्ट होने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थों की भूमिका इस अधिनियम के दायरे में आती है, जिसमें आई. टी. अधिनियम की धारा 69ए के तहत किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का केंद्र सरकार का अधिकार भी शामिल है और यह श्रेया सिंघल 1 4 1 के फैसले को देखते हुए एकीकृत नहीं है, जहां इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 197. श्री साल्वे ने तर्क दिया कि समिति (और उस मामले के लिए विधानसभा) का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है, यानी उस क्षेत्र का अतिक्रमण करना जो निषिद्ध था। यह संदर्भ की शर्तों से स्पष्ट बताया गया था। में निहित संदर्भ की शर्तें

अनुच्छेद 4 (i) (सदस्यों की शिकायतों पर विचार करने के लिए) सार्वजनिक, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों आदि को किसी विशेष क्षेत्र/क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति, जिसमें सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है या जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, को पैरा 4 (vii) के संदर्भ में पढ़ना होगा, जो समिति को यह कार्य सौंपता है -

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्ष्य पाए जाते हैं। उत्तरदाता केवल यह कहकर बच नहीं सके।

कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्ष्य पाए जाते हैं, विधायी क्षमता की कमी को देखते हुए लागू करने में सक्षम नहीं है। ये हैं पहलू जिन्हें संदर्भ शर्तों के अंतिम पैराग्राफ में विशेषाधिकार की धमकी देकर अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी।

198. श्री साल्वे ने उत्तरदाताओं के जवाब पर भी भरोसा करने की मांग की

यह उचित ठहराने के लिए कि ये केवल आशंकाएँ नहीं थीं। हमने इन पहलुओं को निर्धारित किया है जैसा कि पैरा 90 में परिलक्षित होता है।

199. हमारे सामने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं हो सकता था कि सहयोगात्मक संघवाद भारतीय संविधान के काम करने का एक अभिन्न अंग था

जैसा कि न्यायालय ने जोर दिया है। हालाँकि, साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि इस तरह का कार्य विधायी क्षमता के संबंधित क्षेत्रों के भीतर होना चाहिए। यदि विधानसभा सूची I के अंतर्गत आने वाले मामलों का अतिक्रमण करती (और इसी तरह, यदि केंद्र सरकार सूची II में विधानसभा की शक्तियों का अतिक्रमण करती है), तो यह एक अराजक स्थिति पैदा कर देगा। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का टूटना।

141 सुप्रा नोट 66।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

200. तथापि, हम श्री के तर्क से प्रभावित नहीं हैं।

साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को राजनीतिक विभाजन में नहीं खींचा जा सकता है। फेसबुक एक ऐसा मंच है जहाँ इस तरह के राजनीतिक मतभेद परिलक्षित होते हैं। वे इस मुद्दे से हाथ नहीं हटा सकते क्योंकि यह उनका काम है। जैसा कि पहले देखा गया है, उनकी भूमिका उतनी हानिरहित नहीं है जितनी वे संघर्ष करना चाहते हैं।

201. इसी तरह, हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि एक विधानसभा को ऐसा करना चाहिए।

स्वयं को विधान के मूल कार्य तक सीमित रखें। यह एक निर्वाचित निकाय की भूमिका को अनुचित रूप से सीमित करेगा।

202. श्री साल्वे ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी हुआ वह एक

इस समिति का वास्तविक उद्देश्य दंगों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए उन मुद्दों पर गौर करना था जो उनके दायरे से बाहर थे। यह काफी स्पष्ट कहा गया था समिति के समक्ष अभिलिखित बयानों की प्रकृति और समिति के अध्यक्ष द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दिए गए बयानों से।

203. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हमें इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं है

कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों के विभाजन का परस्पर सम्मान किया जाना चाहिए। प्रविष्टियों के व्यापक अध्ययन की अवधारणा को किसी विषय वस्तु पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां एक विशिष्ट प्रविष्टि है जो दूसरे निकाय को शक्ति प्रदान करती है। यह वही सिद्धांत है जो देश की व्यापक विविधता और संघीय प्रकृति को देखते हुए संविधान निर्माताओं के दिमाग में था। इस प्रकार, चाहे वह इस संदर्भ में श्री साल्वे या श्री दातार का तर्क हो, हम उन्हें असाधारण पाते हैं। श्री दातार द्वारा दिए गए चित्र अमेरिका में ऐसी शक्तियां और उनकी न्यायिक जांच भी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है, अर्थात, कि एक जांच अपने आप में एक अंत नहीं हो सकती है और इसे होना चाहिए

कांग्रेस (विधायी निकाय) के वैध कार्य से संबंधित। 142 1 4 2 ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है जो अपनी सहयोगी शाखाओं के संवैधानिक कार्यों के प्रयोग को "पराजित या भौतिक रूप से बाधित" कर सके, और न ही किसी अन्य शाखा के अधिकार के "मूल क्षेत्र में घुसपैठ" कर सके।

143

204. हमारा यह भी विचार है कि 1 और 2 की प्रविष्टियों का सहारा

यह नहीं कहा जा सकता कि सूची III में वे शामिल हैं जिन्हें शक्तियों से बाहर रखा गया है।

142 सुप्रा नोट 76।

143 सुप्रा नोट 81।

सूची II, अर्थात प्रविष्टियाँ 1,2 और 18. इसी तरह, पूछताछ से संबंधित सूची III की प्रविष्टि 45 फिर से विधानसभा या समिति को सार्वजनिक व्यवस्था या पुलिस कार्यों के पहलुओं की जांच करने की अनुमति नहीं देगी। कि एक कानून और व्यवस्था

उत्पन्न स्थिति किसी के द्वारा विवादित नहीं है, और सांप्रदायिक दंगों से संबंधित इस कानून और व्यवस्था के मुद्दे को भी गंभीरता से विवादित नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि विधानसभा कानून-व्यवस्था और पुलिस के मुद्दे से नहीं निपट सकती है। इस प्रकार, मुख्य बिंदु यह होगा कि (क) समिति की जांच का दायरा क्या है; (ख) क्या यह कहा जा सकता है कि जांच का कोई पहलू है जो समिति के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है।

सभा; और (ग) क्या याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति को वैध रूप से मजबूर किया जा सकता है।

205. हम कह सकते हैं कि डॉ. सिंघवी और डॉ. धवन दोनों ही उन सीमाओं के प्रति काफी सचेत थे जो स्वाभाविक रूप से विधानसभा की शक्तियों पर मौजूद हैं। यह उस संदर्भ में है कि उनका तर्क "शांति और सद्भाव" अभिव्यक्ति की व्यापक समझ पर आधारित था, इसके विपरीत यह कानून और व्यवस्था तक ही सीमित था। हालाँकि, उन्हें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह संदर्भ की शर्तों के उस हिस्से से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से विधानसभा में निहित शक्तियों के दायरे से बाहर था। प्रेस में जो हुआ उससे यह समस्या और बढ़ गई।

समिति के अध्यक्ष द्वारा आयोजित सम्मेलन। समिति के सदस्यों की ओर से बोलते हुए, अध्यक्ष ने कुछ ऐसे बयान दिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण अधिक महत्व रखते हैं।

206. हम डॉ. धवन के सैद्धांतिक निवेदन से भी असहमत नहीं हैं, जो अमेरिका में न्यायिक उदाहरणों से मजबूत होता है, कि

जांच करने की शक्ति विधायी निकाय द्वारा कानून बनाने की शक्ति में निहित है। 1 44 लेकिन इसे स्वीकार करते हुए, वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या विधानसभा इस मामले पर कोई कानून बना सकती है। समितियों का जांच कार्य अपने साथ कुछ "अंधी गलियों" में शोधकर्ताओं के समाप्त होने की संभावना रखता है। 145 यह मान लेना होगा कि एक गली है। इस प्रकार, जबकि हम अधिकार का सम्मान करते हैं

समिति इस हद तक कि याचिकाकर्ताओं पर समन का जवाब देने का दायित्व मौजूद है, हम कार्यवाही को इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं जो निषिद्ध प्रविष्टियों का अतिक्रमण करता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि हम यह नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि समिति कैसे आगे बढ़ती है। वास्तव में, समिति को अभी आगे बढ़ना है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ संदर्भ की शर्तों के कुछ प्रावधानों ने उन्हें राजी किया है

144 सुप्रा 76,78,79 नोट करता है। 145 सुप्रा नोट 79।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

हम कुछ और कहने के लिए इसे केवल ज्ञान पर छोड़ देते हैं

समिति जिस तरह से उचित समझे, उस तरह से आगे बढ़ेगी। 207. एक बार फिर, हम डॉ. धवन के इस तर्क की सराहना करते हैं कि पुलिस शांति और सद्भाव की एकमात्र संरक्षक नहीं हो सकती है और

210. अलग-अलग विवाद हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि समिति सार्वजनिक व्यवस्था के बहिष्कृत क्षेत्रों का अतिक्रमण किए बिना सूची II और सूची III में कई प्रविष्टियों के लिए अपनी वैधता का पता लगा सकती है या पुलिस एक ठोस प्रयास कर सकती है, हालांकि उस हद तक नहीं जितना डॉ. धवन ने प्रचार किया था। फेसबुक खुद को उपस्थित होने से नहीं बख्श सकता है 03.02.2021 पर उन्हें जारी किए गए नए समन के अनुसार। ऐसे क्षेत्र जो विधायिका के लिए उसके विधायी [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, अभ्यास किसी समिति के लिए उसके विचार-विमर्श के लिए वैध रूप से उपलब्ध हो सकता है। ऐसा सरकार के एक व्यापक क्षेत्र के संदर्भ में है।

कार्य। अंततः, यह राज्य सरकार और राज्य विधानसभा है जिसे दिल्ली में दोहरी शक्ति संरचना में भी जमीनी वास्तविकता से निपटना पड़ता है। यदि हम ऐसा कहें, तो यह केवल दिल्ली के राजधानी होने और सार्वजनिक व्यवस्था या पुलिस के संबंध में उससे उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलताओं का तथ्य है जिसने संभवतः इन शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखने के लिए राजी किया है। हम यह नहीं कह सकते कि अन्य बातों के साथ-साथ उन सर्वोत्तम उपायों पर सूचित विचार-विमर्श, जिनके माध्यम से उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में ऑनलाइन सामूहिक घृणा और हिंसा को संबोधित किया जा सकता है, इसके दायरे में नहीं होगा।

समिति की क्षमता का क्षेत्र क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राजनीति के उद्देश्य को ही कमजोर कर देगा।

211. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 24 से 29 फरवरी, 2020 के बीच हुए दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ, स्कूलों, परिवहन, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा और अन्य नागरिक सुविधाओं में व्यवधान पैदा हुआ। 1,146

साम्प्रदायिक तनावों की जटिलता और उनके व्यापक प्रभाव दिल्ली के नागरिकों को प्रभावित कर रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार उचित उपचारात्मक उपाय तैयार करने के लिए कारणात्मक कारकों पर ध्यान नहीं दे सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई उचित सिफारिशें शासन के मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक प्रयास में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने माना था कि कुछ स्थानीय हितों को संबंधित राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वोत्तम रूप से संबोधित किया जाता है:

" 130. सॉवर के "संघीय सिद्धांत" संघीय की इस अवधारणा को दोहराते हैं।

संतुलन जब वह कहता है:

" केंद्र की शक्ति, सिद्धांत रूप में, कम से कम उन मामलों तक सीमित है जो समग्र रूप से राष्ट्र से संबंधित हैं। इन क्षेत्रों का उद्देश्य अपने स्थानीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव स्वतंत्र होना है। 1 47

212. हमारा विचार है कि दंगों के व्यापक प्रभाव के कारण, समिति ऐसी शिकायतों पर वैध रूप से विचार कर सकती है

सार्वजनिक जीवन के विभिन्न तत्वों को शामिल करना। इस प्रकार यह हकदार होगा कि

146 दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर डी. एम. सी. तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट: सुलभ: HTTPS: //अभिलेख। ओ. आर. जी./विवरण/डी. एम. सी.-दिल्ली-दंगा-तथ्य-रिपोर्ट-2020।

147 सुप्रा नोट 27।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

सातवीं अनुसूची में केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण किए बिना शांति और सद्भाव पर उनके प्रभाव की जांच करने के लिए जानकारी प्राप्त करें और उसी पर विचार करें।

213. आइए अब संदर्भ की शर्तों की ओर मुड़ें। समिति को क्या करना चाहिए, इसके व्यापक संदर्भ में, पैराग्राफ 4 (i) पर निर्भरता रखी गई थी, यानी उन कारकों और स्थितियों पर विचार करने के लिए जिनके पास है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता और इस तरह के कारकों को खत्म करने और विभिन्न लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसी स्थितियों से निपटने के उपायों का सुझाव देना।

धार्मिक या भाषाई समुदाय या सामाजिक समूह। यह विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था या पुलिस का पहलू नहीं है और इसके कई अर्थ हैं। उस स्तर पर संदर्भ की शर्तों के लिए यह बताना आवश्यक नहीं था कि यह किन पहलुओं (विधायी क्षमता रखने वाले) पर कानून बनाएगा और किन पहलुओं पर वह सिफारिशें करने पर विचार करना चाहेगा। यह इस मुद्दे की सुनवाई से पहले की बात होती। 214. यदि हम संदर्भ की शर्तों के पैरा 4 (i) की ओर मुड़ते हैं, तो इसका उद्देश्य सदस्यों की याचिकाओं, शिकायतों या रिपोर्टों पर विचार करना था।

जिस मुद्दे पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उस पर जनता, सामाजिक संगठन और पत्रकार। एक बार फिर यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था।

बड़े मुद्दे पर। हालांकि, वास्तविक परेशान करने वाला पहलू पैरा 4 (vii) है, जिसे हम संदर्भ की सराहना करने के लिए एक बार फिर दोहराते हैं:

" (vii) ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय पाए जाते हैं या प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

हिंसा को उकसाने के लिए "

215. स्पष्ट रूप से यह विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करे जिनके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय पाए जाते हैं।

या प्रथम दृष्टया हिंसा भड़काने का मामला बनता है। यह विशुद्ध रूप से पुलिसिंग द्वारा शासित एक पहलू है। यह पुलिस का काम है कि

जाँच द्वारा गलत करने वाले का पता लगाएं और उन्हें एक सक्षम अदालत के समक्ष आरोपित करें और इसने वास्तव में याचिकाकर्ताओं को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया है। 216. हमने डॉ. सिंघवी और डॉ. धवन की दलीलों पर ध्यान दिया है, जो वास्तव में यह कहने के बराबर है कि यह अनुच्छेद महत्वहीन है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा है, तो उस अर्थ में, यह अनुच्छेद खड़ा नहीं है, भले ही याचिकाकर्ताओं ने सीधे इस पर हमला नहीं किया हो। विधायी क्षमता और समिति की छूट को उचित ठहराने के लिए, उत्तरदाताओं ने व्यावहारिक रूप से इस पैरा 4 (vii) को छोड़ दिया है।

217. हम कह सकते हैं कि दिनांकित नए समन जारी करने में बुद्धिमानी की सलाह प्रबल हुई, जिसमें उपरोक्त सीमा के प्रति सचेत होकर और यदि हम कहें तो ठीक ही, जांच के कमजोर क्षेत्र को जानबूझकर

निर्दिष्ट किया गया था। यह ध्यान रखता है कि इसे सीधे याचिकाकर्ता संख्या 1 को संबोधित नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बजाय यह याचिकाकर्ता संख्या 2, फेसबुक इंडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि के विचार मांगता है। इसने "अनुरोध" अभिव्यक्ति का सही उपयोग किया है और विशेषाधिकार हनन के लिए कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में "कर सकता है" अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया है और स्पष्ट रूप से वापस ले लिया है। पिछली सूचनाएँ और समन। हल्की-फुल्की बात यह है कि संभवतः डॉ. सिंघवी की सलाह का पालन किया गया।

218. उपरोक्त का परिणाम यह है कि नोटिसों में गलतियां दूर हो जाती हैं।

219. हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों को इस तरह से कमजोर या दरकिनार नहीं किया जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा समिति के समक्ष गवाही देने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिकायतों और दिए गए बयानों को संदर्भित करता है। लेकिन, साथ ही, अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया था कि समिति के समक्ष रखी गई सामग्री के परिणामस्वरूप एक " प्रारंभिक निष्कर्ष "। इसके बाद यह कहा गया कि "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि फेसबुक ने दिल्ली दंगों के दौरान निहित स्वार्थों के साथ सांठगांठ की है"। यह इस पर आराम नहीं करता है और वह आगे कहता है:

" फेसबुक को सह-अभियुक्त के रूप में माना जाना चाहिए और दिल्ली दंगों की जाँच में सह-अभियुक्त के रूप में जाँच की जानी चाहिए। और "चूंकि दिल्ली दंगों का मुद्दा अभी भी अदालत में चल रहा है, इसलिए फेसबुक को सह-आरोपी मानते हुए एक पूरक आरोप पत्र भरा जाना चाहिए।"

उपरोक्त कथन और निष्कर्ष पूरी तरह से समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था। यह भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि यह याचिकाकर्ताओं के मन में आशंका पैदा कर सकता है।

220. आगे के बयानों से यह भी पता चलता है कि निष्कर्ष पहले ही कार्यवाही से बाहर निकल चुके हैं, जिसमें फेसबुक द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने सहित 3-4 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

उसी और उस अजीत मोहन बनाम को हटाने के निरंतर अनुरोध के बावजूद मंच।

विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

फेसबुक ने ऐसे वेब समाचार चैनलों के साथ सांठगांठ की, जिनका सामग्री को भ्रमित करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का एकमात्र एजेंडा है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनके सामने ऐसी सामग्री आई है जो दर्शाती है कि जहां भी सामंजस्यपूर्ण प्रकृति की सामग्री है, फेसबुक उस सामग्री को

हटा देता है जबकि अपमानजनक सामग्री को बढ़ावा दिया जाता है। अमेरिका में दौड़ संघर्षों का भी संदर्भ दिया गया है।

221. अंत में यह भी बताने की कोशिश की जाती है कि "आपत्तिजनक सामग्री" को देखते हुए, फेसबुक के प्रतिनिधि ऐसा करेंगे।

दोषसिद्धि से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संतुष्ट करने के लिए कहा जाए।

दाखिल किया जाना चाहिए। 222. यदि यह कहा जा सकता है, तो यह ऐसा है जैसे समिति आश्वस्त थी कि फेसबुक पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और जैसे कि समिति ही थी

223. हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस तरह के बयान समिति के समक्ष निष्पक्ष कार्यवाही के लिए शायद ही अनुकूल हैं और इन्हें टाल दिया जाना चाहिए था। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह विधायी जनादेश भी नहीं था, और विधानसभा या समिति के पास इनमें से कोई भी करने की शक्ति नहीं थी चीज़ें।

224. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार, एक विधायी समिति द्वारा जांच के संबंध में व्यापक आयाम देते हुए, हम हैं

दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में कुछ बंधन लगाने के लिए विवश अन्यथा कल की कार्यवाही को ही दूषित होने का दावा किया जा सकता है।

225. समितियों के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। कल्पना मेहता 1 48 मामले में इस मुद्दे पर कुछ गहराई से चर्चा की गई है।

समितियाँ सरकार के संचालन का कार्य करना चाहती हैं।

अपनी नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी, और कानून के तहत इसके कर्तव्य और सरकारी एजेंसियों का प्रदर्शन इन समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों का विषय हो सकता है। हालांकि, के संदर्भ में वर्तमान मामले में, हम एक ऐसे परिदृश्य से निपट रहे हैं जहां किसी विशेष विषय पर कानून बनाने के लिए कोई विधायी जनादेश नहीं है, भले ही

148 सुप्रा नोट 20.

व्यापक अर्थ में, एक जांच की जाती है। इस प्रकार, राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराने के पहलू की परिकल्पना वास्तव में इन शर्तों के अनुसार नहीं की गई है -

संदर्भ. बल्कि, ऐसा लगता है कि समिति कानून और व्यवस्था के परिदृश्य के लिए कुछ निजी खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, सामान्य सिद्धांत

समितियों पर लागू होने वाला नियम दिए गए परिदृश्य में थोड़े अंतर के साथ लागू होगा।

226. हम इस तर्क से अवगत हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के व्यापक अधिकार क्षेत्र पर जोर दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग आम तौर पर संसद द्वारा किए गए भारी काम से बेखबर तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

समितियाँ "क्षेत्र में"। एक विधानसभा, विशेष रूप से दिल्ली विधानसभा की प्रकृति में, जिसकी अपनी विशिष्टताएँ (यानी कुछ शक्तियों का बहिष्कार) हों, भले ही उसे व्यापक विस्तार और शक्तियाँ दी गई हों जो एक समिति को होनी चाहिए। सूची I के कारण विशेष अधिकार क्षेत्र वाली संस्था के पैर की उंगलियों या जूते पर कदम नहीं रख सकते हैं।

227. हम केंद्र सरकार में वर्तमान व्यवस्था के बीच बार-बार होने वाले ब्रशों को नहीं भूल सकते हैं

और राज्य सरकार और न्यायालयों से अपनी शक्तियों की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने की साहसी सलाह बहरे कानों पर गिर गई है। हम एक ऐसे परिदृश्य का सामना कर रहे हैं जो सामान्य से थोड़ा अलग है और इस प्रकार, जैसा कि हम नहीं चाहते हैं, कुछ बाधाओं को समिति द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के लिए रखा जाना चाहिए। बंधनों के एक समूह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि संदर्भ की शर्तों का पैरा 4 (vii) अनुचित है और मुकदमा चलाने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। हालांकि,

इतिहास के कारण बंधनों का एक और सेट आवश्यक हो जाता है उपरोक्त अभिलिखित और दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व

समिति के अध्यक्ष द्वारा। विषय वस्तु उससे कहीं अधिक आगे बढ़ गई जो होनी चाहिए थी और इसके परिणामस्वरूप, हमने उत्तरदाताओं की ओर से इस तर्क को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का विस्तार से विश्लेषण किया है कि इस पहलू को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए या प्रकृति में अधिक पूर्वनिर्धारित है। हमारा स्पष्ट मत है कि ऐसा नहीं है। द.

समिति को यह गलत धारणा नहीं हो सकती कि यह किसी प्रकार की अभियोजन एजेंसी है जो लोगों को दोषी ठहराने और उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दे सकती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि समिति को इस पहलू को ध्यान में रखना होगा ताकि भविष्य की कार्यवाही को दूषित न किया जा सके और एक और चुनौती को जन्म न दिया जा सके।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

हमारा विचार है कि किसी भी स्थिति में, चाहे वह अटकलबाजी ही क्यों न हो,

यदि समिति बहिष्कृत प्रविष्टियों, अर्थात कानून और व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मार्ग को पार करना चाहती है, तो फेसबुक का कोई भी प्रतिनिधि जो समिति के समक्ष उपस्थित होगा, प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने के अपने अधिकार के भीतर होगा और इस तरह के दृष्टिकोण को विशेषाधिकार कार्यवाही को आमंत्रित करने की संभावना के साथ गलत नहीं लिया जा सकता है। यह पालन करने के लिए एक नाजुक संतुलन है और हम इसे बहाना नहीं देना चाहते हैं याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि प्रश्नों का उत्तर न दें और याचिकाकर्ताओं के लिए समिति के समक्ष कार्यवाही को बाधित करें। हालाँकि, साथ ही, हम इन प्रतिबंधित क्षेत्रों पर जाने के लिए समिति को यह बहुत सीमित सुरक्षा देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस तरह की संभावना पैदा नहीं होगी और यह विवेकपूर्ण सलाह को स्वीकार करेगी। इतना और आगे नहीं।

निष्कर्ष:

228. हमने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार लिखे हैं, लेकिन विस्तृत दलीलों और मुकदमे की लंबाई को देखते हुए।

निर्णय लेने पर, हम निम्नलिखित शब्दों में अनुपात/दिशाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

आई.

विधानसभा या विधानसभा के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है।

विशेषाधिकार हनन के आधार पर समिति आगे बढ़ेगी

स्वयं के लिए।

विशेषाधिकार शुरू करके उपस्थिति को मजबूर करने की शक्ति

II.

कार्यवाही एक आवश्यक शक्ति है।

सदस्य और गैर-सदस्य (याचिकाकर्ताओं की तरह) समान रूप से कर सकते हैं।

III.

समिति के समक्ष उपस्थित होने और गवाही देने का निर्देश दिया जाए

शपथ लें।

IV.

मामले के दिए गए तथ्यों में, विशेषाधिकारों का मुद्दा है

समय से पहले। यह कहने के बाद, प्रेस के साथ संदर्भ की शर्तों के पैरा 4 (vii) को शामिल किया गया
समिति के अध्यक्ष का सम्मेलन वैध रूप से याचिकाकर्ताओं के मन में आशंकाओं को जन्म दे सकता है जिसके कारण एक चेतावनी दी गई है।

वी.

विशेषाधिकार शक्तियों और कुछ निश्चित शक्तियों के बीच टकराव का प्रचार करना

वर्तमान मामले में मौलिक अधिकार भी पूर्ववर्ती हैं।

[2021] 14

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी मामले में, अधिकार की तुलना में विशेषाधिकारों का बड़ा मुद्दा

VI.

भाग के संदर्भ में स्वतंत्र भाषण, मौन और गोपनीयता संविधान का तीसरा अभी भी संदर्भ को देखते हुए बड़े पैमाने पर है।

एन. रवि में बड़ी पीठ के लिए। 1 149

VII. मान लीजिए कि विधानसभा के पास कोई शक्ति नहीं है

कानून और व्यवस्था और पुलिस के पहलुओं पर कानून बनाना सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टियाँ 1 और 2 को अन्य बातों के साथ-साथ बाहर रखा गया है। इसके अलावा, मध्यस्थों का विनियमन भी है

आई. टी. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु।

VIII. विधानसभा केवल कार्य नहीं करती है

शासन के कई अन्य पहलू हैं जो विधान सभा और परिणामस्वरूप समिति के आवश्यक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। में।

सरकार।

संदर्भ शर्तों के पैरा 4 (vii) के लिए अस्तित्व में नहीं है

IX.

सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 1 और 2 का क्षेत्र। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के किसी भी प्रतिनिधि को सीधे कवर किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देने का अधिकार होगा
इन दोनों क्षेत्रों में।

229. यह हमें इस गाथा के अंत तक लाता है। तदनुसार रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अधीन खारिज कर दिया जाता है।

पोस्टस्क्रिप्ट:

1. कोविड का समय सभी के लिए कठिन रहा है। न्यायपालिका

2. हमने शिकायतों की अनुमानित प्रकृति और निस्संदेह एक हैंडल के साथ उसी पर राय देने के लिए अदालत को निमंत्रण पर ध्यान दिया है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सुनवाई की कहानी 26 घंटे तक चली-जो बहुत न्यायिक समय है। दैनिक समय अवधि दर्ज की गई थी।

149 सुप्रा नोट 46।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

दलीलों के अलावा, लिखित सारांश, अतिरिक्त लिखित सारांश, प्रत्युत्तर और दोनों पक्षों द्वारा उदारता से दायर किए गए जवाब थे। द.

सुविधा संकलन स्वयं बहुत विशाल थे, जो उनके उद्देश्य के विपरीत थे। हमारी चिंता यह है कि अगर भविष्य में कार्यवाही इस तरह से चलती है, तो कोविड के बाद की अवधि से निपटना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें निर्णय लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि देखने की संभावना है।

3. आगे का रास्ता क्या है? हम मानते हैं कि विचार प्रक्रिया में स्पष्टता की आवश्यकता है कि इससे पहले क्या संबोधित किया जाना है

अदालत। वकीलों को तर्कों की शुरुआत से ही अपनी प्रस्तुतियों की रूपरेखा पर स्पष्ट होना चाहिए। इसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दुनिया में कहीं भी कोई भी न्यायिक मंच मौखिक प्रस्तुतियों के लिए ऐसी समय अवधि लेने की अनुमति देगा और इन्हें आगे पूरक किया जाएगा - इसके बाद लिखित सारांश। मौखिक तर्कों को सीमित करने के बजाय यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन गया है कि किसे सबसे लंबे समय तक बहस करने का मौका मिलता है।

4. हमने इस पहलू पर गौर किया है कि क्या कोई है

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ और बिना बहुत विस्तृत चर्चा के उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहेंगे।

5. मानवाधिकारों पर यूरोपीय समझौते का अनुच्छेद 6, निष्पक्ष सुनवाई और सार्वजनिक सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए, इसे अन्य बातों के साथ-साथ "उचित समय के भीतर" पूरा करने के लिए योग्य बनाता है। 150 यह स्वाभाविक रूप से बिना किसी देरी के न्याय देने से जुड़ा हुआ है। न्यायिक कार्यवाही में देरी हमारे देश के लिए अभिशाप रही है और पुरानी प्रथाओं से अलग होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब वे अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हों। यह वादी हैं जो हमारी जटिल और लंबी न्यायिक प्रक्रिया की लागत वहन करते हैं। हम पीठ के इस पक्ष की समान जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं-यह समय की आवश्यकता है कि हम स्पष्ट और संक्षिप्त निर्णय लिखें जिन्हें वादी समझ सके। रेन और मार्टिन के सिद्धांत

प्रस्तुतियाँ स्वयं घंटों तक चलती रहती हैं और न्यायालय के समक्ष बड़ी मात्रा में सामग्री रखी जाती है; इस उम्मीद के साथ कि प्रत्येक पहलू पर विस्तार से विचार किया जाएगा और ऐसा न करने पर कौन से समीक्षा आवेदनों पर विचार किया जाएगा। दाखिल किया गया (ऐसा नहीं है कि वे अन्यथा दायर नहीं किए गए हैं!) हम बोझिल हो जाते हैं

150 अनुच्छेद 6, मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन, 1953।

न्यायिक पूर्ववर्ती। अक्सर प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती वर्षों के फैसले का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें छोटे और स्पष्ट निर्णय देखे गए थे, लेकिन तब, आज हम जिन उदाहरणों का सामना कर रहे हैं, वे तब मौजूद नहीं थे। हमारे जैसे तकनीकी युग में, केवल यह आवश्यक है कि कनिष्ठ वकील को एक विशेष दृष्टिकोण पर सभी निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए और इसे एक अच्छे चक्रबद्ध बंधन में अदालत में प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक पहलू पर कई निर्णय हो सकते हैं। हमारी दृष्टि में यदि कानून के प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा संदेह नहीं किया जाता है, जब तक इसके लिए नहीं कहा जाता है, तब तक इसे पूर्ववर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई सवाल उठाया जाता है, तो निर्णय उस प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए-न कि कई निर्णय। दूसरा परिदृश्य यह है

कि यदि उद्धृत निर्णयों के तथ्य मामले के तथ्यों के लिए इतने उपयुक्त हैं कि यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर सकता है। आर. वी. में एर्स्किन; आर. वी. विलियम्स 1 5 1 1641 में विस्काउंट फ़ॉकलैंड के एक प्रसिद्ध सूत्र पर ध्यान दिया गया था "यदि पिछले को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय का निर्णय, इसे संदर्भित नहीं करना आवश्यक है। इसी तरह, यदि पिछले निर्णय को बंडल में शामिल करना आवश्यक नहीं है

अधिकारियों, इसे बाहर करना आवश्यक है। उस दृष्टिकोण को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह यू. के. में आपराधिक व्यवहार निर्देशों का आधार है जो अपील न्यायालय, क्राउन कोर्ट और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष सभी आपराधिक मामलों पर लागू होते हैं। आपराधिक व्यवहार निर्देश (vii) स्पष्ट करता है कि यदि कोई निर्णय किसी उद्धृत मामले को संदर्भित नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि अदालत ने इसे संदर्भित नहीं किया है, बल्कि यह है कि अदालत को इससे सहायता नहीं मिली है। हम उसी को अपनाते हैं जिसे हम बेहतर नहीं कह सकते हैं।

8. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अपनी समय सीमा में अधिक प्रतिबंधात्मक है-ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के न्यायालय बहुत पीछे हैं। मानकों और परंपराओं को प्रस्तुतियों को संबोधित करने के लिए प्रतिबंधात्मक समय सीमा की आवश्यकता का ध्यान रखना;

151 [2009] ईडब्ल्यूसीए क्रिम 1425, [2010] 1 डब्ल्यूएलआर 183।

अजीत मोहन बनाम। विधायी राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली का इलाका [संजय किशन कौल, जे.]

9. 01.05.2021 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 67,898 मामले लंबित थे। 152 नियमित मामलों पर बिताया गया समय बड़ी पीठों के समक्ष लंबित कानूनी सिद्धांतों को निपटाने के लिए बहुत कम समय छोड़ता है जिसका न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। एन. रवि 1 5 3 में लंबित एक बड़ी पीठ के संदर्भ में हमारे पास इसका एक सीधा उदाहरण है। 10. चिंता का एक अन्य विषय लंबी अंतरिम कार्यवाही है। आपराधिक मामलों में, यहां तक कि जमानत के मामलों पर भी घंटों तक एक साथ और कई स्तरों पर बहस की जा रही है। दीवानी कार्यवाही में स्थिति अलग नहीं है जहां अंतरिम स्तर पर काफी समय बिताया जाता है जब उद्देश्य केवल एक छोटे से आदेश द्वारा पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, और इसके बजाय मूल कार्यवाही पर समय बिताना चाहिए जो अंतरिम व्यवस्था के बजाय कानून को समाप्त कर सकता है। वास्तव में, दीवानी कार्यवाही में अंतरिम आदेशों का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं होता है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि हम अंतरिम कार्यवाही की अदालत बन गए हैं जहां अंतिम कार्यवाही सदियों के बाद समाप्त होती है-केवल निष्पादन की दीवानी कार्यवाही में एक और दौर शुरू होने के लिए।

11. हमारी पोस्ट स्क्रिप्ट का उद्देश्य केवल कानूनी बिरादरी के बीच चर्चा शुरू करना है।

संक्षिप्त रूप से तैयार किया गया लिखित सारांश, और मौखिक तर्कों के दौरान इसका पालन किया जाता है, जिसे सीमित समय अवधि में संबोधित किया जाता है और अधिक स्पष्ट, स्पष्ट और सटीक निर्णय दिए जाते हैं ताकि आम आदमी समझ सके कि कानून क्या निर्धारित किया जा रहा है। आखिरकार, यह 'आम आदमी' के लिए है कि न्यायिक प्रणाली मौजूद है। दिव्या पांडे

लिखित याचिका

खारिज की गई।

152 सांख्यिकी, मासिक लंबित मामले, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के प्रकार 01.05.2021, सर्वोच्च न्यायालय भारत, यहाँ उपलब्ध: HTTPS: //मुख्य। विज्ञान. गव. में/सांख्यिकी।

153 सुप्रा नोट 46.